विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-x
पहला अध्याय		
सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन	1	
प्रस्तावना	1.1-1.4	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.5-1.7	1-2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8-1.10	2-4
बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए	1.11-1.12	4-5
वित्त लेखों के साथ समाधान	1.13-1.14	5-6
पीएसयू का निष्पादन	1.15-1.18	6-8
लेखों के अंतिमीकरण में बकाया	1.19-1.23	8-10
लेखों पर टिप्पणियाँ	1.24-1.26	10-13
आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ	1.27	13
लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ	1.28	13
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.29	14
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	1.30-1.32	14
दूसरा अध्याय		
सांविधिक निगम की समीक्षा	2	
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के क्रियाकलाप	--	
कार्यकारी सारांश	--	15-16
प्रस्तावना	2.1	16-17
संगठन संरचना	2.2	17
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	2.3	18
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.4	18
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.5	18-19
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	2.6	19
योजना एवं गोदामों का निर्माण	2.7 -2.14	19-24
वित्तीय प्रबंध	2.15-2.21	24-29
गोदामों की क्षमता का उपयोग	2.22	30-31
गोदामों का संचालन और अनुरक्षण	2.23-2.29	31-36
निष्कर्ष	-	36

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
तीसरा अध्याय		
लेनदेन से संबधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3	
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के इंवेन्ट्री प्रबंधन पर वृहद कण्डिका	3.1	37-47
छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड		
कंपनी की ओर से अग्रिम कर के भुगतान में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 14.84 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.2	47-48
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
सामूहिक अवकाश नगदीकरण योजना पालिसी पर उपार्जित ब्याज को कंपनी की आय मानने के परिणामस्वरूप एवं उसका गलत लेखांकन करने से ₹ 49.05 लाख के आयकर का परिहार्य भुगतान	3.3	49
कंपनी द्वारा निविदा में औद्योगिक बाँस की कम मात्रा दर्शाने के कारण ₹ 11.77 लाख के राजस्व की हानि	3.4	49-51
छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड		
चल खाते में ऑटो-स्वीप सुविधा न लेने के कारण कंपनी को ₹ 54.74 लाख के ब्याज की हानि हुई	3.5	51-52
स्रोत पर संग्रहित कर को शासकीय खाते में निश्चित समय सीमा में जमा करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ	3.6	52-53
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
आधिक्य निधि के अन्यायोचित निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 40.66 लाख की कम ब्याज की प्राप्ति हुई	3.7	53-54
भूमि प्रीमियम की गणना के लिए कम दर लेने के कारण निजी पक्षकार को ₹ 23.60 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया	3.8	54-56
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड		
कोरबा ताप विद्युत गृह के इकाई 6 की समय पर कैपिटल ओवरहॉलिंग (सीओएच) करने में कंपनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय हुआ	3.9	56-57
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड		
निजी विद्युत उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंध में लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करने तथा लाईन लॉस को न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप निजी विद्युत उत्पादकों को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया	3.10	58-60
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड		
विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग में संशोधन करने की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कैप्टिव विद्युत उत्पादक को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया	3.11	60-61

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
सामान्य			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन		3.12	61-63
अनुलग्नक			
1.1	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध मे 31 मार्च 2014 को अद्यतन प्रदत पूंजी, लंबित ऋण और जनशक्ति दर्शानेवाला विवरण पत्रक	1.8	65-67
1.2	वर्ष के दौरान समता पूंजी/ऋण की प्राप्ति, प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान और उपदान, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, अपलेखित ऋण एवं ऋण का समता पूंजी मे परिवर्तन और मार्च 2014 के अंत तक गारंटी वचनबद्धता दर्शाने वाला विवरण	1.11	68-69
1.3	सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के अद्यतन वर्ष के लिये जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.15	70-72
1.4	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम की वित्तीय स्थिति दिखाने वाला विवरण	1.15	73
1.5	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम का कार्यकारी परिणाम दिखाने वाला विवरण	1.15	74
1.6	राज्य सरकार द्वारा पीएसयू में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है	1.21	75-76
2.1	केन्द्रीय/राज्य योजनाओं में गोदामों का निर्माण	2.9	77
2.2	गोदामों के निर्माण में अतिरिक्त व्यय/निधि की अवरूद्धता को दिखाने वाला विवरण	2.10	78
2.3	गोदामों के निर्माण में देरी के लिए शास्ति की गैर वसूली को दिखाने वाला विवरण	2.13	79-83
2.4	ठेकेदारों द्वारा गोदामों के निर्माण कार्य में तीन महीने से अधिक विलंब के कारण व्यवसायिक हानि की वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण	2.13	84-87
2.5	निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम को दिखाने वाला विवरण	2.15	88
3.1	क्षेत्रीय भंडारों में सर्वेक्षण के अभाव के कारण पड़े अप्रचलित ट्रांसफार्मरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	3.1.9	89
3.2	खराब ट्रांसफार्मरों से प्राप्त तेल में कमी को दर्शाने वाला पत्रक	3.1.10	90
3.3	आयकर के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	3.3	91
3.4	राजस्व की हानि को दर्शाने वाला पत्रक	3.4	92
3.5	यूको बैंक (खाता क्रमांक - 20300210001332) तथा एक्सिस बैंक (खाता क्रमांक- 913020034288952) के चल खाते में रखा गया न्यूनतम शेष राशि एवं उस पर होने वाली ब्याज हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.5	93-94

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.6	कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.12.1	95
3.7	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण पत्रक	3.12.3	96
3.8	मार्च 2014 से अगस्त 2014 के दौरान जारी किए गए प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्रतिक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	3.12.3	97

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम की मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कंपनियों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कंपनियों सहित) की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) के द्वारा सत्यापित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करता है। इसके अलावा, इन कंपनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवाशर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधानों के अधीन सरकारी कंपनियों या निगमों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को दिए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित है जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परंतु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे। 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत अधिशासित होती है। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित होती है। 31 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य के 20 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) (19 कंपनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) थे, जिनमें 20950 कर्मचारी नियोजित थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2013-14 में ₹ 13734.46 करोड़ आवर्त दर्ज किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2014 को 20 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में निवेश (पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 24374.05 करोड़ था जो कि 2009-10 के ₹ 4329.85 करोड़ से 462.93 प्रतिशत बढ़ा। कुल निवेश में 50.63 प्रतिशत पूंजी तथा 49.37 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण था। 2012-13 के दौरान शासन ने इक्विटी ऋण तथा अनुदान/उपदान के प्रति ₹ 3587.20 करोड़ का अंशदान किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2013-14 के दौरान 20 क्रियाशील पीएसयू में से 12 पीएसयू ने ₹ 123.66 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा चार पीएसयू ने ₹ 543.80 करोड़ की हानि उठाई। तीन पीएसयू ने न लाभ दर्ज किया न हानि उठाई। शेष एक पीएसयू ने अपने प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किये थे। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को क्रमशः ₹ 498.19 करोड़, ₹ 26.63 करोड़ एवं ₹ 18.94 करोड़ की हानि हुई। पीएसयू द्वारा उठाई गई हानियों का मुख्य कारण वित्तीय प्रबंध, आयोजना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचालन तथा निगरानी में कमियाँ थी।

बकाया लेखे

सितम्बर 2014 तक 15 पीएसयू के 36 लेखे बकाया थे। पीएसयू को लेखों को तैयार करने से संबंधित कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ बकाया लेखों की निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखो की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अंतिमीकृत क्रियाशील कंपनियों के 22 लेखों में से 15 लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित प्रमाण-पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा ने लेखों के गुणवत्ता में सुधार की ओर इंगित किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन कंपनियों के आंतरिक नियंत्रण पर कुछ कमजोर क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं।

(अध्याय - I)

2. सांविधिक निगम की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के क्रियाकलापों की समीक्षा की गई थी। हमारे द्वारा पाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है:

प्रस्तावना

***2009-10 से 2013-14** की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (निगम) की मुख्य गतिविधियाँ गोदामों का निर्माण/किराये में लेकर मुख्यरूप से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीएससीएससीएल) एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल, गेहूँ, शक्कर, चना एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण की सेवायें प्रदान करना था। निगम के पास मार्च **2014** की समाप्ति पर **14.02** लाख मीट्रिक टन (**9.11** लाख मीट्रिक टन स्वयं की एवं **4.91** लाख मीट्रिक टन किराये की) की भण्डारण क्षमता थी।*

योजना एवं गोदामों का निर्माण

*निगम भविष्य की भण्डारण आवश्यकताओं का आंकलन नहीं करता एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा आंकलित की गई भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार गोदाम निर्माण के लिये व्यवस्थित योजना नहीं बनायी। यह निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, **2009**, में स्वीकृत एक केन्द्रीय योजना एवं समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) की विभिन्न योजनाओं के अनुसार गोदाम निर्माण का कार्य सम्पादित करती है।*

*पीईजी योजना के अधीन निगम **4.92** लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध **2.87** लाख मीट्रिक टन का निर्माण कर सकी एवं मार्च **2014** की समाप्ति पर **2.05** लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता में वृद्धि की कमी थी।*

*निगम ने अनुपयुक्त भूमि/वन भूमि पर गोदाम निर्माण के लिए ₹ **73.36** लाख का अतिरिक्त व्यय किया एवं विवादित भूमि पर गोदामों के निर्माण के कारण ₹ **91.46** लाख अवरूद्ध हुआ।*

*अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन हुआ क्योंकि प्रबंध संचालक ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर ₹ **67.98** लाख मूल्य का अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किया।*

*निगम ने ठेकेदार से जो कि काम छोड़कर चला गया था से ₹ **32.30** लाख की जोखिम एवं लागत की राशि वसूल नहीं किया।*

*निगम ने गोदाम निर्माण में विलम्ब के लिए ठेकेदार पर ₹ **84.40** लाख की कम शास्ति अधिरोपित किया एवं ₹ **3.92** करोड़ की व्यवसायिक हानि वसूल नहीं किया एवं फ्लाई ऐश ईटों के बदले में मिट्टी की ईटों का उपयोग करके पर्यावरण मापदण्डों का उल्लंघन किया।*

वित्तीय प्रबंध

*निगम की कुल आय ₹ **52.39** करोड़ जो कि **2009-10** में थी से बढ़कर **2012-13** में ₹ **78.50** करोड़ हो गयी।*

*भारतीय खाद्य निगम को विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने के कारण निगम को ₹ **88.89** लाख की ब्याज की हानि हुई।*

*प्रयासों के अभाव के कारण एक केन्द्रीय योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) में ₹ **1.01** करोड़, राज्य की योजनाओं में ₹ **1.25** करोड़ के बकाया दावे प्राप्त नहीं हुए।*

*सेवाकर के भुगतान में विलम्ब के कारण निगम ने ₹ **72.24** लाख की शास्ति का भुगतान किया।*

गोदामों की क्षमता की उपयोगिता

समीक्षा अवधि के सभी पाँच वर्षों में गोदाम की क्षमता की समग्र उपयोगिता 90 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि, दो शाखाओं के गोदामों का उपयोग कभी नहीं हुआ एवं चार से 13 शाखाओं के स्वयं के गोदामों तथा नौ से 14 शाखाओं के किराये के गोदामों की उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी।

गोदामों का संचालन एवं अनुरक्षण

समीक्षा के सभी पाँच वर्षों में छः शाखाओं में लगातार हानि होने के बावजूद निगम ने हानियों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

भण्डारण टैरिफ के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एफसीआई ने भण्डारण हानि के लिए भण्डारण शुल्क के बिलों से ₹ चार करोड़ रोक लिया।

मानक मापदण्ड से निम्न के कीटनाशक का उपयोग एवं रसायन के खाली डिब्बों का निपटान न करते हुए निगम ने मापदण्डों का उल्लंघन किया।

निष्कर्ष

निगम को पीईजी योजना 2009 के तहत 4.92 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण करना था परन्तु मार्च 2014 के अन्त तक मात्र 2.87 लाख मीट्रिक टन निर्माण किया गया। इस प्रकार भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि आदि के कारण गोदाम निर्माण में विलम्ब होने से क्षमता वृद्धि में 2.05 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 3.22 करोड़) और लघु वनोपज संघ (मई 2002 से बकाया ₹ 1.33 करोड़) से ₹ 4.55 करोड़ भण्डारण शुल्क तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। इसमें एक प्रकरण ₹ 2.59 करोड़ का संबंध भौतिक सत्यापन में पायी गई चावल की कमी से था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित किया गया है (सितम्बर 2005), जिसकी जाँच चल रही है।

(अध्याय-II)

3. लेन-देन से सम्बंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेनदेन से सम्बंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमें गम्भीर वित्तीय परिणाम सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नवत प्रकृति की हैं:

नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबंध के नियम एवं शर्तो का अनुपालन न करने के कारण छः प्रकरणों में ₹ 22.89 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.10 तथा 3.11)

त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण नियोजन के कारण चार प्रकरणों में कुल ₹ 1.77 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.4, 3.5, 3.7 तथा 3.9)

अपर्याप्त/दोषपूर्ण निगरानी के कारण एक प्रकरण में ₹ 5.38 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा समूह अवकाश नगदीकरण योजना नीति पर उपार्जित ब्याज का गलत लेखांकन करते हुये कम्पनी की आय मानने के परिणामस्वरूप ₹ 49.05 लाख के आयकर का परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 3.3)

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड को चालू खाते में ऑटो स्वीप सुविधा न लेने के कारण ₹ 54.74 लाख के ब्याज की हानि होना।

(कंडिका 3.5)

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड में आधिक्य कोषों के अन्यायोचित निवेश के कारण ₹ 40.66 लाख ब्याज कम प्राप्त होना।

(कंडिका 3.7)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा कोरबा ताप विद्युत केन्द्र की इकाई 6 की समय पर कैपिटल ओवरहॉलिंग कराने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 3.9)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा निजी विद्युत उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंधों में लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करना तथ **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेड़िग कंपनी लिमिटेड** द्वारा लाईन लॉस का न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप निजी विद्युत उत्पादकों को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित लाभ देना।

(कंडिका 3.10)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेड़िंग कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेडयूलिंग में संशोधन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कैप्टिव विद्युत उत्पादक को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ देना।

(कंडिका 3.11)

पहला अध्याय

1. सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य की सरकारी कंपनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित है। राज्य के पीएसयू की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 31 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ में 19 सरकारी कंपनियाँ[1] एवं एक सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत) थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्व नही थी। सितम्बर 2014 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन पीएसयू ने ₹ 13734.46 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। राज्य के पीएसयू को उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 420.14 करोड़ की समग्र हानि हुई। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उन्होनें 20950 कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.3 राज्य के पीएसयू में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) जिसका एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) है, शामिल नही है।

1.4 वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी नया पीएसयू स्थापित नही किया गया एवं किसी पीएसयू/सांविधिक निगम को बन्द नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होती है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है

[1] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीव्हीएनएल), छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन), छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी), छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईएसीएल), छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड (सीएससीसीएल), सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलरीज लिमिटेड (सीएसपीजीसीएलएईएलपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल), छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल) एवं रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनएनटीएल)

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी सम्मिलित होती है ।

1.6 राज्य के सरकारी कंपनियों के लेखों (जैसा कंपनी अधिनयम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है।

1.7 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम - 1962 के तहत शासित होती है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.8 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 20 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 24374.05 करोड़ का कुल निवेश था। इसका विवरण ***तालिका 1.1*** में दिया गया है।

तालिका 1.1

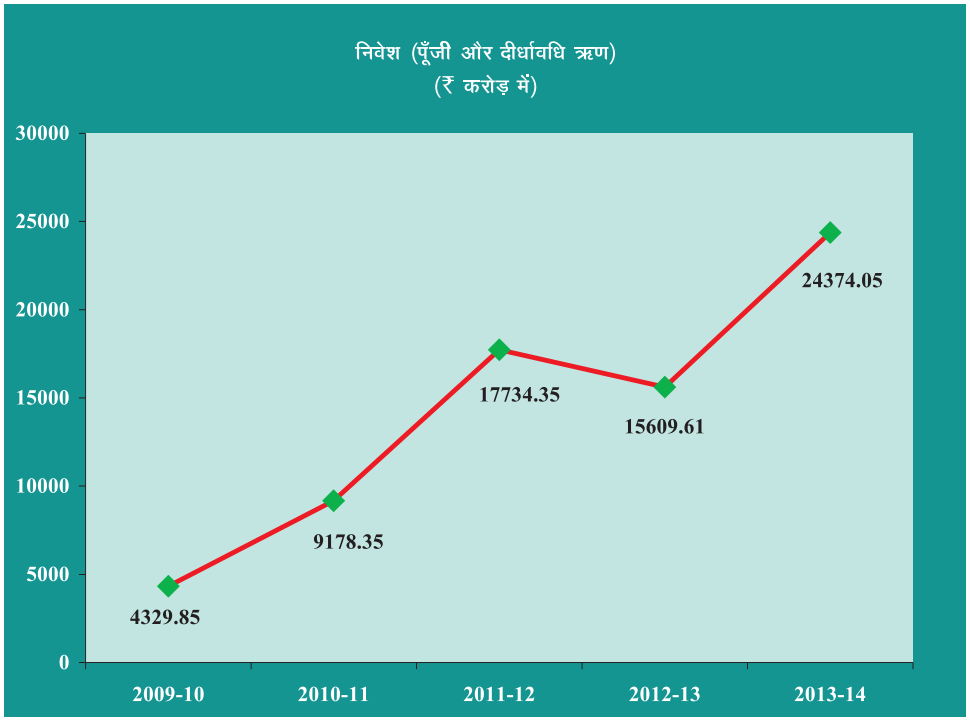
(₹ करोड़ में)

सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
12336.45	11966.84	24303.29	4.04	66.72	70.76	24374.05

राज्य के पीएसयू में सरकारी निवेश की सारांशीकृत स्थिति का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक 1.1*** में दिया गया है।

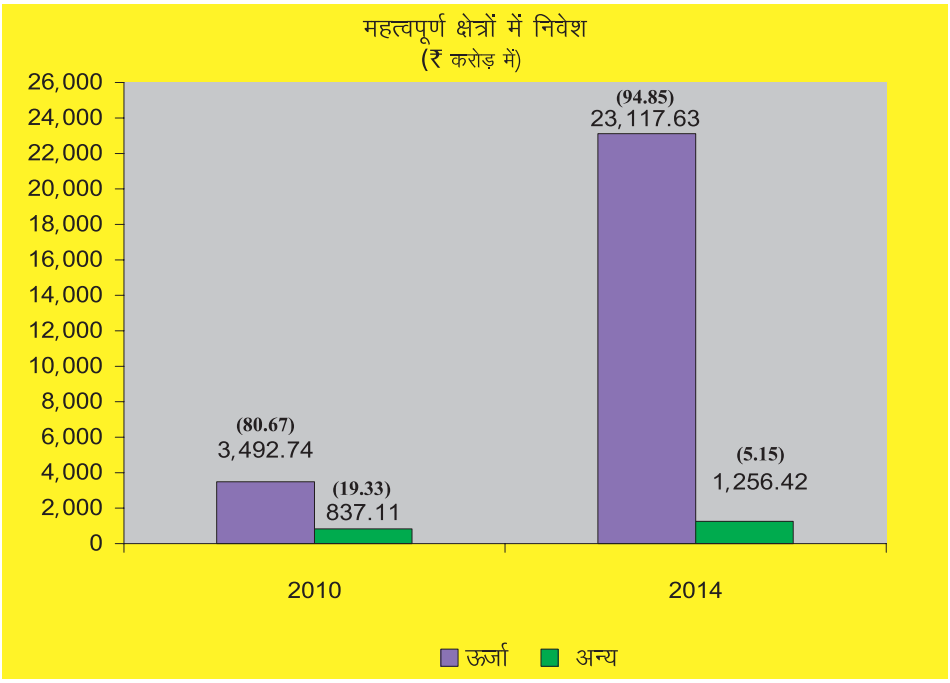
1.9 31 मार्च 2014 को पीएसयू कुल निवेश का 50.63 प्रतिशत पूँजी में और 49.37 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयू में निवेश 462.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 में ₹ 4329.85 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 24374.05 करोड़ हो गया जैसा कि ***रेखाचित्र 1.1*** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र-1.1



1.10 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2014 के अंत तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उसका कुल निवेश में प्रतिशत आगे ***रेखाचित्र 1.2*** में प्रदर्शित किया गया है।

रेखाचित्र - 1.2



(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़त की प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2009-10 में ₹ 3492.74 करोड़ से 561.88 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 23117.63 करोड़ हो गया जिसकी वजह मुख्यतः सरकार द्वारा इक्विटी एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यो के लिये प्राप्त ऋण है।

बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए

1.11 राज्य के पीएसयू के संबंध में मार्च 2014 के अंत में समता ऋण तथा अनुदान/उपदान से संबंधित बहिर्गमन का विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक 1.2*** में दिये गये हैं।

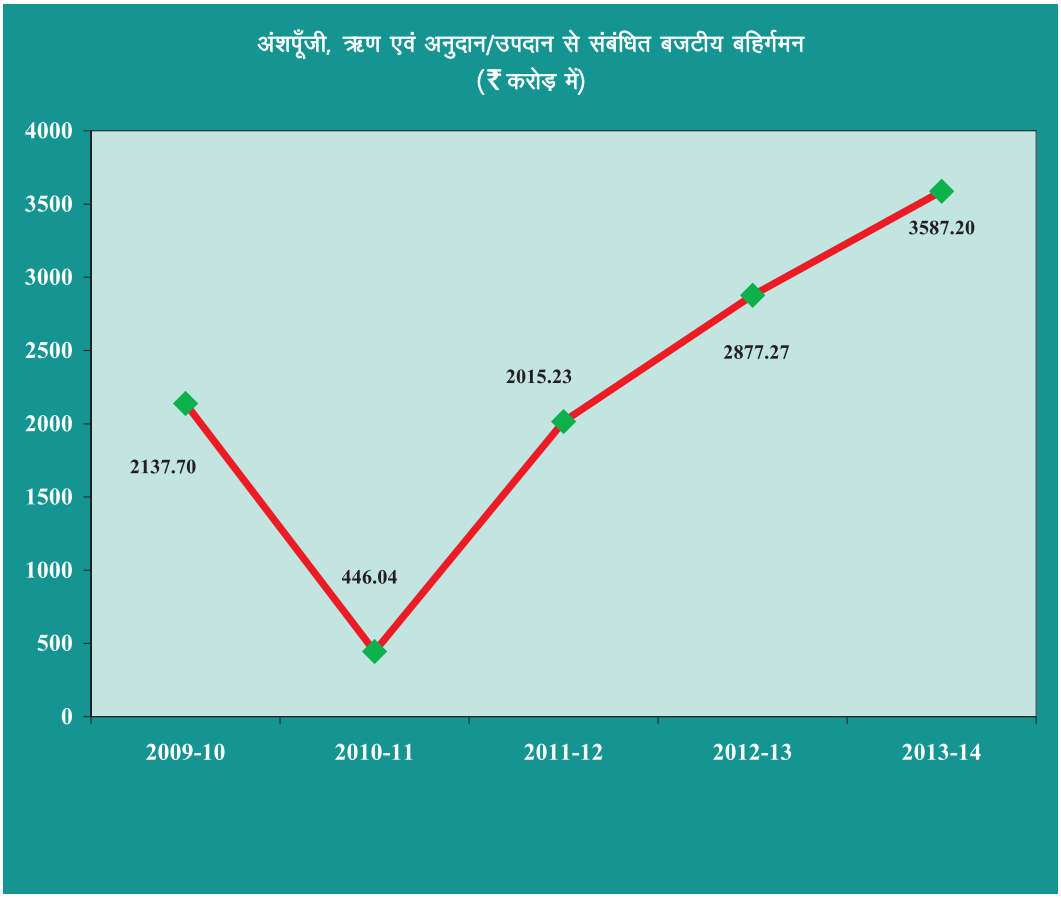
वर्ष 2013-14 को समाप्त हुये तीन वर्षों का समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का सारांशीकृत ब्यौरा ***तालिका 1.2*** में दिया गया है ।

तालिका - 1.2

क्र.सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में	पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में	पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में
1.	बजट से समता पूँजी का बहिर्गमन	-	-	4	903.52	2	22.45
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	500.00	3	651.66	3	556.78
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	7	1515.23	6	1322.09	8	3007.97
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7	2015.23	10	2877.27	11	3587.20
5.	समता में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियां	1	2.50	1	500.00	2	508.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	302.84	3	937.61	2	525.00

1.12 पिछले पाँच वर्षों की समता, ऋण एवं अनुदान/सहायता से संबंधित बजटीय बहिगर्मन का विस्तृत विवरण ***रेखाचित्र 1.3*** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र - 1.3



समता, ऋण और अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन ₹ 2137.70 करोड़ (2009-10) से अत्यधिक घटकर ₹ 446.04 करोड़ (2010-11) हुआ, यह बढ़कर ₹ 2015.23 करोड़ (2011-12), ₹ 2877.27 करोड़ (2012-13) और ₹ 3587.20 करोड़ (2013-14) हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 3587.20 करोड़ के दो पीएसयू यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 3420.61 करोड़ का विस्तारित समर्थन ऋण, उपदान एवं अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 635.64 करोड़ और ₹ 2784.97 करोड़ सम्मिलित है।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता , ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ों में अंतर है तो संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को चाहिए कि अंतर का मिलान अवश्य करें। इस संबंध में 31 मार्च 2014 की स्थिति ***तालिका-1.3*** में दर्शित है।

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ मे)

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	1662.38	6807.94	5145.56
ऋण	440.17	313.58	126.59
गारंटियां	1676.21	525.00	1151.21

1.14 हमने पाया कि 13 पीएसयू[3] के आंकड़ों में अंतर पाया गया और इन अंतरों का समाधान 2004-05 से ही लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अंतर की राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, पर राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गई।

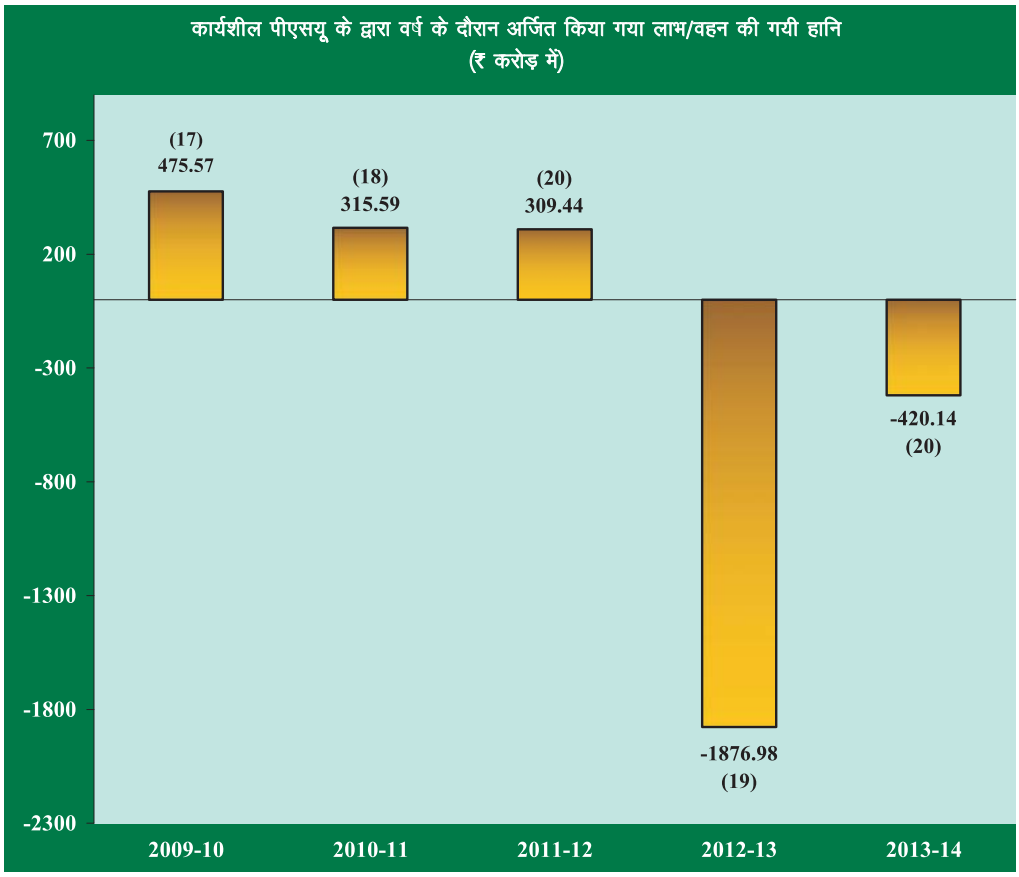
पीएसयू का निष्पादन

1.15 पीएसयू के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणामों का विस्तृत विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक 1.3, 1.4*** एवं ***1.5*** में दिया गया है।

1.16 वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य के पीएसयू के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये अर्जित समग्र लाभ/हानि का विवरण आगे ***रेखाचित्र 1.4*** में दिया गया है।

[3] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल और सीएसडब्ल्यूसी

रेखाचित्र - 1.4



(कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या दर्शाते है)

राज्य के पीएसयू द्वारा 2011-12 में अर्जित औसत लाभ ₹ 309.44 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) के परिणामस्वरूप ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गयी। जो कि महत्वपूर्ण रूप से 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को कम हानि (₹ 498.19 करोड़) होने से औसत हानि घटकर ₹ 420.14 करोड़ हो गई।

30 सितम्बर 2014 को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत 20 पीएसयू[4] में से 12 पीएसयू[5] द्वारा ₹ 123.66 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया और चार पीएसयू[6] को समग्र रूप में ₹ 543.80 करोड़ की हानि हुई। तीन पीएसयू[7] को "न लाभ न हानि" हुआ। शेष एक पीएसयू[8] द्वारा अपने प्रथम लेखों को

[4] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, आरएनएनटीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

[5] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसबीसीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

[6] सीएससीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएससीएससीएल

[7] सीआईसीएल, सीएपीसीएल एवं सीएमएससीएल

[8] आरएनएनटीएल

अंतिमीकृत नहीं किया गया था। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 40.51 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 27.81 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (₹ 16.31 करोड़) का रहा। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 498.19 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 26.63 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹ 18.94 करोड़) की हानि हुई।

1.17 सीएजी के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती हैं कि राज्य के पीएसयू को ₹ 38.08 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ हुई एवं ₹ 0.91 करोड़ का व्यर्थ निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय था जैसा कि ***तालिका- 1.4*** में दिया गया है।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	योग
कार्यरत पीएसयू का शुद्ध लाभ (+)/हानि(-)	309.44	(-) 1876.98	(-) 420.14	(-) 1987.68
सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रणीय हानि	1958.08	204.13	38.08	2200.29
व्यर्थ निवेश	44.12	0	0.91	45.03

1.18 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं की थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम वापसी का भुगतान हो सके। अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 12 पीएसयू ने ₹ 123.66 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल दो पीएसयू[9] ने ₹ 3.57 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619 (बी) के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। इसीतरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, अंकेक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण भण्डारगृह निगम अधिनियम-1962 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सितम्बर 2014 तक कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों को तैयार करने की प्रगति का विवरण ***तालिका 1.5*** में प्रस्तुत है।

[9] सीआरव्हीव्हीएनएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

तालिका - 1.5

क्र. स.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	17[10]	18[11]	20[12]	19	20
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	16	15	16	24	22
3.	बकाया लेखों की संख्या	36	38	41	36	36[13]
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	2.25	2.24	2.16	1.89	1.80
5.	बकाया लेखों वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	15	15	15	15	15
6.	बकाया लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 6	1 से 5	1 से 6	1 से 7	1 से 7

1.20 पीएसयू के लंबित लेखों की संख्या 2009-10 में 15 पीएसयू के संदर्भ में 36 लेखों से 2011-12 में बढ़कर 15 पीएसयू के संदर्भ में 41 हो गई, जो वर्ष 2013-14 में घटकर 15 पीएसयू के संदर्भ में 36 हो गई थी।

1.21 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित 10 पीएसयू में ₹ 5101.97 करोड़ (समता ₹ 0.45 करोड़, ऋण ₹ 1063.74 करोड़, अनुदान ₹ 294.65 करोड़ एवं उपदान ₹ 3743.13 करोड़) का निवेश उन वर्षों मे किया जिनमें लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये है, जिसका विवरण ***अनुलग्नक 1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा-जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी। इसप्रकार, पीएसयू में सरकारी निवेश राज्य की विधायिका की संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

1.22 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा में कर रहे है। यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य की जानकारी दे दी गई, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा इन पीएसयू की शुद्ध परिसम्पत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सका। बकाया लेखों

[10] राज्य सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार, 1 जनवरी 2009 से प्रभावी पाँच कंपनियों में विखंडित सीएसईबी को शामिल करते हुये। सीएसईबी का नाम अध्याय में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है, जिसके 2008-09 तक के लेखों का अंतिमीकरण बकाया था

[11] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है

[12] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया और 14 दिसम्बर 2011 को स्थापित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। जबकि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कंपनी ने दो पृथक लेखे, पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है

[13] तीन लेखे वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आरएनएनटीएल द्वारा प्रस्तुत किया जाना है

का मामला हमारे द्वारा मुख्य सचिव की जानकारी में भी लाया गया (सितम्बर 2014) ताकि बकाया लेखों का समयबद्ध रूप से जल्दी निपटारा किया जा सके।

1.23 उपरोक्त बकाया लेखों के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लेखों के समयबद्ध अंतिमीकरण को सुनिश्चित करते हुये उनकी निगरानी करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.24 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि में 14 कार्यरत कंपनियों ने अपने 21 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से 12 कंपनियों[14] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र एवं 15 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता हैं। वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण ***तालिका 1.6*** में दिया गया हैं।

तालिका - 1.6

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	8	1024.43	6	9.41	7	3.70
2.	हानि में वृद्धि	-	-	4	42.66	3	216.54
3.	लाभ में वृद्धि	-	-	4	10.90	4	0.90
4.	हानि में कमी	1	6469.24	3	129.49	4	1448.49

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनियों के अंतिमीकृत लेखों से संबंधित सीएजी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आगे दी गई हैं:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (2012-13)

- आयकर विभाग द्वारा की गई आयकर की मांग का प्रावधान न करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को देय वार्षिक प्रभार का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ ₹ 46.17 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2011-12)

- 'डीसीपी[15] चावल के क्रय पर ब्याज' की गलत गणना करने के कारण दीर्घकालीन प्रावधानों तथा वर्ष की हानि को ₹ 4.33 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

[14] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएमएससीएल

[15] विकेन्द्रीकृत उपार्जन

- ''शुगर इक्वलाइजेशन कोष से अंतर की राशि'' से आय का लेखा कम राशि से होने के कारण वर्ष की हानि को ₹ 1.82 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2010-11)

- वर्ष 2010-11 के लिए बकाया वेतन के भुगतान हेतु प्रावधान न करने के कारण वर्ष के लाभ को ₹ 15.75 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2006-07)

इन कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 2.41 करोड़ से अधिक दिखाया गयाः

- 1 जुलाई 2000 से 31 मार्च 2002 की अवधि का एमपीएसआईडीसी की इण्टर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर ₹ 1.59 करोड़ के उपार्जित ब्याज का लेखों में प्रावधान न करना।

- तीन वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित देनदारों के पूर्व शेषों के सम्बन्ध में ₹ 70.24 लाख के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करना।

- ₹ 11.83 लाख के अस्वीकृत उद्गम स्थान पर कर की कटौती (टीडीएस) की वापसी के दावे का प्रावधान न करना।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2012-13)

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड से क्रय की गई विद्युत की लागत का लेखा कम राशि से करने के कारण वर्ष की चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 23.39 करोड़ से कम दिखाया गया।

- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के पारेषण प्रभारों को जो कि वर्ष 2013-14 में भुगतान किये गये, का प्रावधान न करने के कारण वर्ष की व्यापारिक देयताओं तथा हानि को ₹ 3.31 करोड़ से कम दिखाया गया।

- जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को विद्युत क्रय देयकों का देरी से भुगतान करने के कारण देय दाण्डिक ब्याज का 31 मार्च 2013 को प्रावधान न करने के कारण, वर्ष की चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 1.55 करोड़ से कम दिखाया गया।

- मेसर्स एसीबी तथा मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड से संबंधित विद्युत क्रय के व्ययों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को 31 मार्च 2013 को देय राशि का प्रावधान न करने के कारण वर्ष की चालू देयताओं तथा हानि को ₹ 0.94 करोड़ से कम दिखाया गया।

- सीएसईआरसी के द्वारा 18 जुलाई 2013 को जारी निर्देशों के अनुपालन में म.प्र. विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड से 27 मार्च 2006 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के रिएक्टिव विद्युत प्रभारों के सम्बंध में प्राप्त राशि का लेखांकन न करने के कारण हानि को ₹ 10 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

- अनिर्धारित इण्टरचेन्ज पर ब्याज ₹ 77.74 लाख का लेखांकन न करने से जो कि माह मार्च 2013 की एकत्रित आय से सम्बंधित थी, के परिणामस्वरूप संचालन से आय, व्यापारिक देयताओ को कम करके दिखाया गया तथा हानि को ₹ 77.74 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2012-13)

- ''एसएलडीसी विकास निधि'' में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा लघुकालीन ओपन एक्सेस प्रभारों (एसएलडीसी प्रभारों) के रूप में वसूली गई ₹ 1.01 करोड़ की राशि को पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने के कारण वर्ष की हानि को ₹ 0.51 करोड़ से अधिक दिखाया गया। यद्यपि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित बातें) विनियमन, 2010 के अनुसार, केवल एसएलडीसी प्रभारों का 50 प्रतिशत ही स्थानांतरित किया जाना था।

- कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित उपकेन्द्रों के संचालन एवं संधारण, वृक्षारोपण एवं विज्ञापन से संबंधित व्ययों का प्रावधान न करने के कारण, जिनका भुगतान वर्ष 2013-14 के दौरान हुआ, हानि को ₹ 0.56 करोड़ से कम दिखाया गया।

सांविधिक निगमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

1.25 इसीप्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने वर्ष 2012-13 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिए गए तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। सांविधिक निगम पर वैधानिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

तालिका - 1.7

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.81	-	-
2	लाभ में कमी	2	1056.20[16]	-	-	1	0.20
	योग		**1056.20**		**0.81**		**0.20**

1.26 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के वर्ष 2012-13 के लेखों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

- 31 मार्च 2013 की अवधि के गोदाम किराये की राशि का प्रावधान न करने के कारण, जिसका कि अगले वर्ष भुगतान किया गया, वर्ष का लाभ ₹ 11.92 लाख से अधिक दिखाया गया।

[16] लाभ में कमी ₹ 1056.11 करोड़ की पूर्ववर्त्ती सीएसईबी की अवधि 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर 2008 से संबंधित है जो कि 1 जनवरी 2009 को पाँच कंपनियों में विखंडित हुई। सीएसईबी के एसएआर का अंतिमीकरण 2011-12 के दौरान हुआ

- जून 2006 से मार्च 2013 से संबंधित बकाया वेतन की राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य देयताओं को कम करके दिखाया गया वहीं लाभ को ₹ 8.24 लाख से अधिक दिखाया गया।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.27 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउण्टेंट) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा अंकेक्षण की गई कंपनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2013-14 के दौरान ग्यारह कंपनियों[17] के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गए मुख्य टिप्पणियों का सारांश उदाहरण सहित ***तालिका - 1.8*** में दिया गया हैं।

तालिका - 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहाँ अनुशंसायें की गई थी	कंपनियों की क्रम संख्या परिशिष्ट - 1.3 के अनुसार
1.	भंडार एवं पुर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	3	ए-10, ए-11, ए-14
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	10	ए-01, ए-06, ए-10, ए-11, ए-12, ए-13, ए-14, ए-15, ए-16, ए-17
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हो, का संधारण नहीं होना	8	ए-01, ए-05, ए-06, ए-10, ए-11, ए-14, ए-15, ए-16
4.	स्कंध का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया	4	ए-01, ए-05, ए-06, ए-14

लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ

1.28 वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबंधन को ₹ 52.26 करोड़ की वसूली बताई गई, जिसमें ₹ 13.85 करोड़ स्वीकार की तथा उसमें से ₹ 0.64 करोड़ की वसूली वर्ष 2013-14 के दौरान की गई।

[17] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल एवं सीएमएससीएल

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.29 सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति ***तालिका 1.9*** में दर्शित हैं।

तालिका - 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में रखा गया		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधायिका में रखे जाने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2011-12	21.02.2013	16.07.2013
		2012-13	11.02.2014	प्रस्तुत किया जाना शेष है

(स्रोतः निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती हैं। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.30 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मण्डल का विखंडन पाँच कंपनियों[18] में हुआ जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी था।

1.31 राज्य में मई 2004 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण के संबंध में सुझाव देने एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के उद्देश्यों के साथ किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर छः एवं अन्य मामलों में 80 आदेश जारी किये।

1.32 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार ने मई 2000 में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। यद्यपि नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्त्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इसप्रकार सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और चिन्हित उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

[18] सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल और सीएसपीटीसीएल

दूसरा अध्याय

2. सांविधिक निगम की समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के क्रियाकलाप

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

***2009-10** से **2013-14** की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (निगम) की मुख्य गतिविधियाँ गोदामों का निर्माण/किराये में लेकर मुख्यरूप से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (सीएससीएससीएल) एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल, गेहूँ, शक्कर, चना एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण की सेवायें प्रदान करना था। निगम के पास मार्च **2014** की समाप्ति पर **14.02** लाख मीट्रिक टन (**9.11** लाख मीट्रिक टन स्वयं की एवं **4.91** लाख मीट्रिक टन किराये की) की भण्डारण क्षमता थी।*

योजना एवं गोदामों का निर्माण

*निगम भविष्य की भण्डारण आवश्यकताओं का आंकलन नहीं करता एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा आंकलित की गई भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार गोदाम निर्माण के लिये व्यवस्थित योजना नहीं बनायी। यह निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, **2009**, में स्वीकृत एक केन्द्रीय योजना एवं समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) की विभिन्न योजनाओं के अनुसार गोदाम निर्माण का कार्य सम्पादित करती है।*

*पीईजी योजना के अधीन निगम **4.92** लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध **2.87** लाख मीट्रिक टन का निर्माण कर सकी एवं मार्च **2014** की समाप्ति पर **2.05** लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता में वृद्धि की कमी थी।*

*निगम ने अनुपयुक्त भूमि/वन भूमि पर गोदाम निर्माण के लिए ₹ **73.36** लाख का अतिरिक्त व्यय किया एवं विवादित भूमि पर गोदामों के निर्माण के कारण ₹ **91.46** लाख अवरूद्ध हुआ।*

*अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन हुआ क्योंकि प्रबंध संचालक ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर ₹ **67.98** लाख मूल्य का अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किया।*

*निगम ने ठेकेदार से जो कि काम छोड़कर चला गया था से ₹ **32.30** लाख की जोखिम एवं लागत की राशि वसूल नहीं किया।*

*निगम ने गोदाम निर्माण में विलम्ब के लिए ठेकेदार पर ₹ **84.40** लाख की कम शास्ति अधिरोपित किया एवं ₹ **3.92** करोड़ की व्यवसायिक हानि वसूल नहीं किया एवं फ्लाई ऐश ईटों के बदले में मिट्टी की ईटों का उपयोग करके पर्यावरण मापदण्डों का उल्लंघन किया।*

वित्तीय प्रबंध

*निगम की कुल आय ₹ **52.39** करोड़ जो कि **2009-10** में थी से बढ़कर **2012-13** में ₹ **78.50** करोड़ हो गयी।*

*भारतीय खाद्य निगम को विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने के कारण निगम को ₹ **88.89** लाख की ब्याज की हानि हुई।*

*प्रयासों के अभाव के कारण एक केन्द्रीय योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) में ₹ **1.01** करोड़ तथा राज्य की योजनाओं में ₹ **1.25** करोड़ के बकाया दावे प्राप्त नहीं हुए।*

*सेवाकर के भुगतान में विलम्ब के कारण निगम ने ₹ **72.24** लाख की शास्ति का भुगतान किया।*

गोदामों की क्षमता की उपयोगिता

समीक्षा अवधि के सभी पाँच वर्षों में गोदाम की क्षमता की समग्र उपयोगिता 90 प्रतिशत से अधिक थी। यद्यपि, दो शाखाओं के गोदामों का उपयोग कभी नहीं हुआ एवं चार से 13 शाखाओं के स्वयं के गोदामों तथा नौ से 14 शाखाओं के किराये के गोदामों की उपयोगिता 50 प्रतिशत से कम थी।

गोदामों का संचालन एवं अनुरक्षण

समीक्षा के सभी पाँच वर्षों में छः शाखाओं में लगातार हानि होने के बावजूद निगम ने हानियों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

भण्डारण टैरिफ के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए एफसीआई ने भण्डारण हानि के लिए भण्डारण शुल्क के बिलों से ₹ चार करोड़ रोक लिया।

मानक मापदण्ड से निम्न के कीटनाशक का उपयोग एवं रसायन के खाली डिब्बों का निपटान न करते हुए निगम ने मापदण्डों का उल्लंघन किया।

निष्कर्ष

निगम को पीईजी योजना 2009 के तहत 4.92 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण करना था परन्तु मार्च 2014 के अन्त तक मात्र 2.87 लाख मीट्रिक टन निर्माण किया गया। इस प्रकार भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि आदि के कारण गोदाम निर्माण में विलम्ब होने से क्षमता वृद्धि में 2.05 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 3.22 करोड़) और लघु वनोपज संघ (मई 2002 से बकाया ₹ 1.33 करोड़) से ₹ 4.55 करोड़ भण्डारण शुल्क तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। इसमें एक प्रकरण ₹ 2.59 करोड़ का संबंध भौतिक सत्यापन में पायी गई चावल की कमी से था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित किया गया है (सितम्बर 2005), जिसकी जाँच चल रही है।

प्रस्तावना

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (निगम) का गठन (मई 2002) राज्य भण्डारगृह निगम अधिनियम 1962 (अधिनियम) के अन्तर्गत हुआ था। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान निगम की मुख्य गतिविधियाँ गोदामों का निर्माण कराकर/किराये में लेकर मुख्यरूप से छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल) एवं भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चावल, गेहूँ, शक्कर, चना एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण की सेवायें प्रदान करना था।

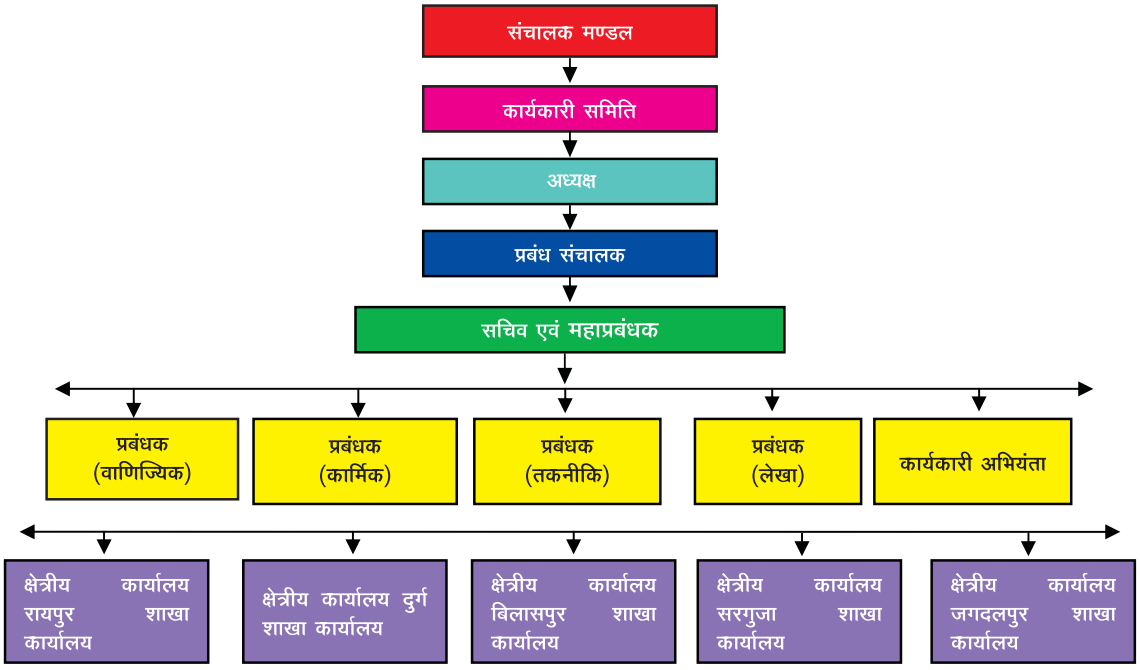
निगम स्थान, भण्डारण स्थल की उपलब्धता एवं जमाकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर स्वयं के गोदाम के साथ ही आवश्यकतानुसार किराये के गोदाम के भंडारण स्थल का उपयोग करती है।

1 अप्रैल 2009 को कुल भण्डारण क्षमता 9.98 लाख मीट्रिक टन (स्वयं के गोदामः 4.97 लाख मीट्रिक टन और किराये के गोदामः 5.01 लाख मीट्रिक टन) थी। 31 मार्च 2014 को कुल भंडारण क्षमता 14.02 लाख मीट्रिक टन (स्वयं के गोदामः 9.11 लाख मीट्रिक टन एवं किराये के गोदामः 4.91 लाख मीट्रिक टन) तक बढ़ गयी। समीक्षा अवधि के दौरान स्वयं के एवं किराये के गोदामों की एक साथ उपयोगिता का प्रतिशत 91 एवं 101 के बीच था।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम में भण्डारगृहों के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण पर निष्पादन लेखापरीक्षा जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 में सम्मिलित थी, को जुलाई 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई एवं अनुशंसाएँ अभी तक (सितम्बर 2014) प्राप्त नहीं हुई।

संगठन संरचना

2.2 निगम संचालक मण्डल (बीओडी) द्वारा संचालित होता है। 31 मार्च 2014 की स्थिति में, संचालक मण्डल में एक पूर्णकालिक प्रबंध संचालक (एमडी) सहित नौ संचालक[1] थे एवं सभी संचालक कार्यशील है। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन प्रबंध संचालक द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता वित्त, वाणिज्यिक, कार्मिक एवं तकनीकि संभागों के चार प्रभारी प्रबंधक करते हैं। एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति[2] भी मासिक बैठकों के माध्यम से निगम की गतिविधियों की समीक्षा करती है। मार्च 2014 की स्थिति में, निगम के पास 632 स्वयं के गोदाम एवं 330 किराये के गोदाम मिलाकर पाँच क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) एवं 125 शाखा कार्यालय (बीओ) थे। शाखा कार्यालय शाखा प्रभारी द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी सहायता तकनीकि सहायक एवं सहायक कर्मचारी करते हैं। संगठन चार्ट नीचे दिया गया है:



[1] सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग; संयुक्त सचिव, वित्त और योजना; प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड; कार्यकारी निदेशक, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज एवम् सहकारी संघ; महाप्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम; क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भण्डारगृह निगम; प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उप सचिव एवं उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

[2] कार्यकारी समिति में संचालक मण्डल के अध्यक्ष, प्रबंध संचालक एवं तीन अन्य संचालक सम्मिलित होते हैं

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 निगम की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्याः

- गोदाम के लिए एक अच्छी सुनियोजित योजना एवं निर्माण तंत्र विद्यमान था एवं इसे प्रभावशाली एवं मितव्ययी ढंग से अनुसरण किया गया;
- निधि प्रबंधन कुशल था;
- स्वयं के एवं किराये के गोदामों की उपयोगिता उच्चतम थी; और
- गोदामों का संचालन एवं अनुरक्षण कुशल था।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.4 निगम का प्रदर्शन निम्नलिखित सन्दर्भों में आंकलित किया गयाः

- भण्डारगृह निगम अधिनियम 1962 एवं भण्डारगृह (विकास और विनियमन) अधिनियम 2007 (डब्ल्यूडीआर अधिनियम);
- निगम की संचालक मण्डल की बैठक का एजेण्डा एवं सूक्ष्म;
- ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)/ग्रामीण भण्डारण योजना (जीबीवाय)/सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण (एसयूव्हीपी)/बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण (बीडीकेव्हीपी)/निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, 2009 के दिशा-निर्देश;
- गोदाम किराया के निर्धारण, गोदाम को किराये पर लेने के लिए मापदण्ड एवं निगम द्वारा निर्धारित भण्डारण शुल्क;
- निगम द्वारा अनुरक्षण एवं गोदाम क्षमता की उपयोगिता के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड; एवं
- भण्डारगृह (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 के संचालन के लिये भंडारगृह मेन्यूअल के अनुसार कीट नियंत्रण/धूम्रीकरण और निगम द्वारा अंगीकृत भण्डारण हानि के लिए मापदण्ड।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.5 निगम के क्रियाकलापों की समीक्षा मुख्यालय, पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों में से दो क्षेत्रीय कार्यालयों (बिलासपुर एवं रायपुर) और 125 शाखा कार्यालयों में से 12 शाखा कार्यालयों (बागबहरा, दुर्ग, बिलासपुर, अभनपुर, राजिम, मंदिरहसौद, महासमुन्द, अकलतरा, जांजगीर, लोहरसिंग, किरोड़ीमल नगर और राजनांदगाँव) के 2009-10 से 2013-14 की अवधि के लेन-देन को समाहित करते हुए 24 मार्च 2014 से 30 जून 2014 में की गयी। शाखा कार्यालयों का चयन प्रत्येक

शाखा कार्यालय के व्यवसाय की मात्रा एवं गोदामों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

23 अप्रैल 2014 को आयोजित आगमन सम्मेलन के दौरान निगम/ छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ निगम एवं राज्य शासन को जुलाई 2014 में प्रेषित की गई एवं निगम का उत्तर 9 सितम्बर 2014 को प्राप्त हुआ। यद्यपि, शासन का उत्तर अभी तक (अक्टूबर 2014) प्राप्त नहीं हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तिमीकरण के दौरान निगम द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव के साथ निर्गमन सम्मेलन 12 सितम्बर 2014 को आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

2.6 लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

योजना एवं गोदामों का निर्माण

योजना

2.7 निगम ने भविष्य की भण्डारण आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया एवं राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी)[3] द्वारा आंकलित की गई भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार गोदाम निर्माण के लिए व्यवस्थित योजना नहीं बनाई। निगम पीईजी योजना में स्वीकृत एवं राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर गोदाम निर्माण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गोदाम निर्माण करती है। पीईजी योजना में राज्य स्तरीय समिति राज्य में भण्डारण आवश्यकता का आंकलन करती है एवं गोदाम निर्माण के लिए अपनी अनुशंसाएँ उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)[4] को अनुमोदन के लिए भेजती है।

निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए कोई नीति या योजना नहीं बनायी गयी।

गोदाम निर्माण की नीति नहीं बनाने से संबंधित तथ्य को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष की कंडिका 6.2.9 में सूचित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम में भण्डारगृहों का निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण पर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में चर्चा के आधार पर निगम ने संचालक मण्डल की 20 वीं बैठक (मार्च 2010) में गोदाम निर्माण की नीति प्रस्तुत की, जिसे अगली संचालक मण्डल की बैठक में चर्चा के लिए टाल दिया गया। यद्यपि, उत्तरवर्ती संचालक मण्डल की बैठकों में नीति पर कोई चर्चा नहीं हुई एवं निगम ने अभी तक

[3] राज्य स्तरीय समिति में राज्य के सचिव (खाद्य) तथा निदेशक (खाद्य), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कार्यपालक निदेशक (जोन) एवं महाप्रबंधक (क्षेत्रीय), केन्द्रीय भण्डारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं निगम के प्रबंध संचालक सम्मिलित है

[4] उच्च स्तरीय समिति में भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एफसीआई के सीएमडी, सीडब्ल्यूसी के एमडी एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित है

(सितम्बर 2014) न ही कोई नीति बनायी न ही गोदाम निर्माण के लिए कोई योजना बनायी।

पीईजी योजना के अन्तर्गत लक्षित निर्माण का प्राप्त न होना

2.8 निजी उद्यमी गारंटी योजना, 2009 एफसीआई की भण्डारण एवं राज्य की आवश्यकता के लिए गोदाम निर्माण को प्रदर्शित करती है। इस योजना के अन्तर्गत एफसीआई एवं राज्य शासन द्वारा भण्डारण शुल्क की नौ वर्ष की गारंटी दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तरीय समिति ने राज्य में भण्डारण आवश्यकता का निरीक्षण किया (सितम्बर 2010) तथा उच्च स्तरीय समिति को कुल 3.02 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता की गोदाम निर्माण की अनुशंसाएँ भेजी, जिसने 2.17 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता वृद्धि की अनुमति दी (मार्च 2011), जिसमें 1.92 लाख मीट्रिक टन का निर्माण निगम द्वारा एवं 0.25 लाख मीट्रिक टन का निर्माण केन्द्रीय भण्डारगृह निगम (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किया जाना था। अगस्त 2011 में, राज्य स्तरीय समिति ने 3.22 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के गोदाम निर्माण की अनुशंसाएँ की एवं उच्च स्तरीय समिति ने 3.20 लाख मीट्रिक टन क्षमता की अनुमति दी (नवम्बर 2012), जिसमें 3.00 लाख मीट्रिक टन का निर्माण निगम द्वारा एवं 0.20 लाख मीट्रिक टन सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाना था।

पीईजी योजना के अधीन गोदाम निर्माण में 2.05 लाख मीट्रिक टन की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम 4.92 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध 2.87 लाख मीट्रिक टन[5] क्षमता का गोदाम निर्माण कर सकी। इस प्रकार, मार्च 2014 की समाप्ति पर पीईजी योजना के अधीन उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत क्षमता में 2.05 लाख मीट्रिक टन क्षमता की वृद्धि की कमी थी। इसमें से 1.19 लाख मीट्रिक टन गोदाम निर्माण में विलंब भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि एवं रेत की अनुपलब्धता के कारण हुआ एवं शेष 0.86 लाख मीट्रिक टन गोदाम क्षमता ठेकेदार के कारण पूर्ण नहीं हो पायी। यह भी पाया गया कि एफसीआई एवं छत्तीसगढ़ सरकार से नौ वर्षीय गारंटी योजना के अधीन 2.87 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण हुआ, यद्यपि, वेब्रिज के स्थापित न होने के कारण एवं शेष निर्माणाधीन गोदामों में अन्य कार्य जैसे बाउंड्रीवाल, पहुँच रास्ते आदि पूर्ण न होने के कारण निगम एफसीआई को केवल 0.40 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता के गोदामों को स्थानान्तरित कर सकी। जिसके परिणामस्वरूप, निगम 2.47 लाख मीट्रिक टन गोदाम क्षमता के संबंध में पीईजी के अधीन नौ वर्षीय भण्डारण गारंटी का लाभ नहीं ले सकी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) शेष गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रबंधन ने पुनः कहा कि पीईजी योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार निर्मित एवं निर्माणाधीन गोदामों में इलेक्ट्रानिक वेब्रिज स्थापित किये जा रहे है एवं 34 गोदामों में स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

तथ्य यह रहा कि निर्माण कार्य पूर्ण न होने एवं गोदामों में वेब्रिज की स्थापना न होने के कारण निगम पीईजी योजना का लाभ नहीं ले सका।

[5] वर्ष 2011 एवं 2012 में क्रमशः 1.92 लाख मीट्रिक टन एवं 3.00 लाख मीट्रिक टन के स्वीकृत लक्ष्य के विरूद्ध 1.87 लाख मीट्रिक टन एवं 1.00 लाख मीट्रिक टन

गोदामों का निर्माण

2.9 निगम कृषि उत्पाद, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरणों एवं अधिसूचित वस्तुओं के भण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण स्वयं की निधि एवं ऋण लेकर/केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुदान ***(अनुलग्नक-2.1)*** लेकर भी करती है। निगम भण्डारण आवश्यकताओं के अनुसार गोदामों को किराये पर भी लेती है। 2013-14 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान स्वयं की भण्डारण क्षमताओं में वृद्धि का विवरण नीचे ***तालिका-2.1*** में दिया गया है।

तालिका - 2.1

(क्षमता मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्रारंभ में विद्यमान क्षमता		वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि		वर्ष के अन्त में कुल क्षमता	
	गोदामों की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	गोदामों की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में	गोदामों की संख्या	क्षमता मीट्रिक टन में
2009-10	412	497412	6	8000	418	505412
2010-11	418	505412	38	78436	456	583848
2011-12	456	583848	46	89864	502	673712
2012-13	502	673712	47	90600	549	764312
2013-14	549	764312	83	147400	632	911712
योग			**220**	**414300**		

(स्त्रोतः निगम का व्यवसायिक प्रतिवेदन)

2009-14 के दौरान 127 गोदाम निर्माण के लिए दिये गये आदेशों में से 50 अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीः

गोदामों के निर्माण में अतिरिक्त व्यय/निधि का अवरूद्ध होना

2.10 अभिलेखों की संवीक्षा से यह पाया गया कि निगम ने अनुपयुक्त भूमि पर गोदामों का निर्माण एवं भूमि आबंटन के लिए आवेदन देने में विलंब के कारण तीन प्रकरणों में ₹ 73.36 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। विवादित स्थल पर गोदाम के निर्माण के कारण ₹ 91.46 लाख अवरूद्ध हुआ। इन प्रकरणों का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक-2.2*** में दिया गया है।

अतिरिक्त निर्माण कार्य के आदेश में अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन

2.11 निगम के अधिकारों का प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार आदेशित कार्य का 20 प्रतिशत तक के अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति के लिए प्रबंध संचालक (एमडी) सक्षम है तथा 20 प्रतिशत से अधिक के लिए निविदा समिति सक्षम है। प्रबंध संचालक ने महासमुन्द एवं जनकपुर दो प्रकरणों में बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए ₹ 67.98 लाख का अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करके अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन किया। यद्यपि ये कार्य वास्तविक कार्य से 20 प्रतिशत अधिक था, फिर भी इन कार्यों की स्वीकृति दी गई।

अधिकारों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करते हुए प्रबंध संचालक द्वारा ₹ 67.98 लाख का अतिरिक्त कार्य का आदेश दिया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निगम प्रादर्श प्राक्कलन के आधार पर निविदा आमंत्रित करती है क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ शासन भूमि उपलब्ध नहीं कराती एवं निर्माण की लागत कार्य के सम्पादन एवं बाउंड्रीवाल के निर्माण के दौरान बढ़ गयी है। निगम ने पुनः कहा कि गोदाम एवं बाउंड्रीवाल का निर्माण एक दूसरे से भिन्न है एवं इसे एक ही कार्य नहीं माना जा सकता।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि बाउंड्रीवाल का निर्माण बिना नवीन निविदा आमंत्रित किये अतिरिक्त कार्य के रूप में आबंटित किया गया, इसलिए इसे पृथक कार्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, निगम अतिरिक्त कार्यों के सम्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने में असफल रही।

निविदा प्रक्रिया का अनुपालन न होना

2.12 नमूना जाँच के दौरान, गोदामों के निर्माण के क्रियान्वयन में निविदा प्रक्रिया के अनुपालन न होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गयी।

(i) बिना निविदा प्रक्रिया के कार्यादेश जारी करना

धमतरी में भूमि भराव के अतिरिक्त कार्य को धमतरी के एक भिन्न स्थल के ठेका का अतिरिक्त कार्य मानते हुए मेसर्स राहुल कंस्ट्रक्सन को ₹ 48.74 लाख का बिना निविदा आमंत्रित किये आदेश दिया (दिसम्बर 2011)।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निविदा के परिच्छेद 13 के अनुसार, ठेका मूल्य का 25 प्रतिशत तक का अतिरिक्त/परिवर्तन कार्य समान दर पर उसी ठेकेदार को दिया जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर सही नहीं है क्योंकि भिन्न स्थल पर भूमि भराव का कार्य एक भिन्न कार्य था एवं अतिरिक्त/परिवर्तन कार्य नहीं था।

(ii) एक ठेकेदार से जोखिम एवं लागत की राशि वसूल न करना

निगम ने पेन्ड्रारोड में 3600 मीट्रिक टन क्षमता गोदाम निर्माण का कार्य का आदेश मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेटर्स, मनेन्द्रगढ़ को दिया (जुलाई 2010)। ठेकेदार ने 34 प्रतिशत कार्य के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य दूसरे ठेकेदार मेसर्स साई इन्फ्रास्ट्रक्चर से ₹ 32.30 लाख का अतिरिक्त व्यय करते हुए कराया गया। निगम ने ठेका की जोखिम एवं लागत के अनुसार मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेटर्स से ₹ 32.30 लाख की अतिरिक्त व्यय की वसूली नहीं की।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि जोखिम एवं लागत की राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी जोखिम एवं लागत की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कार्य के विलम्ब से सम्पादित होने के लिए व्यवसायिक हानि/शास्ति की वसूली न करना

2.13 निविदा की शर्तों एवं उपबन्धों में गोदामों के विलम्ब से निर्माण के लिए कुल ठेका मूल्य का छः प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, यदि निर्माण में तीन माह से अधिक विलंब होता है तो ठेकेदार से गोदाम किराया (पूर्ण क्षमता) प्रति मीट्रिक टन प्रति माह की दर से व्यवसायिक हानि की भी वसूली किया जाना था।

हमने पाया कि 127 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में विस्तृत ***अनुलग्नक-2.3*** में, निगम ने 81 से 705 दिनों की समय वृद्धि प्रदान की। ठेकेदार द्वारा विलम्ब के लिए दिये

गये कारणों में मुख्य रूप से भारी वर्षा, नक्सल समस्या, ठोस चट्टान, पहाड़ी क्षेत्र, सामग्री की अनुपलब्धता, श्रमिक समस्या, पानी की समस्या, अतिरिक्त कार्य आदि सम्मिलित है। इन कारणों को निगम द्वारा स्वीकार्य किया गया एवं तदानुसार कम शास्ति या कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। विलम्ब के लिए इन कारणों को स्वीकार करने की निगम की कार्यवाही उचित नहीं थी क्योंकि ये कारण निविदा प्रस्तुत करते समय ठेकेदारों के संज्ञान में था, जिसे पूर्णता की निर्धारित तिथि को स्वीकार करते समय ध्यान में रखना चाहिए था। निर्दिष्ट दर से शास्ति अधिरोपित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 84.40 लाख की कम शास्ति अधिरोपित की गयी जैसाकि ***अनुलग्नक-2.3*** में दर्शित है ।

कार्य के विलम्ब से पूर्णता के लिए ₹ 84.40 लाख की कम/कोई शास्ति अधिरोपित न करना एवं ₹ 3.92 करोड़ की व्यवसायिक हानि की वसूली न करना।

हमने पुनः पाया कि 25 प्रकरणों में गोदामों के निर्माण में तीन माह से अधिक विलम्ब होने के बावजूद, निगम ने ₹ 3.92 करोड़ की व्यवसायिक हानि ठेकेदारों से वसूल नहीं की जैसाकि ***अनुलग्नक-2.4*** में दर्शित है ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि भारी वर्षा, नक्सल समस्या, ठोस चट्टान, पहाड़ी क्षेत्र, वृक्षों की उपस्थिति, काली भूमि, पानी की अनुपलब्धता, श्रमिक समस्या, स्थल में इलेक्ट्रिक पोल की उपस्थिति आदि के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि ठेका की सामान्य शर्तें एवं उपबन्ध स्पष्ट रूप से कहती है कि विलम्ब से सम्पादन के लिये ठेकेदार उत्तरदायी होंगे इसलिए, सम्पूर्ण विलंब के लिए शास्ति एवं व्यवसायिक हानि अधिरोपित करने योग्य है।

गोदामों के निर्माण में पर्यावरण मापदण्डों का उल्लंघन

2.14 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी (अगस्त 2003) निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्रों की 100 किलोमीटर की परिधि में सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ईटों का उपयोग अनिवार्य है। राज्य स्तर पर, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियमन एजेंसी है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोरबा में गोदामों का निर्माण कराया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2009-10 के दौरान निगम ने कोरबा में 3600 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए फ्लाई ऐश ईटों के स्थान पर मिट्टी की ईटों का उपयोग किया। मिट्टी की ईटों के उपयोग को रोकने के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से निर्देश प्राप्त (जनवरी 2010) होने पर निगम ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड को भविष्य के निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ईटों के उपयोग के लिए आश्वस्त किया (जनवरी 2010)। निगम ने पुनः 2010-11 के दौरान कोरबा में दो गोदाम, प्रत्येक 1800 मीट्रिक टन क्षमता, के निर्माण में मिट्टी की ईटों का उपयोग किया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निगम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के 2003 में जारी निर्देशों से अवगत नहीं था, जिसमें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्रों की 100 किलोमीटर की परिधि में फ्लाई ऐश ईटों का उपयोग अनिवार्य था। इसलिए, गोदामों के निर्माण में मिट्टी के ईटों का उपयोग किया गया।

प्रबंधन का उत्तर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के निर्देश के प्रतिउत्तर में भविष्य के निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ईटों के उपयोग के लिए आश्वासन देने (जनवरी 2010) के बावजूद, 2010-11 में मिट्टी के ईटों के उपयोग के बारे में चुप है।

वित्तीय प्रबंध

2.15 पिछले चार वर्षों की निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को ***अनुलग्नक-2.5*** में दिया गया हैं। निगम की कुल आय वर्ष 2009-10 में ₹ 52.39 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 78.50 करोड़ हो गयी। कर के पूर्व लाभ भी वर्ष 2009-10 में ₹ 33.17 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 40.51 करोड़ हो गया। 2009-10 से 2012-13 के वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों का विश्लेषण नीचे दिखाया गया है:

- निगम की विनियोजित पूंजी 2009-10 में ₹ 103.42 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 220.61 करोड़ हो गयी।
- विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 2009-10 में ₹ 21.85 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 41.60 करोड़ हो गयी। यद्यपि, विनियोजित पूंजी की दर 2009-10 में 21.13 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 18.86 प्रतिशत हो गयी।
- निगम के व्यय का कुल आय में वृद्धि से अनुपात 2009-10 में 36.69 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 48.39 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय नियंत्रण से सम्बन्धित मामले की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

बकाया भण्डारण शुल्क की वसूली में विलंब

2.16 भण्डारण शुल्क जमाकर्ताओं या उनके एजेंटों को वस्तुओं की सपुर्दगी के समय देय होता है एवं जहाँ स्थान गारंटी के आधार पर किराये पर दिया जाता है वहाँ जमाकर्ताओं द्वारा मासिक भण्डारण शुल्क बिलों का भुगतान 15 दिनों के अन्दर किया जाना है। वर्षवार भण्डारण शुल्क से अर्जित आय एवं इसका बकाया ***तालिका-2.2*** में दिया गया है।

तालिका- 2.2

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भण्डारण शुल्क से वार्षिक राजस्व	46.58	46.53	56.26	66.35	लेखा संकलित नहीं
औसत मासिक राजस्व	3.88	3.88	4.69	5.53	
वर्ष के अन्त में प्राप्ति योग्य भण्डारण शुल्क	13.20	17.17	26.82	34.94	
कुल राजस्व से देय का प्रतिशत	28.34	36.90	47.67	52.66	
बकाया राजस्व के महीनों की संख्या	3.40	4.43	5.72	6.32	

(स्त्रोतः निगम के वार्षिक लेखे से संकलित आंकड़ें)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि लगभग तीन से छः माह का राजस्व बकाया था जो कि कुल राजस्व का 28.34 प्रतिशत से 52.66 प्रतिशत था।

31 मार्च 2014 की स्थिति पर, ₹ 16.84 करोड़ विभिन्न जमाकर्ताओं से बकाया था जिसमें से ₹ 6.98 करोड़ का बकाया तीन वर्षों से अधिक से था जिसका विस्तृत ब्यौरा ***तालिका-2.3*** में दिया गया है।

तालिका - 2.3

क्रम संख्या	जमाकर्ताओं का नाम	(₹ करोड़ में)
1	जिला विपणन संघ (डीएमएफ)	2.27
2	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)	0.16
3	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल)	3.22
4	लघु वनोपज संघ (एलव्हीएस)	1.33
	योग	**6.98**

(स्त्रोतः निगम द्वारा प्रदान किये गये आंकड़ें से संकलित आंकड़ें)

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से ₹ 3.22 करोड़ बकाया है जिसमें से ₹ 2.59 करोड़ भौतिक सत्यापन में पायी गयी चावल की कमी के मामले से सम्बन्धित है जिसे छत्तीसगढ़ शासन की आर्थिक अपराध शाखा को जाँच के लिए दिया गया (सितम्बर 2005) है जो कि चल रही है। रूपये 1.33 करोड़ मई 2002 से लघु वनोपज संघ से बकाया है। बकाया देय की वसूली के लिए निगम द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि जिला विपणन संघ से ₹ 2.27 करोड़ बकाया के विरूद्ध निगम ने भी जिला विपणन संघ को देय गोदाम किराया से ₹ 2.30 करोड़ रोक लिया है एवं ₹ 0.16 करोड़ भण्डारण शुल्क के बिल के उपलब्ध न होने कारण एफसीआई से बकाया है, जिसे अब भुगतान करने के लिए एफसीआई को प्रदान कर दिया गया है।

प्रबंधन का उत्तर पुष्टि करता है कि निगम ने जिला विपणन संघ से पुराने बकाया देय का निपटारा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं लघु वनोपज संघ से देय बकाया की वसूली के संबंध में किये गये प्रयास के बारे प्रबंधन ने कुछ भी नहीं कहा।

भण्डारण शुल्क के बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब

2.17 निगम विभिन्न जमाकर्ताओं के खाद्यान्नों का भण्डारण करती है एवं निगम द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार एफसीआई को छोड़कर अन्य जमाकर्ताओं से भण्डारण शुल्क एकत्रित करती है। एफसीआई के मामले में, निगम भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी दर के अनुसार भण्डारण शुल्क का दावा करती है। भारत सरकार ने भण्डारण शुल्क प्रति बैग[6] प्रति माह को ₹ 2.07 जून 2011 में, ₹ 2.13 जुलाई 2011 में, ₹ 2.45 अक्टूबर 2011 में, ₹ 2.73 अक्टूबर 2012 में एवं ₹ 2.92 सितम्बर 2013 में क्रमशः अप्रैल 2006, अप्रैल 2007, अप्रैल 2008, अप्रैल 2009 एवं अप्रैल 2010 के पूर्वगामी प्रभाव से संशोधित किया। निगम भण्डारण शुल्क के अन्तर का दावा एफसीआई से करती है एवं इसे एफसीआई द्वारा निगम को भुगतान किया जाता है।

[6] एक बैग में 50 किलोग्राम खाद्यान्न

विलंब से बिल प्रस्तुत करने एवं भंडारण शुल्क का विलम्ब से भुगतान प्राप्त होने के लिए दाण्डिक ब्याज अधिरोपित न करने के कारण निगम को ₹ 88.89 लाख की ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने एफसीआई से अन्तर के भण्डारण शुल्क का दावा निगम में दर संशोधन का पत्र प्राप्त होने से बिलों को प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन की अनुमति के बाद भी 29 से 220 दिन की सीमा तक विलंब से किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 34.29 लाख की ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि निगम की भण्डारण टैरिफ के अनुसार यदि जमाकर्ता बिलों को प्रस्तुत करने के बाद 15 दिन तक भण्डारण शुल्क का भुगतान करने में असफल रहता है तो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जायेगा। यद्यपि, निगम एफसीआई द्वारा 13 से 365 दिनों की अवधि से विलम्ब से भुगतान करने के बावजूद भी ब्याज का दावा करने सें विफल रहा। जिसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 54.60 लाख की राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (जून 2014) कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से सीडब्ल्यूसी एफसीआई से भण्डारण शुल्क एकत्र करता है एवं उसी दर को निगम द्वारा अंगीकृत किया जाता है। दर के निर्धारण के बाद, भुगतान के लिए एफसीआई को बिल प्रस्तुत किया जाता है एवं इस प्रक्रिया के कारण विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, दाण्डिक ब्याज का दावा नहीं किया गया क्योंकि निगम के मध्यप्रदेश भण्डारगृह एवं लाजिस्टिक निगम से विघटन के पूर्व के टैरिफ नियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब की गणना करते समय बिल प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए किया है एवं दाण्डिक ब्याज के प्रावधानों के सम्बन्ध में, निगम को भण्डारण टैरिफ जो कि 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील है के प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए न कि विघटन के पूर्व के टैरिफ का।

केन्द्र/राज्य योजनाओं की राशि छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त न करना

2.18 निगम अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण स्वयं की निधि एवं ऋण लेकर/केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुदान लेकर भी करती है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) एक केन्द्रीय योजना एवं राज्य की योजनायें जैसे बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण (बीडीकेव्हीपी) तथा सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण (एसयूव्हीपी) के अधीन प्राप्त अनुदान की संवीक्षा से निधि के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीः

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अधीन बकाया दावा (केन्द्रीय योजना)

प्रयास के अभाव के कारण केन्द्र/राज्य योजनाओं के अधीन गोदामों के निर्माण में भारत सरकार/छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा ₹ 2.26 करोड़ अप्राप्त।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की संरचना क्षेत्रीय विकास के असन्तुलन को दूर करने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार अधोसंरचना विकास के लिए राज्य शासन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत 10 गोदामों का निर्माण स्वीकृत किया गया। 10 गोदामों में से नौ गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका था एवं एक गोदाम का निर्माण कार्य प्रगति पर था (सितम्बर 2014)। निगम ने आठ गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि से ₹ 1.06 करोड़ का अधिक व्यय किया एवं एक गोदाम के निर्माण में ₹ 5.05 लाख की बचत की। यद्यपि, राशि की प्रतिपूर्ति के

लिए निगम ने छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से भारत सरकार से प्रयास नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज हानि के साथ ही ₹ 1.01 करोड़ अवरूद्ध हुआ।

राज्य योजनाओं के अधीन बकाया दावा

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण के तहत छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुदृढ़ करने के लिए इन योजनाओं में चिन्हित क्षेत्रों में गोदाम निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इन योजनाओं में गोदाम की लागत का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान के माध्यम से दिया जाता है एवं शेष 50 प्रतिशत गोदाम की लागत निगम द्वारा वहन किया जाना है।

छत्तीसगढ़ शासन (जीओसीजी) ने निगम को निर्देश दिया (मार्च 2010) कि इन योजनाओं के तहत वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹ 13.27 करोड़ की कुल लागत से 27 गोदामों का निर्माण करें । सत्ताईस में से 15 गोदाम ₹ 9.08 करोड़ की कुल लागत से पूर्ण किये गये एवं 12 गोदाम अभी तक पूर्ण नहीं हुये हैं।

पन्द्रह पूर्ण गोदामों के विश्लेषण से यह पाया गया कि निगम ने आठ गोदामों के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि से ₹ 1.56 करोड़ अधिक व्यय किया एवं सात गोदामों के निर्माण में ₹ 30.95 लाख की बचत की। यद्यपि, निगम ने राशि की प्रतिपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ शासन से प्रयास नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज हानि के साथ ही ₹ 1.25 करोड़ अवरूद्ध हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने गोदामों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन को तकनीकि स्वीकृति का प्रस्ताव भेजते समय पहुँच मार्ग एवं बाउंड्रीवाल की लागत को सम्मिलित नहीं किया। यद्यपि, इसे निगम ने बाद में स्वयं की लागत से किया।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधिक व्यय की वापसी का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जायेगा।

अधिक भुगतान की गई राशि का छत्तीसगढ़ शासन से दावा न करना

2.19 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत छत्तीसगढ़ शासन ने निगम को आवापल्ली एवं बीजापुर में 1800 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण का निर्देश दिया (मार्च 2011) एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्राक्कलन के अनुसार गोदाम की लागत का 50 प्रतिशत के अनुसार ₹ 25.20 लाख प्रत्येक गोदाम के लिये स्वीकृत किया (मार्च 2011)। निगम ने दोनों स्थानों के लिए अलग-अलग 1800 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की (जून 2011), जिसमें निगम को आवापल्ली एवं बीजापुर के लिए क्रमशः 89 प्रतिशत एवं 64 प्रतिशत दरों की अनुसूची से अधिक प्राप्त हुई। चूँकि निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई दर बहुत अधिक थी, निविदा को निरस्त किया गया एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार राशि छत्तीसगढ़ शासन को वापस की गई। छत्तीसगढ़ शासन ने जिला कार्य समिति से आवापल्ली में ₹ 1.31 करोड़ एवं बीजापुर में ₹ 1.11 करोड़ से निर्माण कार्य करवाया एवं निगम को अपना हिस्सा क्रमशः

₹ 1.06 करोड़ एवं ₹ 85.96 लाख जमा करने का निर्देश दिया एवं निगम ने इसे जमा किया (फरवरी 2013/जुलाई 2013)।

छत्तीसगढ़ शासन से प्रयास न करने के कारण बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण योजना में आवापल्ली एवं बीजापुर में गोदाम निर्माण में ₹ 70.38 लाख की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि योजना के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन एवं निगम द्वारा गोदाम की लागत का समान हिस्सा वहन किया जाना था, निगम ने ₹ 65.50 लाख एवं ₹ 55.58 लाख के बदले क्रमशः ₹ 1.06 करोड़ एवं ₹ 85.96 लाख का भुगतान किया। यद्यपि, निगम ने आवापल्ली एवं बीजापुर गोदाम निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन को क्रमशः ₹ 40 लाख एवं ₹ 30.38 लाख अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया।

लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार्य करते हुए प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि छत्तीसगढ़ शासन को अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा।

शेष अनुदान की अप्राप्ति

2.20 जिला पंचायत, कोरिया के निवेदन (जनवरी 2010) के आधार पर पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत जनकपुर में 1800 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य ₹ 60 लाख की अनुमानित लागत से शुरू किया (मार्च 2010) एवं पंचायत ने ₹ 30 लाख की प्रथम किस्त दी (मार्च 2010)। गोदाम निर्माण के कार्य का आदेश मेसर्स गौतम कंस्ट्रक्शन, रायपुर को ₹ 64.96 लाख में दिया जो कार्य प्रगति पर है (सितम्बर 2014)।

जिला पंचायत, कोरिया के अनुमोदन की शर्त के अनुसार प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात द्वितीय किस्त प्रदान की जायेगी। निगम ने फरवरी 2012 तक प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया था, यद्यपि उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष अनुदान की माँग जुलाई 2013 को भेजा गया, परन्तु अभी तक (सितम्बर 2014) कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख के शेष अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई एवं ₹ 6.98 लाख[7] की ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि ₹ 30 लाख के शेष अनुदान के लिए जिला पंचायत को पत्र प्रेषित कर दिया गया (जुलाई 2013) है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब एवं जुलाई 2013 के बाद की गई माँग की प्राप्ति के लिए किए गये प्रयास के बारे में कुछ नहीं कहा।

सेवाकर के भुगतान में विलंब के लिए शास्ति का भुगतान

2.21 चावल की गोदामों में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, भण्डारण या गोदामों में भण्डारण की सेवाओं को सेवा वित्त अधिनियम 2012 जो कि 1 जुलाई 2012 से प्रभावशील है के द्वारा सेवाकर के दायरे में लाया गया। भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 4/2014- सेवाकर (फरवरी 2014) के द्वारा इन सेवाओं को सेवाकर से छूट प्रदान की। इसलिए, 1 जुलाई 2012 एवं 16 फरवरी 2014 के मध्य की अवधि में इन सेवाओं पर सेवाकर लागू था।

[7] ₹ 30.00 लाख X 31 माह X 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष

भारत सरकार ने स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (व्हीसीईएस) शुरू की (मई 2013) जो कि 1 मार्च 2013 की स्थिति में 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि के भुगतान नहीं किये गये सेवाकर पर ब्याज की छूट प्रदान करती है। इस योजना में, कम से कम आधा सेवाकर 31 दिसम्बर 2013 के पहले भुगतान करना चाहिए एवं शेष आधा 30 जून 2014 तक भुगतान किया जाना है।

सेवाकर के भुगतान में विलंब के कारण ₹ 72.24 लाख के परिहार्य ब्याज का भार ।

निगम ने 1 जुलाई 2012 एवं 31 दिसम्बर 2012 के मध्य भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की वस्तुयें अपने गोदाम में भण्डारित की एवं इस योजना का लाभ लेते हुए ₹ 2.87 करोड़ का सेवाकर बिना ब्याज के भुगतान किया (31 दिसम्बर 2013)। यद्यपि, 1 जनवरी 2013 एवं 16 फरवरी 2014 के मध्य की अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए निगम ने ₹ 6.51 करोड़ का सेवाकर का भुगतान समय पर नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.24 लाख का दाण्डिक ब्याज का भुगतान किया (मार्च 2014)।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि यद्यपि निगम के शाखा कार्यालयों में जमा वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध थी, फिर भी निगम ने इसे संकलित नहीं किया एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए जमाकर्ताओं (भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड) के आंकड़ों पर निर्भर रहा। इसलिए, निगम ने जमाकर्ताओं से आंकड़ें प्राप्त होने पर उनसे सेवाकर की प्रतिपूर्ति का दावा किया। जमाकर्ताओं से आंकड़ें प्राप्ति में विलम्ब एवं जमाकर्ताओं के साथ प्रयासों के अभावों के कारण ₹ 8.32 करोड़[8] की राशि अभी तक (सितम्बर 2014) प्राप्त नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि जमाकर्ताओं से भण्डारित चावल की वास्तविक मात्रा से सम्बन्धित प्राप्त जानकारी के आधार पर सेवाकर का भुगतान किया गया एवं ₹ 1.06 करोड़ जमाकर्ताओं से वसूल कर लिया।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा उचित अभिलेखों के संधारण न करने एवं जमा चावल की मात्रा के ब्यौरे के लिए जमाकर्ताओं पर निर्भर होने के कारण निगम सेवाकर का भुगतान समय पर करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 72.24 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ एवं जमाकर्ताओं के साथ प्रयासों के अभाव के कारण ₹ 8.32 करोड़ की राशि अभी तक (सितम्बर 2014) प्राप्त नहीं हुई।

[8] ₹ 6.51 करोड़ + ₹ 2.87 करोड़ - ₹ 1.06 करोड़

गोदामों की क्षमता का उपयोग

गोदामों की भण्डारण क्षमता का उपयोग

2.22 निगम के स्वयं के एवं किराये के गोदामों के संबंध में औसत क्षमता की उपलब्धता तथा वास्तविक औसत क्षमता का उपयोग ***तालिका - 2.4*** में दिया गया है।

तालिका - 2.4

क्रम संख्या	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
	निगम की शाखाओं की संख्या	**106**	**111**	**119**	**123**	**125**
क	**उपलब्ध स्वयं के गोदामों की संख्या**	**413**	**429**	**475**	**516**	**597**
1	औसत उपलब्ध क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)	4.98	5.27	6.23	7.01	8.49
2	औसत क्षमता का उपयोग (लाख मीट्रिक टन में)	4.87	4.73	5.49	6.24	7.87
3	स्वयं की क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	98	90	88	89	93
ख	**किराये की गोदामों की संख्या**	**320**	**338**	**342**	**360**	**307**
1	वर्ष के दौरान किराये पर ली गई औसत भण्डारण क्षमता (लाख मीट्रिक टन में)	4.27	4.41	4.14	4.62	4.24
2	वर्ष के दौरान किराये पर लिए गए गोदामों की औसत क्षमता का उपयोग (लाख मीट्रिक टन में)	4.43	4.34	4.05	4.34	4.10
3	किराये के गोदामों के उपयोग का प्रतिशत	104[9]	98	98	94	97
ग	**दोनो प्रकार की भण्डारण क्षमता (स्वयं/किराया)**					
1	औसत क्षमता उपलब्ध (लाख मीट्रिक टन में)	9.25	9.68	10.37	11.63	12.73
2	औसत क्षमता उपयोग (लाख मीट्रिक टन में)	9.30	9.07	9.54	10.58	11.97
3	उपलब्ध क्षमता का उपयोग प्रतिशत	101	94	92	91	94

(स्रोतः निगम का व्यवसायिक प्रतिवेदन)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी वर्षों में समग्र क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक था। यद्यपि, स्वयं की क्षमता का उपयोग किराये की उपलब्ध क्षमता की तुलना में 2009-10 से 2013-14 के सभी वर्षों में कम था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निगम के 106 से 125 शाखाओं से संबंधित स्वयं के गोदामों के साथ ही साथ किराये के गोदामों की अभिलेखों की जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई :

- चार से 13 शाखाओं में स्वयं की गोदामों की भण्डारण क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से कम तथा दो से नौ शाखाओं में 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के मध्य था। निगम के द्वारा कम उपयोगिता के कारणों का अध्ययन नहीं किया गया और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी नस्ती में कारण दर्ज था।

- नौ से 14 शाखाओं में किराये पर लिए गये गोदामों की भण्डारण क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था तथा छः से 12 शाखाओं में 51 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत के मध्य था। निगम के द्वारा कम उपयोगिता के कारणों का अध्ययन नहीं किया गया और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी नस्ती में कारण दर्ज था।

[9] गोदामों की 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग क्षमता से अधिक खाद्यान्न भण्डारण के कारण था

- समीक्षा अवधि के दौरान दो शाखाओं[10] में स्वयं के गोदामों का कभी भी उपयोग नहीं हुआ तथा निगम ने गोदामों के वैकल्पिक उपयोग के लिए प्रयास नही किया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि गोदामों में पहले आना पहले जाना वाली निर्गमन विधि अपनाने एवं खाद्यान्नों के जमा और निर्गमन एक ही गोदाम से किये जाने के कारण वास्तविक उपयोगिता कम दिखाई दे रही है। उन्होने पुनः कहा कि लेखापरीक्षा ने गोदामों के उपयोग की गणना के लिए केवल वास्तविक उपयोगिता पर विचार किया जबकि निगम ने गोदाम क्षमता की उपयोगिता की गणना वास्तविक और आरक्षित उपयोगिता के आधार पर किया। इसके अलावा, ओरछा और हल्बा शाखाओं की गोदामों की कम उपयोगिता के कारण क्रमशः नारायणपुर और नरहरपुर शाखाओं में संलग्न कर दिया गया और वन उत्पाद को भण्डारण करने हेतु वैकल्पिक उपयोग का प्रयास किया गया।

प्रबंधन का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उपयोगिता की गणना करते समय गोदामों की औसत वास्तविक उपयोगिता और आरक्षण को ध्यान में रखा गया था।

गोदामों का संचालन और अनुरक्षण

2.23 वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कर्मचारियों की कमी के बावजूद निगम की समग्र उपयोगिता 90 प्रतिशत से अधिक है। यद्यपि, निगम ने संतोषजनक प्रदर्शन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु तीन जोखिमों की पहचान की जैसे कि गोदामों में भण्डारित स्कंध की अग्नि दुर्घटना, भण्डारित वस्तुओं की कमी और नकदी की हेराफेरी। निगम ने इन खतरों से निपटने के लिए निम्न नियंत्रण किए है।

- अग्नि से खतरों पर नियंत्रण के लिए वस्तुओं का बीमा और अग्निशमन यंत्र की स्थापना,
- संग्रहित वस्तुओं की कमी के जोखिम पर नियंत्रण के लिए वार्षिक/छः मासिक भौतिक एवं तकनीकि सत्यापन करना, और
- नकदी की हेराफेरी की जोखिमों पर नियंत्रण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के माध्यम से आंतरिक लेखापरीक्षा, विभिन्न भुगतानों के देयक की पूर्व लेखापरीक्षा और भुगतानों के लिये चेक निर्गमन पर प्रबंधक (वित्त) और प्रबंध संचालक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाता है।

यद्यपि, इसकी 36 शाखाओं में तकनीकि सहायकों की अनुपलब्धता होने से खाद्यान्नों की तकनीकि विश्लेषण में अशुद्धि की जोखिम के साथ ही साथ अकुशल श्रमिकों द्वारा धूम्रीकरण किए जाने से स्कंध की हानि का जोखिम था एवं गोदामों की रखवाली एवं निगरानी करने के लिये दैनिक मजदूरों की नियुक्ति से खाद्यान्नों की चोरी/कमी के लिये जबावदेही तय नहीं की जा सकती थी। निगम के द्वारा इन खतरों से निपटने के लिए नियंत्रण के लिये कोई प्रयास नहीं किया। लेखापरीक्षा

[10] हल्बा वर्ष 2006-07 तक उपयोग तथा ओरछा वर्ष 2008-09 तक उपयोग

द्वारा गोदामों के संचालन और अनुरक्षण में पाई गई कमियों की उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

आवर्ती हानि वाले शाखा कार्यालय

2.24 निगम ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 135.44 करोड़ का संचित शुद्व लाभ अर्जित किया। यद्यपि, छः शाखाओं में, जिसमें प्रत्येक में एक गोदाम, लगातार सभी पांच वर्षों में हानि में रहा जिसे ***तालिका 2.5*** में दिया गया है और निगम ने हानि को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

तालिका - 2.5

क्रम संख्या	गोदाम का नाम	गोदाम का स्वरूप (स्वयं/किराए)	क्षमता (मीट्रिक टन में)	हानियों के कारण
1	बडेडोंगर	स्वयं	800	बहुत पुराना गोदाम और व्यवसायिक क्षेत्र न होने से
2	धरसींवा	स्वयं	3800	अधिक स्थापना लागत और न्यून व्यवसायिक क्षेत्र होने से
3	कुसमी	स्वयं	1800	अधिक स्थापना लागत और न्यून व्यवसायिक क्षेत्र होने से
4	ओरछा	स्वयं	800	बहुत पुराना गोदाम और न्यून व्यवसायिक क्षेत्र होने से
5	हल्बा	स्वयं	800	बहुत पुराना गोदाम और शाखा नरहरपुर के करीब होने के कारण न्यून व्यवसायिक क्षेत्र
6	दोरनापाल	किराए	418	अधिक स्थापना लागत और न्यून व्यवसायिक क्षेत्र होने से

(स्त्रोतः शाखा कार्यालयों की आय एवं व्यय पत्रक से संकलित आंकड़ें)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि हानि का कारण न्यून आय, उच्च स्थापना लागत और न्यून व्यवसायिक क्षेत्र था। ओरछा और हल्बा जैसे बिना उपयोग वाले शाखाओं को समय पर बंद करके या हानि में चल रही शाखाओं के गोदामों का अन्य वैकल्पिक उपयोग करने की संभावना तलाश करके शाखाओं के निष्पादन में सुधार किया जा सकता था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि छत्तीसगढ शासन ने निर्देशित किया है कि निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों को भण्डारित करने के लिए सभी शाखाओं का संचालन करे। सभी छः शाखाओं का हानि में चलने का कारण गोदामों की क्षमता की तुलना में स्थापना लागत का अधिक होना था। ओरछा शाखा नक्सल समस्या के कारण से संचालित नहीं किया जा रहा है और इसके व्यापार को नारायणपुर शाखा को स्थानान्तरित कर दिया गया है। हल्बा शाखा कार्यालय के गोदाम बहुत ही पुराने थे तथा इसके व्यापार को नरहरपुर शाखा कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रबंधन ने पुनः कहा कि दोरनापाल शाखा कार्यालय जिसकी क्षमता 418 मीट्रिक टन की है, संचालन छत्तीसगढ शासन के निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु किया जा रहा है।

प्रबंधन का उत्तर हानियों में चल रही शाखाओं की पुष्टि करता है, यद्यपि, गोदामों के व्यवहारिक संचालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

भण्डारण हानि

2.25 1 जनवरी 2009 से प्रभावी भण्डारण टैरिफ शर्तो एवं उपबंधों के अनुसार भण्डारण हानि के लिए जमाकर्ता को भण्डारण शुल्क देयक से कोई राशि को रोकना/कटौती नहीं करना था। भण्डारण हानि के लिए पृथक से दावे किये जा सकते है और इस दावे का निपटारा संयुक्त बैठक के माध्यम से किया जाएगा। निगम भारत सरकार के भण्डारण हानि मापदंड का अनुसरण करता है जो कि एक प्रतिशत आर्द्रता के लिए 0.70 प्रतिशत सूखत भार हानि का है।

भण्डारण टैरिफ का उल्लंघन करते हुए भारतीय खाद्य निगम ने ₹ चार करोड़ भण्डारण हानि के लिए रोकी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारतीय खाद्य निगम ने 0.50 प्रतिशत से अधिक वजन में कमी के लिए भण्डारण शुल्क से भण्डारण हानि के लिए ₹ चार करोड़ भण्डारण शुल्क रोक लिया था। इनमें से, ₹ 0.49 करोड़ भण्डारण हानि 0.52 प्रतिशत और 0.69 प्रतिशत के मध्य से संबंधित है जो कि भारतीय खाद्य निगम ने रोक कर रख लिया जो कि मापदंड की सीमा में था और ₹ 3.51 करोड़ भण्डारण हानि 0.71 प्रतिशत और 4.32 प्रतिशत के मध्य था जो कि भण्डारण हानि के मापदंड से अधिक था। यद्यपि, निगम ने न ही अत्यधिक भण्डारण हानि के कारणों का विश्लेषण किया और न ही भारतीय खाद्य निगम के द्वारा रोकी गई राशि ₹ चार करोड़ की वापसी के लिए प्रयास किया, इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2014 तक ब्याज की हानि ₹ 0.62 करोड़ हुई इसके अलावा राशि भी अवरूद्ध हो गयी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निगम ने भारतीय खाद्य निगम को ₹ चार करोड़ रोकी गई राशि को वापस करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2012)। प्रबंधन ने पुनः कहा कि भारतीय खाद्य निगम एवं निगम के मध्य संयुक्त बैठक हुई है (फरवरी 2014), जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रोकी गई भण्डारण हानि जो कि 0.50 प्रतिशत से अधिक है उसे भारतीय खाद्य निगम वापस करेगा।

तथ्य यह है कि अगस्त 2012 एवं फरवरी 2014 की अवधि के मध्य प्रयासों की कमी के कारण निगम अभी तक राशि वापस प्राप्त नहीं कर सकी (सितम्बर 2014)।

मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के अभिलेखों का संधारण न करना

2.26 निगम भण्डारण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गोदामों का निर्माण करती है। निर्मित गोदामों को बनाये रखने के लिए आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य समय-समय पर कराया जाता है।

मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए शाखा कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्र और निर्माण नस्ती में चलित लेखा देयक प्रतिलिपि के अभिलेख निर्माण शाखा के द्वारा न रखा जाना।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य पर क्रमशः ₹ 61.47 लाख, ₹ 65.65 लाख, ₹ 1.15 करोड़ एवं ₹ 83.82 लाख वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान खर्च किए। यद्यपि निगम के निर्माण शाखा के द्वारा संधारित नस्तियों में न ही शाखा कार्यालयों से प्राप्त माँग पत्र और न ही गोदाम मरम्मत एवं अनुरक्षण से संबंधित चलित लेखा देयकों के अभिलेखों को रखा गया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि शाखा कार्यालयों द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्यालय को लिखित और मौखिक अनुरोध किया जाता है और संबंधित

उप अभियंता कार्य का प्राक्कलन तैयार करता है। मुख्यालय द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकि स्वीकृति दिए जाने के पश्चात कार्य किए गए।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने पिछले पाँच वर्षों में शाखा कार्यालयों से मरम्मत और अनुरक्षण का अनुरोध प्राप्ति की नस्ती नहीं बनायी। इसतरह मरम्मत और अनुरक्षण कार्य पर किए गए भुगतानों के लिए निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है।

संयुक्त निरीक्षण न किया जाना

2.27 निगम के निर्देश के अनुसार, जमाकर्ता प्रतिनिधियों एवं गोदाम प्रभारी के साथ संग्रहित माल में कीड़ें, आर्द्रता की मात्रा की जाँच के लिए पाक्षिक संयुक्त निरीक्षण करना चाहिये एवं संयुक्त हस्ताक्षर निरीक्षण पंजी में दर्ज करना चाहिए। निरीक्षण के परिणामों को भी रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए।

दो शाखा कार्यालयों में संयुक्त निरीक्षण नहीं कराया गया।

12 शाखा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दो शाखा कार्यालय[11] में न तो भण्डारित माल का पाक्षिक संयुक्त निरीक्षण किया गया और न ही कोई संयुक्त हस्ताक्षर किया गया। यह न केवल निर्देशों का उल्लंघन है बल्कि भण्डारण हानि पर अनावश्यक विवाद को बढ़ावा भी देता है।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि गोदामों का संयुक्त निरीक्षण करे तथा आर्द्रता की मात्रा पाक्षिक रजिस्टर में दर्ज करे और यह भी सुनिश्चित करे कि रजिस्टर में जमाकर्ता का हस्ताक्षर ले। यद्यपि, जमाकर्ताओं ने रूचि नहीं ली। शाखा प्रबंधकों को उसी निर्देश के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश जारी किया गया है।

प्रबंधन का उत्तर यह पुष्टि करता है कि संयुक्त निरीक्षण और भण्डारण हानि का अभिलेखों में दर्ज करने हेतु निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

भण्डारगृह (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत गोदामों का पंजीकरण न होना

2.28 भण्डारगृह (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 में निहित धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति भण्डारगृह व्यापार शुरू नहीं करेगा जब तक इस संबंध में एक पंजीयन प्रमाण पत्र गोदाम या गोदामों को भण्डारगृह विकास एवं विनियमन प्राधिकरण प्रदान न करें। यह पुनः कहा गया कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम (अक्टूबर 2007) के लागू होने के ठीक पहले यह व्यापार करता है तो उसे इस तरह का व्यापार करने की अनुमति दी जायेगी यदि वह अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर पंजीयन हेतु आवेदन करें।

भण्डारगृह (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधान के अनुपालन में गोदामों का पंजीकरण न कराना।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निगम ने इस अधिनियम के तहत भण्डारगृह व्यापार को जारी रखने के लिए पंजीकरण हेतु अभी तक (जून 2014) आवेदन नहीं दिया था ।

[11] अभनपुर और राजिम

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निगम द्वारा स्वयं के गोदामों का चरणबद्ध तरीके से भण्डारगृह (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवश्यक शर्त पर कार्य किया जा रहा था।

तथ्य यह है कि अधिनियम के प्रारंभ से छः वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी निगम ने इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन अभी तक नहीं किया (सितम्बर 2014)।

गोदामों के संचालन एवं अनुरक्षण में मापदंड का उल्लंघन

2.29 निगम ने गोदामों के संचालन एवं अनुरक्षण में पर्यावरण मापदंडो की उल्लंघन की चर्चा नीचे की गई है:

(i) मानक मापदंडों से कम कीटनाशक का प्रयोग

भण्डारगृहों के संचालन के लिए भण्डारगृह मैन्युअल (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 में एक मीट्रिक टन के एक गोदाम के लिए कीटनाशक उपचार हेतु नौ ग्राम एल्युमीनियम फास्फाइड निर्धारित की गई है।

निर्धारित मापदंड के अनुसार गोदामों में कीटनाशक रासायनिक उपचार का अनुपालन न करना।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 12 शाखा कार्यालयों में से तीन शाखा कार्यालयों[12] में उपर्युक्त मापदंडों का अनुपालन वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान नहीं किया गया। मानक मापदंड एक मीट्रिक टन के गोदाम के लिए नौ ग्राम के विरूद्ध मात्र छः ग्राम एल्युमीनियम फास्फाइड का प्रयोग किया गया। लेखापरीक्षा ने पुनः यह पाया कि गोदामों में रासायनिक उपचार के संबंध में अभिलेखों के संधारण में एकरूपता नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप भण्डारगृह मैन्युअल का उल्लंघन हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निगम ने खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गमित (16 मई 2000) खाद्यान्नों की भण्डारण की वैज्ञानिक तरीकों पर प्रशिक्षण मैन्युअल के प्रावधान के अनुसार भारी कीट होने पर नौ ग्राम प्रति मीट्रिक टन एवं कम कीट होने पर छः ग्राम प्रति मीट्रिक टन एल्युमीनियम फास्फाइड का उपयोग किया।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भण्डारगृह के संचालन के लिए भण्डारगृह मैन्युअल (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 में नौ ग्राम प्रति मीट्रिक टन निर्धारित है और कीटनाशकों के उपचार के लिए कम मात्रा के प्रयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए तकनीकि निरीक्षण में भी आपत्ति ली गयी थी।

(ii) खाली रासायनिक कंटेनरों का निपटारा

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के उपबंध 5 (iii) के अनुसार खाली कंटेनरों को पुनः उपयोग से रोकने के लिए विकृत करे, कई स्थानों पर छेद करे तथा अंततः उसे मिट्टी में 40 से 50 सेंटीमीटर की गहराई में दबाकर निपटान करे।

शाखा कार्यालयों के द्वारा खाली कंटेनरों का अभिलेख न रखा जाना तथा खतरनाक प्रकृति के रसायन होने के बावजूद निपटान न करना।

12 शाखा कार्यालयों के दौरे के दौरान यह पाया गया कि उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शाखा कार्यालयों ने न ही खाली कंटेनरों का निपटान किया था

[12] राजिम, मंदिरहसौद और महासमुंद

और न ही खाली कंटेनरों/ट्यूबों के अभिलेखों का संधारण किया। खतरनाक प्रकृति के रसायन होने के बावजूद भी खाली रसायन कंटेनरों/ट्यूबों को गोदाम में फेंक दिया गया था जो कि आस-पास के परिवेश को दूषित, वातावरण को प्रदूषित, मानव या जानवर में विषक्तता उत्पन्न कर सकता है।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी मांगी गयी है तथा प्राप्ति के पश्चात् खाली कंटेनरों का निपटान किया जाएगा।

निष्कर्ष

निगम को पीईजी योजना 2009 के तहत 4.92 लाख मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण करना था परन्तु मार्च 2014 के अन्त तक मात्र 2.87 लाख मीट्रिक टन निर्माण किया गया। इस प्रकार भूमि की अनुपलब्धता/विवादित भूमि आदि के कारण गोदाम निर्माण में विलम्ब होने से क्षमता वृद्धि में 2.05 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई। यह अनुशंसा की जाती है कि निगम गोदामों को पूर्ण करने हेतु कदम उठाये तथा भारतीय खाद्य निगम को शीघ्रता से हस्तान्तरित करे।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 3.22 करोड़) और लघु वनोपज संघ (मई 2002 से बकाया ₹ 1.33 करोड़) से ₹ 4.55 करोड़ भण्डारण शुल्क तीन वर्षो से अधिक समय से बकाया थी। इसमें एक प्रकरण ₹ 2.59 करोड़ का संबंध भौतिक सत्यापन में पायी गई चावल की कमी से था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आर्थिक अपराध शाखा को संदर्भित किया गया है (सितम्बर 2005), जिसकी जाँच चल रही है। यह अनुशंसा की जाती है कि निगम लंबे समय से बकाया भण्डारण प्रभार के शीघ्र निपटान हेतु प्रयास करे।

तीसरा अध्याय

3. लेनदेन से संबधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

इस अध्याय में राज्य शासन की कंपनियों के लेनदेनों की नमूना जाँच से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित किया गया है।

3.1 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के इंवेन्ट्री प्रबंधन पर वृहद कण्डिका

प्रस्तावना

3.1.1 छत्तीसगढ़ में, 31 दिसम्बर 2008 तक विद्युत वितरण का कार्य पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्ड़ल (मण्डल) द्वारा किया जाता था। 1 जनवरी 2009 से प्रभावशील मण्डल के विखण्डन के पश्चात् छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जा रहा है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 19 मई 2003 को समामेलित हुई थी।

विद्युत वितरण प्रणाली के संचालन एवं संधारण के लिए कंपनी के अधीन छः क्षेत्रीय भण्डार हैं जो कण्डक्टर ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि उपलब्ध कराते है। जहाँ एक तरफ कण्डक्टर, ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है जिससे कि बिना व्यवधान के विद्युत की आपूर्ति की जा सके दूसरी तरफ अधिक इंवेन्ट्री रखने से ब्याज एवं रखरखाव के कारण उनकी लागत में वृद्धि होती है तथा उनकी गुणवत्ता में भी कमी होने का जोखिम रहता है जो कि संगठन की लाभदायकता को बुरी तरह प्रभावित करता है। अतः इंवेन्ट्री का प्रबंधन आवश्यक सामग्री शीघ्रता से कम लागत पर कम से कम निधि अवरूद्ध कर सही समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

कंपनी के समग्र इंवेन्ट्री प्रबंधन का कार्य अधीक्षण अभियंता (भण्डारण) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास छः क्षेत्रीय भण्डार[1] थे जो राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हैं जहाँ पर कार्यपालन अभियंता प्रमुख होता है। कंपनी के कार्यपालन अभियंता (क्षेत्रीय भण्डार) सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास ₹ 110.31 करोड़ का स्कंध था एवं वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 302.76 करोड़ के रोकड़ का बहिर्गमन सामग्री क्रय करने के परिणामस्वरूप हआ। 31 मार्च 2014 को कंपनी के पास स्कंधों की संख्या 77 (क्षेत्रीय भण्डार जगदलपुर) से 453 (क्षेत्रीय भण्डार भिलाई) के मध्य थी।

[1] विश्रामपुर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई एवं जगदलपुर

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.1.2 वृहद कण्डिका को शामिल करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्याः

- इंवेन्ट्री के स्तर का निर्धारण उचित अध्ययन एवं अबस[2] विश्लेषण के पश्चात् किया गया था जिससे कि अनुपयोगी सामग्री में निधि अवरूद्ध होने की स्थिति को टाला जा सके;
- भंडार का भौतिक सत्यापन और अन्तर को पहचान कर समाधान करने, स्लो मूव्हींग, नान-मूव्हींग, अप्रचलित स्टोर्स/ अनुपयोगी सामग्री को पहचान कर समय पर निपटान की व्यवस्था थी, और
- असफल ट्रांसफार्मरों की समय पर मरम्मत कर उसके अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु प्रभावशाली व्यवस्था थी।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

3.1.3 लेखापरीक्षा जाँच मार्च 2014 एवं अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान निष्पादित की गई जिसके दौरान मुख्य अभियंता (क्रय एवं भण्डार) रायपुर स्थित मुख्यालय एवं छः में से तीन[3] क्षेत्रीय भण्डारों के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा हेतु अपनाई गई कार्यविधि में चयनित कार्यालयों/क्षेत्रीय भण्डारों के अभिलेखों एवं फाइलों की जाँच करना सम्मिलित था।

जुलाई 2014 में कंपनी और राज्य शासन को लेखापरीक्षा आपत्तियाँ सूचित की गई तथा 11 सितम्बर 2014 को हुये निर्गमन सम्मेलन के दौरान इनकी चर्चा की गई। निर्गमन सम्मलेन में प्रमुख सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन एवं कंपनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित थे। कंपनी ने अगस्त 2014 में लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर दिया। निर्गमन सम्मेलन में उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों एवं उत्तर को कण्डिका के अंतिमीकरण के दौरान ध्यान में रखा गया है।

लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

3.1.4 इंवेन्ट्री प्रबंधन में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो अवलोकन किया गया, की चर्चा अग्र कण्डिका में की गई है।

इंवेन्ट्री के स्तर का निर्धारण

3.1.5 स्थापित इंवेन्ट्री प्रबंधन पद्धति के अनुसार स्कंधों का न्यूनतम, अधिकतम और पुनः आदेश स्तर निर्धारित करना आवश्यक होता है जिससे कि उचित मात्रा में इंवेन्ट्री रखी जा सके तथा निधि के अवरूद्ध होने की स्थिति को टाला जा सके। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने न तो कोई सामग्री प्रबंधन मैन्युअल बनाया और न ही किसी भी स्कंध का न्यूनतम, अधिकतम, पुनः आदेश स्तर या मितव्ययी आदेश स्तर निर्धारित किया। जिसके परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में स्कंध बगैर किसी शीघ्र

[2] स्कंध नियंत्रण की प्रणाली जहाँ सामग्री उनके मूल्य के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। उदाहरण के लिए उच्च मूल्य की सामग्री को अ से वर्गीकृत किया जाता है, मध्यम मूल्य की सामग्री को ब एवं कम मूल्य की सामग्री को स से वर्गीकृत किया जाता है

[3] रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर

आवश्यकता के पड़ा हुआ है एवं कंपनी की निधि अवरूद्ध हुई जिसकी चर्चा अग्र कण्डिका में की गई है।

31 मार्च 2014 की समाप्ति में विगत तीन वर्षों के दौरान इंवेन्ट्री की खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका -3.1*** में दिया गया है:

तालिका - 3.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	खपत प्रति माह	अन्तिम स्कंध	अन्तिम स्कंध आवश्यक खपत के माह के रूप में
1	2	3	4	5	6(2+3-4)	7 (6/5)
2011-12	100.73	262.29	276.83	23.07	86.19	3.74
2012-13	86.19	264.93	265.99	22.17	85.13	3.84
2013-14	85.13	302.76	277.58	23.13	110.31	4.77

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान अंतिम स्कंध आवश्यक खपत के माह के रूप में वर्ष 2011-12 में 3.74 माह से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4.77 माह हो गया।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि न्यूनतम, अधिकतम एवं मितव्ययी पुनः आदेश स्तर निर्धारित किया जावेगा।

शीघ्र आवश्यकता के बगैर स्कंध क्रय किया जाना

3.1.6 नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित स्कंध या तो बगैर आवश्यकता के क्रय किया गया या जरूरत होने से काफी पहले क्रय किया गया जिसके कारण निधि अवरूद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि के अतिरिक्त स्कंध की गुणवत्ता में भी गिरावट हुई:

(i) रीइनफोर्सड स्टील जॉइस्ट (आरएस जॉइस्ट): आरएस जॉइस्ट की आवश्यकता 11 केव्ही, 33 केव्ही विद्युत लाईन एवं शहर के निम्न दाब तथा उच्च दाब कनेक्शन के समर्थन में उपयोग किया जाता है। 31 मार्च 2014 की समाप्ति में विगत तीन वर्षों के दौरान आरएस जॉइस्ट की आवश्यकता क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.2*** में दिया गया है।

तालिका - 3.2

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	100.25	1600	800.10	595.69	304.66	1.26
2012-13	304.66	1800	1013.02	877.14	440.54	1.90
2013-14	440.54	0	697.90	817.82	320.62	2.57

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने 800.10 मीट्रिक टन एवं 1013.02 मीट्रिक टन आरएस जॉइस्ट वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 1600 मीट्रिक टन एवं 1800 मीट्रिक टन आवश्यकता के विरूद्ध क्रय किया। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में कंपनी ने बगैर आवश्यकता के 697.90 मीट्रिक टन क्रय किया। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के पास न्यूनतम 304.66 मीट्रिक टन अंतिम स्कंध था। यह दर्शाता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी ने ₹ 1.26 करोड़ मूल्य के 304.66 मीट्रिक टन आरएस जॉइस्ट वास्तविक आवश्यकता से ज्यादा क्रय किया।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था किन्तु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि आरएस जॉइस्ट का क्रय बगैर वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए किया गया।

(ii) वीजल कण्डक्टर: उप-पारेषण प्रणाली में तथा विद्युत शक्ति को विद्युत उत्पादन इकाई से अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में तथा अति उच्च दाब उपकेन्द्रों से 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों में और उपभोक्ताओं के घर तक प्रवाहित करने के लिये कंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में, विद्युत शक्ति को भेजने के लिये विभिन्न माप के कंडक्टर की आवश्यकता होती है जो उच्च दाब लाईन से निम्न दाब लाईन में स्थानान्तरित होती है। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान वीजल कंडक्टर की आवश्यकता, क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.3*** में दिया जा रहा है।

तालिका- 3.3

(मात्रा कि. मी. में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	1978.53	17000.00	9188.78	10982.27	185.04	0.41
2012-13	185.04	14290.00	1741.95	1193.86	733.13	1.38
2013-14	733.13	10000.00	9363.40	5025.33	5071.20	9.50

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 9363.40 कि.मी. वीजल कंडक्टर क्रय किया जो कि पिछले वर्षों से काफी ज्यादा था, जिसके कारण अंतिम स्कंध में ज्यादा वृद्धि हुई। 31 मार्च 2014 को अंतिम स्कंध वास्तविक खपत से ज्यादा था। इस प्रकार वर्ष में वीजल कंडक्टर का क्रय वास्तविक खपत से काफी ज्यादा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ का 5071.20 कि.मी. अंतिम स्कंध शेष रहा।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था। यद्यपि, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि वीजल कंडक्टर का क्रय बगैर वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए किया गया जिसके परिणामस्वरूप स्कंध संचय हुआ।

(iii) एच बीमः कंपनी ने एच बीम का क्रय 33/11 केव्ही लाईन के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा लाईन को स्थिर रखने के लिए किया। 31 मार्च 2014 की समाप्ति पर विगत तीन वर्षों के दौरान एच बीम की आवश्यकता, क्रय, खपत एवं अंतिम स्कंध का विस्तृत ब्यौरा ***तालिका - 3.4*** में दिया गया है।

तालिका - 3.4

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	प्रारंभिक स्कंध	वर्ष के दौरान आवश्यकता	वर्ष के दौरान क्रय	वर्ष के दौरान खपत	अन्तिम स्कंध	
					मात्रा	₹ करोड़ में
2011-12	63.95	1000.00	226.00	279.43	10.52	0.05
2012-13	10.52	2000.00	1383.97	1351.91	42.58	0.21
2013-14	42.58	5000.00	4017.17	1725.94	2333.81	10.26

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने 4017.17 मीट्रिक टन एच बीम क्रय किया जो कि पिछले वर्षों से काफी ज्यादा है। जिसके परिणामस्वरूप अंतिम स्कंध में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 में एच बीम का क्रय वास्तविक आवश्यकता से काफी ज्यादा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.26 करोड़ का 2333.81 मीट्रिक टन अंतिम स्कंध शेष रहा।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान, शासन ने कहा कि सामग्री का क्रय विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया था। किन्तु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर यह सत्यापित करता है कि कंपनी ने वर्ष 2013-14 में एच बीम का क्रय वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए किया जो कि वर्ष 2014-15 में उपयोग किया जावेगा।

स्कंध का भौतिक सत्यापन एवं स्लो मूव्हींग/नॉन मूव्हींग स्कंध की पहचान करना

स्कंध का भौतिक सत्यापन

3.1.7 स्कंध की निरंतर उपयोगिता एवं अभिलेखों के अनुसार भंडार में सामग्रियों की वास्तविक उपलब्धता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सामयिक अंतराल में स्कंध का भौतिक सत्यापन करना होता है। स्कंध की मात्रा का निर्धारण स्कंध के प्रकार के आधार पर, गिनती करके, तौल कर, नाप कर या अनुमान लगाकर किया जाता है। यह पाया गया कि भंडार स्तर पर स्कंध का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। यद्यपि, शीर्ष कार्यालयीन स्तर पर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों का विश्लेषण नहीं हो रहा था एवं भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमी/आधिक्य की एकीकृत स्थिति से कंपनी अवगत नहीं थी।

भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की जाँच में यह पाया गया कि भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों एवं क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के अभिलेखों पर दर्शाये गए स्कंधों में भिन्नताएँ थी। भौतिक सत्यापन के दौरान पुस्तकीय मात्रा से तुलना करने पर पाई गई कमियाँ, छः क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों में ₹ 9.69 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹ 9.83 करोड़ (2012-13) हो गई। क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, जगदलपुर में कोई आधिक्य/कमी नहीं पाई गई। यद्यपि, अधिकतम आधिक्य ₹ 1.55 करोड़ एवं अधिकतम कमी ₹ 7.52 करोड़ क्रमशः क्षेत्रीय लेखा कार्यालय बिलासपुर एवं अंबिकापुर में पाई गई। यह इंगित करता है कि कमियों के निरीक्षण/समाधान का तंत्र पर्याप्त नहीं था एवं असंगतियाँ बिना समाधान के बनी रहीं (मार्च 2014)। ऐसी परिस्थितियों में इंवेन्ट्री के चोरी होने एवं गबन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

निर्गमन सम्मेलन (सितम्बर 2014) के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि आधिक्य/कमी की छानबीन चल रही है।

स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग स्कंध

3.1.8 कंपनी की नीति के अनुसार स्कंध को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- **स्लो मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 12 माह से अधिक एवं 24 माह से कम हो।
- **वेरी स्लो मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 24 माह से अधिक एवं 36 माह से कम हो।
- **नॉन मूव्हींग:** जिनका टर्नओवर अनुपात 36 माह से अधिक हो।

31 मार्च 2014 को समाप्त विगत तीन वर्षों में कंपनी की इंवेन्ट्री के वर्गीकरण की नीति पर आधारित विभिन्न वर्गों के अंतर्गत इंवेन्ट्री का मूल्य ***तालिका 3.5*** में दर्शाया गया है।

तालिका - 3.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2012	31.3.2013	31.03.2014
स्लो मूव्हींग सामग्री	3.31	4.72	12.70
वेरी स्लो मूव्हींग सामग्री	7.39	4.64	8.52
नॉन मूव्हींग सामग्री	19.06	15.53	32.41
योग	**29.76**	**24.89**	**53.63**
फास्ट मूव्हींग सामग्री	16.39	19.62	32.20
असफल ट्रांसफार्मर एवं अनुपयोगी सामग्री	40.04	40.62	24.48
वर्ष के अंत में स्कंध	86.19	85.13	110.31

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग के रूप में सामग्रियों का वर्गीकरण क्रय की तिथि को लिए बिना केवल जारी करने की अंतिम तिथि के आधार पर किया गया। परिणामस्वरूप हाल ही में क्रय की गई सामग्री को स्लो मूव्हींग के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि काफी समय तक इन सामग्रियों की कुछ भी मात्रा जारी नहीं की गयी थी। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :

- लेखापरीक्षा में नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 में क्रय किए गए आरएस जॉइस्ट[4] एवं वर्ष 2013-14 में क्रय किये गए वीजल कण्डक्टर[5] एवं एच बीम[6] का वर्गीकरण नॉन मूव्हींग के रूप में किया गया क्योंकि इन सामग्रियों की कोई भी मात्रा 36 माह से अधिक समय तक जारी नहीं की गई। इसी प्रकार मई 2009 एवं फरवरी 2011 के मध्य क्रय किए गए 179 नग 5 केव्हीए वितरण ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 0.33 करोड़ था को स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग या नॉन मूव्हींग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया क्योंकि जून 2013 में 10 नग ट्रांसफार्मर को जारी किया गया था।

- वर्ष 2011-12 के अंत में क्षेत्रीय भंडार, रायगढ़ में नॉन मूव्हींग सामग्रियों का मूल्य ₹ 1.83 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 के अंत में बढ़कर ₹ 2.93 करोड़ हो गया एवं अगले वर्ष 2013-14 के अंत में यह बढ़कर ₹ 7.92 करोड़ हो गया। इसमें वर्ष 2013-14 में क्रय किए गए ₹ 7.01 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ शामिल है किन्तु 36 माह से अधिक समय तक जारी नहीं होने के कारण इनको भी नॉन मूव्हींग सामग्रियों के अंतर्गत शामिल किया गया।

यह भी देखा गया कि स्कंध पर उचित नियंत्रण रखने की दृष्टि से स्लो मूव्हींग, वेरी स्लो मूव्हींग एवं नॉन मूव्हींग सामग्रियों की आयु-वार एकीकृत स्थिति का संधारण कंपनी द्वारा नहीं किया गया।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि सुधारात्मक कदम उठाये जाएँगे।

[4] क्षेत्रीय भंडार जगदलपुर में ₹ 0.14 करोड़ एवं भिलाई में ₹ 0.05 करोड़

[5] क्षेत्रीय भंडार विश्रामपुर में ₹ 1.93 करोड़, बिलासपुर में ₹ 1.85 करोड़ एवं रायगढ़ में ₹ 2.23 करोड़

[6] क्षेत्रीय भंडार जगदलपुर में ₹ 1.34 करोड़, बिलासपुर में ₹ 1.46 करोड़ एवं भिलाई में ₹ 1.81 करोड़

अप्रचलित ट्रांसफार्मरों के सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब

3.1.9 ट्रांसफार्मर जो सुधार के लिए योग्य नहीं होते उन्हे सर्वेक्षण उपरान्त निराकरण करने के लिए अनुपयोगी घोषित किया जाता है। अप्रचलित ट्रांसफार्मरों के निराकरण से संबंधित अभिलेखों की जाँचे में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न क्षमताओं के 6848 नग अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एवं 39 नग अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम पावर ट्रांसफार्मर क्षेत्रीय भंडारों में 31 वर्षों तक की अवधि से पड़े हुए हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक 3.1*** में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन एवं पावर ट्रांसफार्मरों के निराकरण का प्रतिशत क्रमशः 39.76 एवं 30.36 रहा एवं अप्रचलित डिस्ट्रीब्यूशन एवं पावर ट्रांसफर्मर कंपनी के भंडारों में लंबे समय से पड़े हुए हैं। अतः अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मर के सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब के फलस्वरूप ₹ 11.67 करोड़[7] के अर्जन में विलंब हुआ। जो कि यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अप्रचलित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मरों की पहचान कर समय पर निराकरण के लिए नीति एवं निरीक्षण प्रणाली नहीं है। यदि कंपनी ने बिना विलंब किए अप्रचालित/सेवा के लिए असक्षम ट्रांसफार्मरों के निराकरण के लिए कार्यवाही शुरू की होती तो कंपनी को राजस्व अर्जित होता एवं अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान भी होता।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि पुराने एवं नहीं सुधारे जा सकने वाले ट्रांसफार्मरों की नीलामी के लिए एक अभियान प्रारम्भ किया गया है।

खराब हुए ट्रांसफार्मरों से कम मात्रा में तेल प्राप्त होना

3.1.10 एक ट्रांसफार्मर जिसमें कोई रिसाव न हो एवं तेल की सील सुरक्षित हो तो उसमें पूरी टैंक क्षमता के बराबर तेल होना चाहिए। यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान कंपनी ने 10464 ट्रांसफार्मर से प्राप्ति योग्य 1702.54 किलो लीटर तेल के विरूद्ध 423.97 किलो लीटर तेल प्राप्त किया। यह 1278.57 किलो लीटर (75.10 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है जिसका मूल्य ₹ 5.38 करोड़ था ***(अनुलग्नक 3.2)***। ट्रांसफार्मर तेल में कमी के लिए कंपनी द्वारा कोई भी मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए है। आगे यह भी पाया गया कि कंपनी के द्वारा कमी की जाँच नहीं करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.38 करोड़ की हानि हुई।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि ट्रांसफार्मर तेल की कमी के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाएँगे।

अनुपयोगी स्कंध के निराकरण में विलंब

3.1.11 अप्रैल 2011 को कंपनी के पास ₹ 6.76 करोड़ मूल्य का प्रारंभिक अनुपयोगी स्कंध शेष था जिसमें 2011 से 2014 के दौरान ₹ 9.96 करोड़ सम्मिलित हुआ एवं ₹ 5.33 करोड़ के अनुपयोगी स्कंध का निपटान किया गया। विगत तीन वर्षों के दौरान अनुपयोगी स्कंध के निराकरण का प्रतिशत केवल 31.88 था। मार्च 2014 के अंत में कंपनी के पास ₹ 11.39 करोड़ मूल्य का अनुपयोगी स्कंध था जिसमें पावर ट्रांसफर्मर,

[7] कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य

डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्मर, तार, जला हुआ तेल, मीटर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, बैटरी इत्यादि शामिल है जो कि सात वर्ष तक की अवधि से कंपनी के भंडारों में पड़ा हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ की निधि अवरूद्ध हुई जो कि खराब इंवेन्ट्री प्रबन्धन का भी सूचक है।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि अनुपयोगी स्कंध के निराकरण के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

असफल ट्रांसफार्मरों का सुधार/बदला जाना

विफल ट्रांसफार्मरों का सुधार न करवाना

3.1.12 पावर ट्रांसफार्मर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंवेंट्री के महत्वपूर्ण अंग हैं। क्रय आदेश के सामान्य नियम व शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को ट्रांसफार्मर के प्रदर्शन की गारंटी आपूर्ति की तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए देनी होती है। कंपनी के पास कुल 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थे जिसमें से 5001 गारंटी अवधि के दौरान विफल हुए एवं 4106 ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के बाद विफल हुए जो कि सुधारने योग्य अवस्था में थे किन्तु मार्च 2014 के अंत में बिना सुधारे क्षेत्रीय भंडार या वेंडर के पास पड़े थे। कंपनी ने इनके बदलाव/सुधार/वेंडर से वापसी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इस सम्बंध में पाई गई महत्वपूर्ण आपत्तियाँ निम्न हैः-

- रूपये 24.70 करोड़ मूल्य के 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (3118 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 16.36 करोड़ था, दर अनुबंध के अंतर्गत 1883 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 3.59 करोड़ था एवं 4106 सुधारने योग्य डिस्ट्रीव्यशन ट्रांसफार्मर जिनका मूल्य ₹ 4.75 करोड़ था) जो कि विफल थे, मार्च 2014 के अंत में बिना सुधारे हुए या तो क्षेत्रीय भंडारों में पड़े थे या फिर वेंडर के पास। 9107 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों का आयु-वार विवरण कंपनी द्वारा संधारित नहीं किया गया था। आयु-वार विवरण की अनुपस्थिति के कारण विलंब की गणना नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की गारंटी अवधि क्रय करने के 60 माह बाद समाप्त हो जाती है, यह संभावना है कि गारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के सुधार के लिए सही समय पर कार्यवाही प्रारम्भ करने में कंपनी की विफलता के कारण ₹ 24.70 करोड़ मूल्य की इंवेन्ट्री व्यर्थ पड़ी रही।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं कहा कि भंडार में पड़े डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के क्रमीकरण का कार्य प्रगति पर है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों के क्रमीकरण होने के बाद, आयु-वार विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

असफल हुए पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के बजाय क्रय किया जाना

3.1.13 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान 74 नग[8] पावर ट्रांसफार्मर विफल हुए। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ निम्न हैः-

- 26 नग असफल पावर ट्रांसफार्मर (पाँच गारंटी अवधि के अन्दर एवं 21 गारंटी अवधि के बाद) सात से 34 माह की अवधि के गुजर जाने के बाद भी मैदानी कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय भंडारो को वापस नहीं किए गए (फरवरी 2014)।
- गारंटी अवधि के बाद असफल हुए 68 ट्रांसफार्मरों में से केवल 11 पावर ट्रांसफार्मर को दर अनुबन्ध के तहत सुधारा गया। इन पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के लिए दर अनुबंध कंपनी के क्षेत्रीय भंडारों में इन पावर ट्रांसफार्मरों के प्राप्त होने के सात से 12 माह के विलंब के पश्चात् जारी किए गए एवं 57 पावर ट्रांसफार्मरों के लिए दर अनुबंध जारी नहीं किए गए (फरवरी 2014)।
- छः पावर ट्रांसफार्मर जो गारंटी अवधि के दौरान विफल हुए थे उनमें से पाँच को कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सात से 34 माह की अवधि के गुजर जाने के बाद भी क्षेत्रीय भंडारों को नहीं लौटाया गया (फरवरी 2014) तथा कंपनी द्वारा पावर ट्रांसफार्मर के विफल होने की सूचना आपूर्तिकर्ता को नहीं दे पाने के कारण गारंटी अवधि भी प्रभावित हुई।

इसके अतिरिक्त 2011-14 के दौरान कंपनी ने 148 नग 3.15 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमव्हीए) एवं 101 नग 5 एमव्हीए नये पावर ट्रांसफार्मर क्रमशः ₹ 0.20 करोड़ एवं ₹ 0.29 करोड़ प्रति इकाई की औसत लागत पर क्रय किए। यदि कंपनी द्वारा सही समय पर 24 नग[9] 3.15 एमव्हीए एवं 12 नग[10] 5 एमव्हीए पावर ट्रांसफार्मर जो कि सुधारने योग्य स्थिति में थे, का सुधार किया गया होता तो ऐसे पावर ट्रांसफार्मरों के क्रय में व्यय किए गए ₹ 8.28 करोड़ को बचाया जा सकता था। आगे, कंपनी ने इन 36 नग[11] पावर ट्रांसफार्मरों को सुधारने के लिए सात से 34 माह की अवधि गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जिसकी वजह से ₹ 2.21 करोड़ अवरूद्ध रहे, जो कि असफल ट्रांसफार्मरों का निर्धारित मूल्य है।

निर्गमन सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2014) शासन ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि असफल ट्रांसफार्मरों को अक्टूबर 2014 तक क्षेत्रीय भंडारों को लौटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त शासन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि असफल पावर ट्रांसफार्मरों को क्यों नहीं सुधारा गया।

निष्कर्ष

कंपनी के पास विभिन्न वर्गो की इंवेन्ट्री के लिए न्यूनतम, अधिकतम एव पुनः आदेश स्तर के निर्धारण के लिए एक भली-भाँति परिभाषित इंवेन्ट्री प्रबंधन नीति नहीं है। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि विभिन्न स्कंधों के भंडारण के लिए न्यूनतम,

[8] छः पावर ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के अन्दर एवं 68 पावर ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि के बाहर
[9] 2011-12: आठ नग, 2012-13: चार नग एवं 2013-14: 12 नग
[10] 2011-12: तीन नग, 2012-13: छः नग एवं 2013-14: तीन नग
[11] 24 नग 3.15 एमव्हीए एवं 12 नग 5 एमव्हीए

अधिकतम एवं पुनः आदेश स्तर स्थापित करने हेतु एक इंवेन्ट्री प्रबंधन नीति बनाई जाए।

क्रय आदेश प्रस्तुत करने के पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के पास ₹ 21.02 करोड़ मूल्य के आरएस जॉइस्ट, वीजल कंडक्टर एवं एच बीम का अधिक स्कंध था, जो बिना त्वरित आवश्यकता के क्रय किये गए। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि सामग्री के क्रय के पूर्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए एक प्रणाली तैयार करे।

कंपनी नियमित रूप से भंडारों का भौतिक सत्यापन करती है, किन्तु वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान इंवेन्ट्री की सामग्रियों में पायी गई ₹ 9.83 करोड़ की कमी का समाधान नहीं किया गया (मार्च 2014)। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि इंवेन्ट्री के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियों के समाधान के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

रूपये 23.06 करोड़ मूल्य के असफल ट्रांसफार्मर एवं अनुपयोगी स्कंध के निराकरण में विलंब हुआ। खराब ट्रांसफार्मरों से प्राप्त तेल में भी कमी पाई गई जिसका मूल्य ₹ 5.38 करोड़ था। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि अप्रचलित/अवशिष्ट/आधिक्य सामग्रियों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए एवं विफल ट्रांसफार्मरों में से प्राप्त तेल के लिए मापदण्ड़ निर्धारित किए जाएँ; एवं

कंपनी ₹ 26.91 करोड़ मूल्य के पावर/डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों को सुधारने में विफल रही जो कि क्षेत्रीय भंडारों/वेंडरों के यहाँ व्यर्थ पड़े हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप नए ट्रांसफार्मर क्रय किए गए। कंपनी को यह अनुशंसा की जाती है कि उसके द्वारा विफल ट्रांसफार्मर को समय पर लौटाने/सुधारने के लिए एक नीति स्थापित करे।

छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड

3.2 दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

कंपनी की ओर से अग्रिम कर के भुगतान में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 14.84 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम आयकर देय होगा, यदि करदाता द्वारा देय कर की राशि दस हजार या उससे अधिक है। अधिनियम की धारा 234(बी) यह प्रावधान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में कोई करदाता धारा 208 के अधीन अग्रिम आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहने या आंकलित कर के 90 प्रतिशत से कम का भुगतान करने पर करदाता अप्रैल के पहले दिन से प्रत्येक माह के लिये आंकलित कर से कम भुगतान किये गये अग्रिम कर पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 234 (सी) प्रावधान करती है कि यदि एक करदाता अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल होता है या अग्रिम कर का देय तिथि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर और 31 मार्च तक क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से कम भुगतान करता है तो करदाता कम भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (कंपनी) का समामेलन 14 दिसम्बर 2011 को छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों जैसे पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, आवासीय भवनों इत्यादि के लिए हुआ था। इस उद्देश्य के लिए कंपनी को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार से निधि प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा विभिन्न कार्य जैसे प्राक्कलन बनाना, अनुमोदन लेना तथा निविदा सम्बन्धी क्रियायें निधि प्राप्त होने के उपरांत किया गया जिसमें अधिक समय लगा, तब तक भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त निधि को कंपनी द्वारा विभिन्न बैंक खातो में रखा गया, जिस पर कंपनी को ब्याज प्राप्त होता हैं।

दस्तावेजों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने कुल ₹ 8.39 करोड़ की आय अर्जित की जिसमें ₹ 8.11 करोड़ ब्याज से आय सम्मिलित है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधान के तहत उक्त आय पर निश्चित समय के अंदर अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया (बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती को छोड़कर)। वर्ष 2012-13 के लिए कुल देय कर ₹ 2.12 करोड़ में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की राशि ₹ 77.58 लाख थी। तदुपरांत, कंपनी द्वारा शेष आयकर की राशि ₹ 1.34 करोड़ का भुगतान 28 सितम्बर 2013 को वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विवरणी भरते समय किया गया। अग्रिम कर का भुगतान न करने के कारण, कंपनी ने दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 14.84 लाख[12] का भुगतान (28 सितम्बर 2013) भी किया।

हमने पाया कि कंपनी के पास अनुमानित आय की सामयिक समीक्षा करने की कोई प्रणाली नहीं थी। कंपनी की ओर से अपनी त्रैमासिक आय के आंकलन करने में असफल रहने के कारण अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसे ₹ 14.84 लाख के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि निगम एक नवीन समामेलित संस्था है और उसके पास पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण 2012-13 की अवधि का अग्रिम कर जमा नहीं किया जा सका। सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2013-14 का अग्रिम कर समय पर जमा कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान भी ₹ 1.03 करोड़ तथा ₹ 2.21 करोड़ क्रमशः 17 दिसम्बर 2013 तथा 18 मार्च 2014 को प्रावधिक रूप से अग्रिम कर का भुगतान किया गया जो कि यह दर्शाता है कि प्रबंधन पुनः अग्रिम कर के भुगतान के लिए निर्धारित त्रैमासिक समयावधि को ध्यान में रखने में असफल रहा।

कंपनी को त्रैमासिक लाभ का अनुमान लगाने तथा उसके अनुरूप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली की स्थापना के लिये योजना बनानी चाहिये।

[12] अधिनियम की धारा 234 बी के तहत ₹ 8.06 लाख एवं धारा 234 सी के तहत ₹ 6.78 लाख

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.3 आयकर का परिहार्य भुगतान

सामूहिक अवकाश नगदीकरण योजना पालिसी पर उपार्जित ब्याज को कंपनी की आय मानने के परिणामस्वरूप एवं उसका गलत लेखांकन करने से ₹ 49.05 लाख के आयकर का परिहार्य भुगतान

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह अवकाश नगदीकरण योजना पालिसी (जीएलईएस) ली (1 मार्च 2009), जो कि एक परिभाषित लाभ योजना है। नियोजित सम्पत्ति के उचित मूल्य की तुलना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में दायित्वों के वर्तमान मूल्य के साथ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया तथा कंपनी ने जीएलईएस में अंशदान के रूप में कमी की भरपाई की है। तदानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, भारतीय जीवन बीमा निगम बीमांकिक मूल्यांकन करता है तथा जीएलईएस निधि पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा देय अंशदान की गणना की जाती है। कंपनी द्वारा 2009-10 से अपने लेखों में जीएलईएस से अर्जित ब्याज को अपनी आय के साथ-साथ व्यय के रूप में दिखाया गया है (जीएलईएस निधि में अंशदान)। जबकि कंपनी को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित दायित्वों के वर्तमान मूल्य की तुलना में केवल नियोजित सम्पति (उपार्जित ब्याज सहित) के उचित मूल्य की कमी का अंशदान करने की आवश्यकता थी, जीएलईएस पर उपार्जित ब्याज कंपनी की आय नहीं थी।

हमने पाया कि कंपनी कृषि सम्बन्धी क्रियाओं में लगी है और इस प्रकार इसकी कृषि से आय आयकर से मुक्त है। यद्यपि, जीएलईएस पर उपार्जित ब्याज को अपनी गलत आय मानकर, जो कि कृषि आय नहीं है, कंपनी को ₹ 49.05 लाख आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा जैसा कि ***अनुलग्नक- 3.3*** में दर्शित है।

अगर जीएलईएस के अंशदान में वास्तविक कमी की राशि (शुद्ध उपार्जित ब्याज) को ध्यान में रखा जाता, तो कंपनी को ₹ 49.05 लाख आयकर के रूप में भुगतान करने की आवश्यकता नही थी।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि वर्ष 2013-14 से जीएलईएस पालिसी पर उपार्जित ब्याज का लेखांकन लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा।

3.4 राजस्व की हानि

कंपनी द्वारा निविदा में औद्योगिक बाँस की कम मात्रा दर्शाने के कारण ₹ 11.77 लाख के राजस्व की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) अपने जंगलों में औद्योगिक बाँस उत्पादित करता है, जिसे नोशनल टन (एनटी)[13] में मापा जाता है। कंपनी द्वारा औद्योगिक बाँस का विक्रय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ शासन (सीसीएफ)

[13] बाँसों की 2400 मीटर की लम्बाई

द्वारा आमंत्रित निविदा के माध्यम से किया जाता है। सीसीएफ प्रत्येक वर्ष कंपनी के विभिन्न वन डिपो में औद्योगिक बाँस के स्टॉक की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करता है और उनके निराकरण हेतु निविदा आमंत्रित करता है। निविदा प्रक्रिया के उपरांत, सीसीएफ क्रेता (सफल बोलीदाता) का चयन करता है तथा क्रेता इसके संबंध में कंपनी के क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आरजीएम) के साथ एक अनुबंध निष्पादित करता है। निविदा की नियम एवं शर्ते तथा अनुबंध यह व्यवस्था करता है कि क्रेता द्वारा निविदा में अंतिमीकृत की गई मात्रा एवं मूल्य के अनुसार औद्योगिक बाँस का क्रय किया जायेगा तथा क्रेता उसी तरीके से निविदा में दर्शित मात्रा के 25 प्रतिशत तक बाँस की अतिरिक्त मात्रा क्रय करने के लिए बाध्य होगा जो उसे प्रस्तावित की गई है। ऐसी दशा में जहाँ औद्योगिक बाँस का उत्पादन निविदा में दर्शित मात्रा तथा 25 प्रतिशत की अतिरिक्त मात्रा से भी अधिक हो जाता है, वहाँ उस अतिरिक्त मात्रा के लिए दरें 10 प्रतिशत कम हो जायेगी। अगर औद्योगिक बाँस की मात्रा निविदा में कम दर्शित की जाती है तो वहाँ पर कम राजस्व वसूली का जोखिम होता है।

वर्ष 2010-11 के लिए पानाबरस संभाग के 646.34 एनटी के वास्तविक उत्पादन के विरूद्ध 200 एनटी औद्योगिक बाँस को मेसर्स राजेश कुमार खण्डेलवाल, राजनांदगांव (ठेकेदार) को ₹ 3600 प्रति एनटी की दर से विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई (जनवरी 2011 में प्रथम चरण की निविदा में)। कंपनी ने कुल 360 एनटी[14] बाँस का विक्रय ठेकेदार को किया तथा 286.34 एनटी की शेष मात्रा का विक्रय (मई 2012) सीसीएफ के द्वारा निविदा के माध्यम से उसी ठेकेदार को ₹ 501 प्रति एनटी की दर से कम मूल्य पर किया। कंपनी द्वारा निविदा में ठेकेदार को विक्रय किये जाने वाले औद्योगिक बाँस की प्रस्तावित मात्रा कम दर्शाने के कारण ₹ 9.27 लाख का राजस्व कम प्राप्त हुआ जैसा कि ***अनुलग्नक 3.4*** में दर्शित है।

उसीतरह वर्ष 2011-12 के लिए, पानाबरस संभाग के 1041.82 एनटी के वास्तविक उत्पादन के विरूद्ध 580 एनटी औद्योगिक बाँस को मेसर्स सिरजन इण्टरप्राइजेज, राजनांदगांव (ठेकेदार) को ₹ 4654 प्रति एनटी की दर से विक्रय हेतु प्रस्तावित की गई (मार्च 2012)। ठेकेदार द्वारा केवल 725 एनटी की अनिवार्य मात्रा[15] उठाई गई तथा कंपनी द्वारा 316.82 एनटी की शेष मात्रा का विक्रय (जनवरी 2013) नीलामी के द्वारा ₹ 3864.56 प्रति एनटी की दर से कम मूल्य पर किया गया। इसके फलस्वरूप कंपनी को ₹ 2.50 लाख[16] का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

सरकार ने बताया (जून 2014) कि वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान सीसीएफ द्वारा निविदा में औद्योगिक बाँस के कम उत्पादन दिखाने का मुख्य कारण वन से डिपो तक बाँसों के परिवहन में अनिश्चितता का होना है क्योंकि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। यद्यपि, सरकार ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पानाबरस संभाग द्वारा बताये गये अनुमानित उत्पादन को वर्ष 2012-13 में 370 एनटी से 810 एनटी तथा 2013-14 में 700 एनटी से 1000 एनटी करने हेतु सुधारात्मक कदम उठा लिये गये है।

[14] 250 एनटी ₹ 3600 प्रति एनटी की दर से तथा 110 एनटी ₹ 3240 प्रति एनटी की दर से
[15] 580 एनटी तथा 145 एनटी ₹ 4654 प्रति एनटी की दर से
[16] 316.816 एनटी X (₹ 4654.00 - ₹ 3864.56) प्रति एनटी

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्रेता से अनुबंध अंतिमीकृत करने के पहले, कंपनी वन से डिपो तक परिवहन किये गये वास्तविक औद्योगिक बाँस की मात्रा से अवगत (मार्च 2011 तथा मार्च 2012) थी, जैसा कि वर्ष 2010-11 के लिए 515.65 एनटी तथा वर्ष 2011-12 के लिए 809.05 एनटी जो कि निविदा में दर्शित मात्रा से बहुत अधिक थी। इसप्रकार, कंपनी ने अनुबंधित मात्रा को पुनरीक्षित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया जैसा कि अतिरिक्त प्रबंध संचालक द्वारा मार्च 2011 में सुझाव दिया गया था और न ही नवीन निविदा आमंत्रित की जिसके फलस्वरूप कंपनी को राजस्व की हानि हुई।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड

3.5 ऑटो स्वीप सुविधा नहीं लेने के कारण ब्याज की हानि

चल खाते में ऑटो-स्वीप सुविधा न लेने के कारण कंपनी को ₹ 54.74 लाख के ब्याज की हानि हुई

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में हुई (नवम्बर 2001)। कंपनी द्वारा विभिन्न पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से विविध ब्राण्ड की आईएमएफएल का क्रय तथा कंपनी के गोदामों में भण्डारण करने के पश्चात् इसमें अपना लाभ का मार्जिन जोड़कर फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर विक्रय किया जाता है।

कंपनी के लेनदेन पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं एचडीएफसी बैंक के चल खातों द्वारा संचालित होते हैं। कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कंपनी ने यूको बैंक, रायपुर (27 सितम्बर 2011) तथा एक्सिस बैंक, रायपुर (20 सिम्तबर 2013) में एक और चल खाता खुलवाया। चल खाते में रखी राशि पर ब्याज अर्जित करने के लिए कंपनी ने यूको बैंक को न्यूनतम राशि ₹ 50,000 चल खाते में रखकर ₹ 50,000 से अधिक की राशि को ऑटो स्वीप खाते[17] में अंतरण करते हेतु निर्देश दिए (10 अक्टूवर 2011)।

यूको बैंक तथा एक्सिस बैंक में संधारित चल खाते के अक्टूबर 2011/सितम्बर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दैनिक बैंक शेष की संवीक्षा (मार्च 2014) में खुलासा हुआ कि कंपनी के पास चल खाते में अत्यधिक शेष राशि पड़ी हुई थी। यूको बैंक में न्यूनतम शेष ₹ 0.95 लाख (3 मार्च 2012) तथा ₹ 10.00 करोड़ (1 अक्टूबर 2011) एवं एक्सिस बैंक में न्यूनतम शेष ₹ 23.81 लाख (20 सितम्बर 2013) तथा ₹ 6.93 करोड़ (27 दिसम्बर 2013) के मध्य ब्याज रहित चल खाते में पड़ा हुआ था, जैसा कि ***अनुलग्नक 3.5*** में दर्शाया गया है।

[17] इस योजना के तहत उपभोक्ता को खाते में कुछ न्यूनतम शेष रखना पड़ता है तथा न्यूनतम शेष से अधिक राशि स्वतः सावधि जमा खाते में नियमित समयांतराल में उस अवधि तक जब तक कि उपभोक्ता द्वारा इस राशि का उपयोग नहीं कर लिया जाता, अंतरित हो जाती है। उपभोक्ता की आवश्यकतानुसार यदि चल खाते में राशि अपर्याप्त होने पर सावधि जमा स्वतः ही बंद हो जाती है (आहरण की राशि के आधार पर) तथा ब्याज की गणना उस अवधि के लिए, जब तक कि राशि इस योजना में थी, तक की जाती है

हमने पाया कि यद्यपि कंपनी ने ब्याज आय को अधिक करने के लिए यूको बैंक को ₹ 50,000 से अधिक की राशि को चल खाते से ऑटो-स्वीप खाते में अंतरण हेतु निर्देश दिया था, किन्तु यूको बैंक अधिक राशि को ऑटो स्वीप खाते में अंतरण करने में विफल रहा। हमने यह भी पाया कि कंपनी ने एक्सिस बैंक में संधारित चल खाते में ऑटो स्वीप सुविधा नहीं ली। इसके परिणामस्वरूप दोनों बैंको के ब्याज रहित चल खातों में अत्यधिक राशि पड़ी रही, जिससे ₹ 54.74 लाख की ब्याज की हानि हुई, जिसकी गणना ऑटो-स्वीप खाते में लागू ब्याज दर के आधार पर की गई है, जैसा कि ***अनुलग्नक 3.5*** में वर्णित है।

शासन ने कहा (जून 2014) कि कंपनी द्वारा यूको बैंक में ऑटो-स्वीप सुविधा पहले से ही ले ली गई थी, किन्तु बैंक की तरफ से कुछ तकनीकि समस्या के कारण कुछ दिनों तक यह राशि ऑटो-स्वीप खाते में अंतरित नहीं की जा सकी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी राशि को अंतरण न करने के प्रकरण को यूको बैंक से सुलझाने में विफल रही तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी को बैंक की आंतरिक समस्या के कारण ब्याज की हानि हुई।

कंपनी को प्रकरण तत्काल यूको बैंक के संज्ञान में लाना चाहिए था तथा ब्याज की हानि को रोकने के लिए एक्सिस बैंक में ऑटो-स्वीप सुविधा लेनी चाहिए थी।

3.6 शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान

स्रोत पर संग्रहित कर को शासकीय खाते में निश्चित समय सीमा में जमा करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 206 सी के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय रकम क्रेता के लेखा में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में अथवा चेक अथवा ड्राफ्ट लेकर अथवा किसी अन्य रीति से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, मानव उपयोग के एल्कोहॉलिक लिकर के क्रेता से एक प्रतिशत राशि आयकर के रूप में संगृहित करेगा। इस तरह संगृहित किये गए कर को स्रोत पर संगृहित कर (टीसीएस) कहा जाता है। आयकर नियम के नियम 30(2) के अनुसार विक्रेता को टीसीएस की राशि कटौती किए गए माह के अंत से सात दिन में या इससे पहले शासन के खाते में जमा करना पड़ता है। टीसीएस समय पर जमा करने में विफल होने की दशा में 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से (30 जून 2010 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष) उस तिथि से जब से कर कटौती योग्य/संगृहित करने योग्य हो, से शासकीय खाते में भुगतान तक के लिए भारित होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना राज्य में भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) के क्रय, भण्डारण एवं विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के थोक अभिकर्त्ता के रूप में पूर्णरूप से स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में हुई (नवम्बर 2001)। कंपनी विभिन्न पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से विविध ब्राण्ड की आईएमएफएल का क्रय तथा कंपनी के गोदामों में भण्डारण करने के पश्चात इसमें अपना लाभ का मार्जिन जोड़कर फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर विक्रय किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961

(अधिनियम) की धारा 206 सी के अनुसार फुटकर क्रेताओं को मदिरा विक्रय करते समय, आयकर (टीसीएस) संगृहित करने तथा इसे आयकर नियम के नियम 30(2) के प्रावधानों के अनुसार शासकीय खाते में जमा करने हेतु कंपनी उत्तरदायी है।

दस्तावेजों की संवीक्षा (मार्च 2014) से खुलासा हुआ कि 2009-12 के दौरान, कुछ प्रकरणों में कंपनी टीसीएस राशि शासकीय खाते में निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा करने में विफल रही परिणामतः उसे ₹ 10.16 लाख के शास्ति ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

शासन ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार करते हुऐ कहा (जून 2014) कि साफ्टवेयर में तकनीकि समस्या तथा कंपनी के रायपुर गोदाम के स्थानांतरण के कारण टीसीएस की राशि समय पर जमा नहीं की जा सकती थी। शासन ने यह भी कहा कि कंपनी द्वारा ऑनलाईन भुगतान सेवा लागू करने के पश्चात् टीसीएस राशि एवं अन्य कर अब नियमित रूप से समय पर जमा किए जा रहे है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

3.7 आधिक्य निधि का अन्यायोचित निवेश

आधिक्य निधि के अन्यायोचित निवेश के परिणामस्वरूप ₹ 40.66 लाख की कम ब्याज की प्राप्ति हुई

ब्याज अर्जन हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) अपनी आधिक्य निधि को विभिन्न अनुसूचित बैंको में सावधि जमा (एफडी) के रूप में निवेश करती हैं। 31 मार्च 2013 की स्थिति में कंपनी के पास 18 बैंकों में ₹ 584.45 करोड़ की एफडी थी, जिनकी ब्याज दर सात एवं 10.10 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान की गयी एफडी की नमूना जाँच (नवम्बर 2013) में यह पाया गया कि कंपनी ने अपनी आधिक्य निधि के निवेश के लिए कोई नीति स्थापित नहीं की थी एवं एफडी में निवेश का निर्णय पूर्ण रूप से कंपनी के प्रबंधन के विवेक पर निर्भर था। हमने यह पाया कि कंपनी ने इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रस्तावित उच्च ब्याज दर की अनदेखी करते हुए तीन बैंकों में निम्न ब्याज दर पर ₹ 144.80 करोड़ निवेश किए। इसके कारण ₹ 40.66 लाख ब्याज से कम आय हुई जिसका विवरण ***तालिका-3.6*** में दिया गया है।

तालिका - 3.6

स.क्र.	बैंक का नाम	मूलधन (₹ करोड़ में)	निवेश की अवधि	ब्याज की दर(%)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)	ब्याज जो अर्जित किया जा सकता था यदि निधि को 9.25 प्रतिशत की दर पर इलाहाबाद बैंक में निवेश किया गया होता (₹ लाख में)	कम ब्याज आय (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
1	बैंक ऑफ बड़ौदा[18]	140.00	एक वर्ष (26.10.2012)	9.00	1303.17	1340.62	37.45
2	आंध्रा बैंक	1.17	एक वर्ष (25.10.2012)	8.00	10.94	11.25	0.31
3	ऐक्सिस बैंक	3.63	एक वर्ष (13.10.2012)	8.50	31.84	34.74	2.90
			योग				40.66

शासन ने कहा (अगस्त 2014) कि इलाहाबाद बैंक की ब्याज दर पर विचार नहीं किया गया क्योंकि बैंक ने 9.25 प्रतिशत की ब्याज दर पाँच करोड़ से कम निवेश की राशि के लिए प्रस्तावित की थी चूंकि पाँच करोड़ एवं उससे अधिक राशि के एफडी के लिए उन्हें अपने महाप्रबंधक (आईआरएम) से पूर्व अनुमति लेनी होती है जिसमें अधिक समय लग जाता। एक्सिस बैंक में किए गए एफडी के संबंध में शासन ने कहा कि एक्सिस बैंक में निवेशित राशि "एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवलपिंग एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड अदर एलाइड एक्टीविटीस" (एसाइड) परियोजनाओं से संबंधित है जो केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई थी एवं केवल एक्सिस बैंक में ही रखी जानी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कंपनी ₹ 140 करोड़ को ₹ 5 करोड़[19] से कम की 28 एफडी बनाकर इलाहाबाद बैंक में निवेश कर सकती थी जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रकरण में किया गया था। एक्सिस बैंक के संबंध में, यद्यपि, कंपनी को एसाइड की राशि केवल एक्सिस बैंक में रखनी थी किन्तु यह कंपनी को अपनी आधिक्य निधि को अधिक योग्य विकल्प में निवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करता।

कंपनी को आधिक्य निधि के न्यायोचित निवेश से अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन निवेश नीति व्यवस्थापित करनी चाहिए।

3.8 आबंटिती को अनुचित लाभ

भूमि प्रीमियम की गणना के लिए कम दर लेने के कारण निजी पक्षकार को ₹ 23.60 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

उद्यमियों के विशिष्ट अनुरोध पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि अधिग्रहण कर, परियोजनाओं के प्रतिपादन के लिए उन्हें आबंटित करती है। निजी भूमि के आबंटन के लिए भूमि प्रीमियम की गणना भूमि के बाजार मूल्य[20] के साथ ही तोषण, ब्याज एवं प्रचलित सेवा प्रभार के आधार पर

[18] ₹ 10 करोड़ प्रत्येक की 14 एफडी

[19] अर्थात ₹ 499.99 लाख

[20] सेन्ट्रल वैल्युएशन बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष निर्धारित

की जाती है। इसके अतिरिक्त कंपनी, भूमि प्रीमियम के 2.5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक लीज़ रेंट एकत्र करती है। इस संबंध में राज्य शासन की अधिसूचना (अप्रैल 1982) में यह प्रावधानित है कि उद्यमियों को आबंटित शासकीय भूमि के भूमि प्रीमियम की गणना भी निजी भूमि के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) ने रायगढ़ जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए 62.140 हेक्टेयर भूमि जिसमें 0.959 हेक्टेयर शासकीय भूमि सम्मिलित थी, के आबंटन के लिए आवेदन किया (28 जुलाई 2010)। रायगढ़ जिला प्रशासन के अभिलेखों में 0.959 हेक्टेयर माप की भूमि को रायगढ़ जिले के ग्राम बरमूड़ा में निर्मित सड़क के रूप में दर्ज किया गया था। आवेदन पर विचार करने के बाद शासन ने कुल ₹ 21.38 लाख के भूमि प्रीमियम एवं ₹ 53450 के वार्षिक लीज़ रेंट पर 0.959 हेक्टेयर शासकीय भूमि जेएसपीएल को ग्राम के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था करने की शर्त पर आबंटित (23 मार्च 2013) किया एवं 99 वर्षों के लिए लीज़ डीड निष्पादित (3 जून 2013)की।

हमने पाया (नवम्बर 2013) कि उक्त शासकीय भूमि जिसका माप 0.959 हेक्टेयर था वास्तव में शासकीय अभिलेखों के अनुसार एक सड़क थी। तदानुसार, भूमि प्रीमियम की गणना करते समय, भूमि का बाजार मूल्य ₹ 23.95 लाख प्रति हेक्टेयर लिया जाना चाहिए था जो कि सेंट्रल वैल्युएशन बोर्ड (सीवीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क के किनारे के भूखण्ड की दर दी गई है। यद्यपि, कंपनी ने भूमि का कम बाजार मूल्य ₹ 13.92 लाख प्रति हेक्टेयर लिया जो कि *पड़ती*[21] भूमि की दर है। भूमि प्रीमियम की गणना के लिए भूमि की कम दर लेने के कारण कंपनी को ₹ 15.41 लाख के भूमि प्रीमियम एवं ₹ 8.19 लाख[22] 99 वर्षों की लीज़ अवधि के लीज़ रेंट की हानि हुई। इसके अतिरिक्त जेएसपीएल ने ग्राम के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। भूमि प्रीमियम एवं लीज़ रेंट की कम वसूली के कारण जेएसपीएल को ₹ 23.60 लाख का अनुचित लाभ भी पहुँचाया गया।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2014) कि कलेक्टर, रायगढ़ के आदेशानुसार उक्त सड़क एक ग्रामीण सड़क थी, जिसका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों में जाने के लिए किया जाता था एवं इस सम्पूर्ण भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् सड़क का कोई उपयोग नहीं था। तदानुसार, भूमि को *पड़ती* मानकर भूमि प्रीमियम की गणना की गई।

उत्तर यह सुनिश्चित करता है कि उक्त भूमि एक सड़क थी एवं तदानुसार भूमि प्रीमियम की गणना के समय भूमि का बाजार मूल्य ₹ 23.95 लाख प्रति हेक्टेयर लेना चाहिए था जो कि सीवीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क किनारे के भूखण्ड की दर है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन का यह उत्तर कि सम्पूर्ण भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् सड़क अनुपयोगी हो गई थी एवं तदानुसार, भूमि प्रीमियम की गणना के लिए सड़क किनारे के भूखण्ड की दर को नहीं लिया गया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि प्रीमियम की गणना के लिए अधिग्रहण के समय दर्ज भूमि के उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक भूमि प्रीमियम की गणना का प्रश्न है अधिग्रहण के पश्चात् भूमि के उपयोग मे बदलाव का कोई महत्व/उपयोगिता नहीं है। यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि आबंटन की

[21] वह भूमि जो हाल के 4-5 वर्षों से खेती के लिए उपयोग नहीं हुई हो

[22] पाँच प्रतिशत के डिस्काउंटिंग फैक्टर पर ₹ 50.82 लाख का शुद्ध वर्तमान मूल्य

शर्तों के अनुसार जेएसपीएल के द्वारा ग्राम के लिए सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही भूखण्ड का आबंटन किया जाना था। यद्यपि, जेएसपीएल ने अभी तक (सितंबर 2014) ग्राम के लिए वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था नहीं की तथा कंपनी ने भी इसके लिये जोर नहीं दिया।

कंपनी को जेएसपीएल से भूमि प्रीमियम एवं लीज़ रेंट के अंतर की राशि की वसूली करनी चाहिए।

हमने मामला राज्य शासन को सूचित (मार्च 2014) किया है, उनका उत्तर प्रतीक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

3.9 परिहार्य व्यय

कोरबा ताप विद्युत गृह के इकाई 6 की समय पर कैपिटल ओवरहॉलिंग (सीओएच) करने में कंपनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय हुआ

ताप विद्युत गृहों के प्रदर्शन के दीर्घकालीन स्थायी स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक संधारण कार्यक्रमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। उपकरणों की कार्यक्षमता एवं उपलब्धता, कैपिटल ओवरहॉलिंग कार्यक्रम/वार्षिक संधारण एवं उपकरण संधारण कार्यक्रम के सख्ती से पालन पर निर्भर करती है। कार्यक्रमों के पालन न होने से उपकरण द्वारा कोयला, ईधन तेल के अधिक खपत करने का खतरा होता है एवं बलकृत आउटेज का खतरा बढ़ जाता है जिससे सुधार एवं संधारण कार्य आवश्यक हो जाते है। इन घटकों के कारण उपकरणों की उपलब्धता में कमी होने से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती हैं जिससे पूरा विद्युत उत्पादन प्रभावित होता है।

नवीनीकरण के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के कोरबा ताप विद्युत गृह (केटीपीएस) की 120 मेगावाट क्षमता वाली इकाई 6 ने 8 अक्टूबर 2003 को विद्युत उत्पादन शुरू किया। मानक प्रचलन के अनुसार, विद्युत संयंत्र के सुचारू परिचालन के लिए हर पाँचवें वर्ष सीओएच किया जाता है एवं तद्नुसार इकाई 6 का सीओएच अक्टूबर 2008 में होना था। हमने यह पाया (फरवरी 2014) कि इकाई 6 में 2004 से हो रहे टर्बो जनरेटर बेरिंग में उच्च कम्पन, टीजी के अधिक धुरीय अंतरण, इंटरमीडिएट प्रेशर (आईपी) डिफरेंशियल एक्सपैंशन के असाधारण व्यवहार के बारे में सचेत होने के बाद भी एवं यह जानते हुए कि इन समस्याओं को सीओएच के दौरान ही सुधारा जा सकता है, कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच समय पर नहीं किया जिसके कारण नवम्बर 2012 में बड़ा ब्रेकडाउन घटित हुआ। परिणामस्वरूप इकाई 6, 4 नवम्बर 2012 से 8 मई 2013 तक 186 दिनों के लिए जनरेटर रोटर के सुधार एवं सीओएच के निष्पादन के लिए बन्द रही। यदि कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच कार्यक्रम के अनुसार किया होता तो जनरेटर रोटर के उच्च कम्पन की समस्या सीओएच के दौरान ही सुधार ली जाती जिससे कि जनरेटर रोटर को हुए नुकसान के साथ ही इकाई 6 के आउटेज को टाला जा सकता था। अतः कंपनी की विफलता के कारण इकाई 6 के

आउटेज की वजह से 221.18 मिलियन यूनिट[23] की उत्पादन हानि के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त जनरेटर रोटर के सुधारकार्य पर ₹ 68.87 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (अप्रैल 2014) कि मशीनों का वार्षिक ओवरहॉलिंग प्रत्येक वर्ष नियत किया जाता है एवं सीओएच का निर्धारण मशीन की अवस्था को देखकर किया जाता है कि कहीं कोई बड़ी खराबी तो नहीं जो कि बहुत लंबे समय से बनी हुई हो जिसे नियमित एओएच के दौरान ठीक नहीं किया जा सकता। मशीन के ओरिजनल इक्युपमेंट मैनुफैक्चरर अर्थात बीएचईएल ने भी सीओएच के लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की एवं इससे पहले कंपनी ने इकाई 6 का सीओएच लगभग 10 वर्षों के अंतराल में करवाया था। प्रबंधन ने आगे यह भी कहा कि, चूंकि इकाई 6 (टर्बाइन एवं जनरेटर के बेरिंग में कम्पन, टर्बाइन के एक्सियल शिफ्ट एवं डिफरेंशिएल एक्सपैंशन सामान्य थे) में कोई भी महत्वपूर्ण असामान्यतायें नहीं थी जिसके लिए सीओएच आवश्यक हो, एओएच अक्टूबर-नवम्बर 2012 में किया गया। सीओएच का निर्णय बाद में एओएच की समाप्ति पर फ्रन्ट जनरेटर बेरिंग के विफल होने पर लिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, यद्यपि, बीएचईएल ने सीओएच करने के लिए कोई भी समयावधि निर्धारित नहीं की थी, केटीपीएस के मैदानी अधिकारियों[24] एवं कंपनी के मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रयः उत्पादन) ने क्रमशः 24 नवंम्बर 2012 एवं 4 दिसम्बर 2012 को यह सुझाव दिया था कि सुचारू संचालन के लिए विद्युत गृह का हर पाँचवे वर्ष सीओएच किया जाना चाहिए। तद्नुसार केटीपीएस के अधिकारियों ने भी यह अवगत कराया (24 नवम्बर 2012) कि इकाई 6 का सीओएच लंबे समय से लंबित है। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन का यह उत्तर कि एओएच के पहले, इकाई 6 में कोई भी महत्वपूर्ण असामान्यता नहीं थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि, टीजी बेरिंग में उच्च कम्पन, टीजी का अधिक एक्सिअल शिफ्ट, आई पी डिफरैंशियल एक्सपैंशन का असामान्य व्यवहार इत्यादि जैसी समस्याएँ इकाई 6 में जुलाई 2004 से ही थी, जिसका उल्लेख इकाई 6 के आउटेज के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए गठित समिति के द्वारा भी किया गया था (जनवरी 2013)।

कंपनी को विद्युत क्षेत्र में सर्वोतम तरीकों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल ओवरहॉलिंग करने के लिए नीति व्यवस्थापित करना/दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति टाली जा सके।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2014) तथा उनका उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2014)।

[23] शुद्ध आउटेज 96 दिनों के लिए था अर्थात कुल 186 दिनों का आउटेज(-) सीओएच के लिए अधिकतम 90 दिनों का स्वीकृत समय। अतः 96 दिनों के लिए उत्पादन हानि (120 मे.वा.X 1000 केडब्ल्यूएच X 24 घंटे X 80 प्रतिशत पीएलएफ X 96 दिन)/10,00,000 केडब्ल्यूएच = 221.18 मिलियन यूनिट थी

[24] अधीक्षण अभियंता (ईटीएण्डआई) एवं अधीक्षण अभियंता (एमएम- III)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

3.10 निजी विद्युत उत्पादकों को अनुचित लाभ

निजी विद्युत उत्पादकों के साथ किए गए विद्युत क्रय अनुबंध में लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करने तथा लाईन लॉस को न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप निजी विद्युत उत्पादकों को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

छत्तीसगढ़ राज्य में दिसम्बर 2008 तक राज्य की विद्युत की माँग की पूर्ति करने के लिए अल्पकालीन आधार पर कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी)/इंडिपेन्डेन्ट विद्युत उत्पादक (आईपीपी) से विद्युत का क्रय पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता था। मण्डल के विखण्डन के पश्चात् विद्युत का क्रय 1 जनवरी 2009 से 31 मार्च 2010 तक विद्युत वितरण कंपनी (वितरण कंपनी) द्वारा तथा इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिग कंपनी (ट्रेडिंग कंपनी) द्वारा किया जाता था।

तदानुसार, राज्य की माँग की पूर्ति करने के लिए वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी सीपीपी/आईपीपी से अल्पकालीन आधार पर विद्युत क्रय करते हैं। विद्युत उत्पादक अपने संयंत्र की क्षमता के आधार पर वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी को विद्युत विक्रय हेतु प्रस्ताव करते हैं प्रत्युत्तर में वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी माँग के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। बाद में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की नियम एवं शर्तों के अनुसार विद्युत संयंत्र एवं वितरण कंपनी/ट्रेडिंग कंपनी विद्युत क्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबंध (अनुबंध) निष्पादित करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007 (30 दिसंबर 2006 से लागू) के उपबंध 4.1.1 के अनुसार क्रय की गई विद्युत के लिए मीटरींग प्वाईंट अनुज्ञप्तिधारी[25] का अति उच्चदाब उपकेंद्र का इनकमिंग फीडर गैन्ट्री होगा। विद्युत संयंत्र से लेकर उपकेंद्र के इंजेक्टिंग प्वाईंट तक की पारेषण हानि विद्युत उत्पादकों द्वारा वहन की जाती है। तदानुसार, ट्रेडिंग कंपनी ने ऐसे विद्युत उत्पादकों, जो ग्रिड में विद्युत संयंत्र से सीधे विद्युत इंजेक्ट कर रहे हो, से अप्रैल 2010 से पाँच [26] /छः[27] प्रतिशत की दर से पारेषण हानि की वसूली प्रारंभ की।

(अ) वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 15 विद्युत उत्पादक[28] विद्युत संयंत्र से सीधे ग्रिड में विद्युत इंजेक्ट कर रहे थे तथा मीटरिंग व बिलिंग के संबंध में उचित उपबंध शामिल नहीं किया तथा 2008-10 के

[25] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

[26] 220/132 केव्ही लाईन के लिए

[27] 33 केव्ही लाईन के लिए

[28] बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड, सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एवं पावर लिमिटेड, जी आर स्पंज एवं पावर लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एबीसी इण्डिया, इण्ड सेनर्जी, क्रेस्ट स्टील एवं पावर लिमिटेड, टॉपवर्थ स्टील लिमिटेड, प्रकाश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, नवदुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, अंजनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, बजरंग मेटालिक्स, ए पी आई इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड

दौरान छः विद्युत उत्पादकों [29] से ₹ 19.92 करोड़[30] वसूल नहीं कर पाया। बाद में, ट्रेडिंग कंपनी ने 2010-11 से विद्युत का क्रय-विक्रय प्रारंभ किया और विद्युत उत्पादकों से पारेषण हानि की वसूली प्रारंभ की तथा उक्त छः विद्युत उत्पादकों से 2009-10 का ₹ 5.05 करोड़ वसूल किया। छः में से पाँच[31] विद्युत उत्पादकों जिनसे ट्रेडिंग कंपनी ने पारेषण हानि की वसूली की, ने आयोग के समक्ष पारेषण हानि की वापसी के लिए याचिका दायर की। आयोग ने प्रकरण का फैसला विद्युत उत्पादकों के पक्ष में दिया (14 दिसम्बर 2011) तथा ट्रेडिंग कंपनी ने आदेश के अनुपालन में ₹ 4.13 करोड़ इन विद्युत उत्पादकों को वापस किया (जनवरी 2012)।

इसप्रकार, अनुबंध निष्पादित करते समय पारेषण हानि की कटौती का उचित वाक्य शामिल नहीं करने से ₹ 19.00 करोड़[32] की हानि हुई।

वितरण कंपनी ने कहा (7 अगस्त 2013/12 अगस्त 2014) कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007 के प्रथम संशोधन के वाक्य 4.1.4 के अनुसार सभी वर्तमान विद्युत उत्पादकों को 31 मार्च 2009 तक ग्रिड से संयोजकता सुनिश्चित करना था, जिसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया था। आयोग ने भी मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2011 का 29 (डी) के आदेश में लाईन लॉस की वसूली को विद्युत क्रय अनुबंध में लाईन लॉस से संबंधित उचित उपबंध शामिल न करने के कारण अमान्य कर दिया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा विद्युत उत्पादकों को स्वतंत्र संयोजकता के लिये 31 मार्च 2009 तक समय सीमा में छूट, विद्युत उत्पादकों की ग्रिड से संयोजकता की कटौती से रोकने के लिए किया गया था, जिसका लाईन लॉस/ पारेषण हानि की कटौती करने से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मेसर्स सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड से लाईन लॉस की वसूली को अमान्य, अनुबंध में लाईन लॉस की कटौती संबंधी उचित उपबंध शामिल न करने के कारण किया।

(ब) यह भी पाया गया कि ट्रेडिंग कंपनी ने बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड से लाईन लॉस की लागू दर पाँच प्रतिशत के विरूद्ध 0.04 प्रतिशत की दर से कटौती की। पाँच प्रतिशत के स्थान पर 0.04 प्रतिशत की दर से लाईन लॉस की कटौती न्यायोचित नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड को ₹ 1.54 करोड़[33] का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

ट्रेडिंग कंपनी ने कहा (12 अगस्त 2014) कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के मीटर रिले टेस्टिंग संभाग द्वारा स्वतंत्र फीडर की औसत हानि की गणना 0.04 प्रतिशत से की गई है तथा इसे ही लाईन लॉस की गणना के लिए स्वीकार किया गया हैं।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि अप्रैल 2010 से ट्रेडिंग कंपनी अन्य उत्पादकों से पाँच प्रतिशत की दर से लाईन लॉस वसूल रही है।

[29] सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जी.आर. स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एसीबी इंडिया

[30] 2008-09: ₹ 9.70 करोड़ एवं 2009-10: ₹ 10.22 करोड़

[31] सिंघल इंटरप्राइजेज पावर लिमिटेड, जयसवाल नेको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सालासार स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जी.आर. स्पंज एण्ड प्राईवेट लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड,

[32] ₹ 19.92 करोड़ - (₹ 5.05 करोड़ - ₹ 4.13 करोड़)

[33] 2009-10 के दौरानः ₹ 0.15 करोड़ एवं 2010-11 के दौरानः ₹ 1.39 करोड़

इस प्रकार, सीपीपी/आईपीपी से अनुबंध करते समय लाईन लॉस की कटौती के उचित उपबंध को शामिल न करने तथा लाईन लॉस को एक सीपीपी से न्यूनतम दर से लागू करने के परिणामस्वरूप सीपीपी/आईपीपी को ₹ 20.54 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया।

हमने मामला राज्य शासन को सूचित (जुलाई 2014) किया है, उनका उत्तर प्रतिक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

3.11 कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को अनुचित लाभ

विद्युत क्रय अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग में संशोधन करने की स्वीकृति के परिणामस्वरूप कैप्टिव विद्युत उत्पादक को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (ट्रेडिंग कंपनी) मेसर्स कार्पोरेट इस्पात एण्ड एलॉय लिमिटेड (सीआईएएल) (8 अप्रैल 2010 एवं 19 अगस्त 2010) तथा मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) (26 अगस्त 2010) द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा जारी आदर्श विद्युत क्रय अनुबंध (अनुबंध) में दर्शायी गई अधिकतम सीमा दर, नियमों एवं शर्तो के आधार पर सीआईएएल तथा बाल्को से वर्ष 2010-11 के लिए अल्पकाल में विद्युत क्रय किया।

अनुबंध के उपबंध 3 के अनुसार विद्युत उत्पादकों को ट्रेडिंग कंपनी को आगामी माह में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की मात्रा की मासिक सूचना चालू माह के 23 तारीख तक देना होगा। यदि विद्युत उत्पादकों द्वारा आगामी माह की सूचना निर्धारित तिथि तक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को ट्रेडिंग कंपनी को सूचित करते हुए नहीं दी जाती है तो चालू विद्युत शेडयूलिंग ही आगामी माह के लिए भी लागू होगी। लोड फैक्टर एवं प्रभावशील दर (विद्युत क्रय) की गणना मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित सूत्र[34] के अनुसार विद्युत क्रय की अनुसूचित मात्रा के आधार पर की जाती है।

सूत्र से यह देखा जा सकता है कि यदि विद्युत की अनुसूचित मात्रा कम ली जाती है, तो लोड फैक्टर में वृद्वि होगी तथा प्रभावशाली दर में भी वृद्वि होगी इस तरह विद्युत क्रय दर, विद्युत की अनुसूचित मात्रा के साथ बदलती है।

अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि सीआईएएल एवं बाल्को विद्युत की अनुसूचित मात्रा की घोषणा निर्धारित समय में घोषित करने में विफल रहा तथा इसे चालू माह की 23 तारीख के बाद सूचित किया, यद्यपि इसे ट्रेडिंग कंपनी के अनुबंध के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए स्वीकार कर लिया। सीआईएएल एवं बाल्को के विद्युत

[34] लोड फैक्टर= सप्ताह/माह में इंजेक्ट की गई इकाई / मासिक अनूसूचित मात्रा x 19 घंटे (ऑफ पीक घंटे के लिए) या 5 घंटे (पीक घंटे के लिए) x सप्ताह या माह में दिनों की संख्या

प्रभावशील दर = विद्युत क्रय दर x लोड फैक्टर % / 80%

क्रय देयक में विद्युत क्रय की अनुसूचित मात्रा में संशोधन के लिए अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में दिया गया है।

तालिका - 3.7

विद्युत उत्पादकों के नाम	चालू विद्युत मात्रा (मेगावाट)	आपूर्ति घण्टे (पीक/ऑफ पीक/राउन्ड द क्लाक)	विद्युत की अनुसूचित मात्रा की सूचना (मेगावाट)	शेड्यूलिंग/सूचना की तिथि	अवधि	अधिक भुगतान (₹ लाख में)
सीआईएएल	20	पीक घण्टे	16	29- मई -10	1 जून 2010 से 30 जून 2010	33.85
	23	पीक घण्टे	16	27-अगस्त-10	25 सितम्बर 2010 से 30 सितम्बर 2010	31.46
बाल्को	265	राउन्ड द क्लॉक	93	4-अक्टूबर-10	29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2010	71.95
योग						137.26

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आँकड़ो का संकलन)

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2014) कि लोड फैक्टर एवं प्रभावशील विद्युत क्रय दर की गणना वास्तविक इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर की गई, जिसके लिए एसएलडीसी से ओपन एक्सेस के लिए "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादक आगामी माह के लिए अनुसूचित विद्युत मात्रा की घोषणा चालू माह की 23 तारीख तक करने में विफल रहा, इसलिए इसे चालू माह की विद्युत मात्रा के आधार पर ही गणना किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, विद्युत क्रय अनुबधों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्युत की शेड्यूलिंग मे संशोधन की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सीआईएएल एवं बाल्को को ₹ 1.37 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

हमने मामला शासन को सूचित किया (जुलाई 2014) उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत् (अक्टूबर 2014) है।

सामान्य

3.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.12.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विभागों द्वारा संधारित लेखों एवं अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ होकर उनकी समीक्षा करते हुए चरम स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उन पर उपयुक्त एवं समयबद्व प्रतिक्रिया कार्यपालक द्वारा हो।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका में क्रमशः मार्च 2010, मार्च 2011, अप्रैल 2012, मार्च 2013 तथा फरवरी 2014 मे रखे जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा

वर्ष 2011-12 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) तथा वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में सम्मिलित आठ विभागों के अंतर्गत कार्यरत 11 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से संबंधित 27 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं में से 14 कण्डिकाओं/निष्पादन लेखा परीक्षाओं के संबंध में सरकार से 30 सितंबर 2014 तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***तालिका 3.8*** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.8

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंण्डिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिसके लिए प्रत्युत्तर प्राप्त नही हुए
2008-09	6	6	2
2011-12	11	5	7
2012-13	10	6	5
योग	**27**		**14**

विभागवार विश्लेषण ***अनुलग्नक - 3.6*** में दिया गया है

सार्वजनिक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.12.2 वर्ष 2001-02 से 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में 75 कण्डिकाओं तथा आठ निष्पादन लेखापरीक्षाओं को शामिल किया गया। इनमें से 46 कण्डिकाओं तथा पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा 30 सितंबर 2014 तक चर्चा की जा चुकी है। सार्वजनिक उपक्रम समिति ने वर्ष 2001-02 से 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की छः कण्डिकाओं के संबंध में ही अनुशंसाएँ दी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई भी अनुशंसा अभी तक नहीं की गई है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकारी नियमों के अनुसार विभागों को उनसे संबंधित अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) तीन माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 30 सितंबर 2014 तक 2001-02 से 2009-10 के वर्षों के लिए केवल एक एक्शन टेकन नोट प्राप्त हुआ।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.12.3 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यातव्य एवं मौके पर निराकृत न हुई लेखापरीक्षा आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को सूचित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर इनकी प्राप्ति के चार सप्ताह की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मार्च 2014 तक 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित जारी निरीक्षण प्रतिवेदन परिलक्षित करते हैं कि 182 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 474 कण्डिकाएं सितंबर 2014 के अंत तक अनिराकृत रही। निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनिराकृत कण्डिकाओं की 30 सितंबर 2014 को विभागवार स्थिति ***अनुलग्नक - 3.7*** में दी गई है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव तथा प्रधान सचिव, वित्त को छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती

है। जनवरी 2014 से अगस्त 2014 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रेषित 11 प्रारूप कण्डिकाओं (एक वृहद कंडिका सहित) तथा एक समीक्षा मे से शासन द्वारा सात प्रारूप कण्डिकाओं का उत्तर अब तक दिया गया है (अक्टूबर 2014)। चार प्रारूप कण्डिकाओं तथा एक समीक्षा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जैसा कि ***अनुलग्नक - 3.8*** मे वर्णित है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि (अ) जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/समीक्षाओं एवं लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) से संबंधित उत्तरों को भेजने मे विफल रहते हैं, उन पर कार्यवाही करने की एक प्रक्रिया विद्यमान है, (ब) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली समयबद्व तरीके से किये जाने की कार्यवाही की गई है तथा (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीकरण किया गया।

रायपुर **(बिजय कुमार मोहंती)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक - 1.1

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध मे 31 मार्च 2014 को अद्यतन प्रदत पूंजी, लंबित ऋण और जनशक्ति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका - 1.8)

(स्तंभ 5 (क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत पूंजी$				वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2013-14 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियो की संख्या) (31.03.2014 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ													
कृषि एवं उससे संबंधित													
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	150
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	-	26.65	-	-	-	-	-	716
क्षेत्रवार योग				26.23	0.92	-	27.15	-	-	-	-	-	866
वित													
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	19.07.2004	5.00	-	0.00[1]	5.00	-	-	8.26	8.26	1.65:1 (2.70:1)	8
क्षेत्रवार योग				**5.00**	**-**	**0.00**	**5.00**	**-**	**-**	8.26	8.26	1.65:1 (2.70:1)	**8**
अधोसंरचना													
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वित्त	26.02.2001	4.20	-	-	4.20	-	-	-	-	-	5
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	-	-	1.60	22.96	-	-	22.96	14.35:1 (14.35:1)	259
क्षेत्रवार योग				**5.80**	**-**	**-**	**5.80**	**22.96**	**-**	**-**	**22.96**	**3.96:1 (3.96:1)**	**264**
खनन													
6	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	186
7	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	-	-	82.60	82.60	-	-	-	-	-	1
8	छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	-	-	21.94	21.94	-	-	-	-	-	-
9	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	06.12.2010	-	-	0.16	0.16	-	-	0.71	0.71	4.44:1	1
क्षेत्रवार योग				**1.00**	**-**	**104.70**	**105.70**	**-**	**-**	**0.71**	**0.71**	**-**	**188**

[1] वास्तविक राशि ₹ 8000 है।

क्र सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत पूंजी[$]				वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2013-14 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियो की संख्या) (31.03.2014 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2326.37	2326.37	115.54	180.10	651.46	947.10	0.41:1 (0.30:1)	10757
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	2287.73	2287.73	83.87	-	8703.22	8787.09	3.84:1 (0.41:1)	5312
12	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	6757.81	-	-	6757.81	-	-	-	-	-	185
13	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	20
14	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	-	-	810.76	810.76	26.13	-	1174.59	1200.72	1.48:1 (1.41:1)	1843
क्षेत्रवार योग				**6757.81**	**-**	**5424.91**	**12182.72**	**225.54**	**180.10**	**10529.27**	**10934.91**	**0.90:1 (0.22:1)**	**18117**
सेवाएं													
15	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	7.11.2001	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	-	45
16	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्त्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	-	0.00[2]	4.43	-	-	1000.00	1000.00	225.73:1 (328.71:1)	774
17	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	7.10.2010	3.45	-	-	3.45	-	-	-	-	-	159
18	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	-	31
19	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास	01.10.2011	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**10.08**	**-**	**-**	**10.08**	**-**	**-**	**1000.00**	**1000.00**	**99.21:1 (58.58:1)**	**1009**
योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियाँ)				**6805.92**	**0.92**	**5529.61**	**12336.45**	**248.50**	**180.10**	**11538.24**	**11966.84**	**0.97:1 (0.25:1)**	**20452**

[2] वास्तविक राशि ₹ 7000 है।

क्र सं.	कंपनी के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	स्थापना का माह और वर्ष	प्रदत पूंजी$				वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लंबित ऋण				2013-14 के लिए ऋण समता अनुपात (पूर्व वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियो की संख्या) (31.03.2014 को)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
सेवाएं													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	-	2.02	4.04	65.08	-	1.64	66.72	16.51:1 (12.57:1)	498
योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)				**2.02**	**-**	**2.02**	**4.04**	**65.08**	**-**	**1.64**	**66.72**	**16.51:1 (12.57:1)**	**498**
महायोग (क + ख)				**6807.94**	**0.92**	**5531.63**	**12340.49**	**313.58**	**180.10**	**11539.88**	**12033.56**	**0.98:1 (0.25:1)**	**20950**

(स्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

$ प्रदत्त अंश पूंजी मे अंश आवेदन राशि शामिल है।

अनुलग्नक -1.2

वर्ष के दौरान समता पूंजी/ऋण की प्राप्ति, प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान और उपदान, प्राप्त गारंटियाँ, बकाया का स्वत्व त्याग, अपलेखित ऋण एवं ऋण का समता पूंजी मे परिवर्तन और मार्च 2014 के अंत तक गारंटी वचनबद्धता दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका -1.11)

(स्तंभ 3 (क) से 6(घ) के आंकडे ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियाँ और वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता**		वर्ष के दौरान बकाया का स्वत्व त्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	अपलेखित ऋण पुनर्भुगतान	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	अपलेखित ब्याज/दाण्डिक ब्याज	कुल
1	2	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ													
कृषि एवं उससे संबंधित													
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	-	-	34.50	16.46	-	50.96	8.00	25.00	-	-	-	-
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(1.00)	-	(1.00)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**34.50**	**16.46 (1.00)**	**-**	**50.96 (1.00)**	**8.00**	**25.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्त													
3.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	-	-	-	(0.35)	-	(0.35)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**(0.35)**	**-**	**(0.35)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अधोसंरचना													
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(0.30)	-	(0.30)	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	-	-	10.63	21.49	-	32.12	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**10.63**	**21.49 (0.30)**	**-**	**32.12 (0.30)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
खनन													
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	(82.30)	-	(82.30)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**(82.30)**	**-**	**(82.30)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ऊर्जा													
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	34.54	-	393.76 (207.34)	-	393.76 (207.34)	500.00	500.00	-	-	-	-
8.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	-	-	1.55	-	-	1.55	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त समता पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता और अनुदान*				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियाँ और वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता**		वर्ष के दौरान बकाया का स्वत्व त्याग			
		समता पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	अपलेखित ऋण पुनर्भुगतान	समता पूँजी में परिवर्तित ऋण	अपलेखित ब्याज/दाण्ड़िक ब्याज	कुल
1	2	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
9.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**22.00**	**34.54**	**1.55**	**393.76 (207.34)**	**-**	**395.31 (207.34)**	**500.00**	**500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाऐ													
10.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	500.00	1296.30	2284.97	-	3581.28	-	-	-	-	-	-
11.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	-	-	5.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**0.45**	**500.00**	**1301.65**	**2284.97**	**-**	**3581.28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
क्षेत्रवार योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियाँ)		**22.45**	**534.54**	**1348.33**	**2716.68 (291.29)**	**-**	**4059.67 (291.29)**	**508.00**	**525.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
सेवाऐ													
1	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	-	22.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)		**-**	**22.24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
महायोग (क+ख)		**22.45**	**556.78**	**1348.33**	**2716.68 (291.29)**	**-**	**4059.67 (291.29)**	**508.00**	**525.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

(स्त्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

* स्तंभ 4 (क) से 4 (घ) में कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े अनुदान दर्शाते है।

** आंकड़े वर्ष के अंत में कुल बकाया गारंटी दर्शाते है।

अनुलग्नक -1.3

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के अद्यतन वर्ष के लिये जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(संदर्भित कंडिका -1.15)

(स्तंभ 5(क) से 11 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि(–)				टर्नओवर	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	प्रदत पूँजी^	संचयी लाभ (+) हानि (–)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत
				ब्याज और ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कंपनियाँ														
कृषि एवं उससे संबंधित														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	10.41	–	0.45	9.96	247.31	0.06	0.50	24.34	29.66	9.96	33.57
2.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	27.85	–	0.04	27.81	46.32	(-) 5.75	26.65	117.38	155.11	27.81	17.93
क्षेत्रवार योग				**38.26**	**-**	**0.49**	**37.77**	**293.63**	**(-) 5.69**	**27.15**	**141.72**	**184.77**	**37.77**	**20.44**
वित्त														
3.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	2010-11	0.64	0.04	0.01	0.59	0.64	अंतिमीकरण के अधीन	5.00	0.96	10.06	0.63	6.26
क्षेत्रवार योग				**0.64**	**0.04**	**0.01**	**0.59**	**0.64**		**5.00**	**0.96**	**10.06**	**0.63**	**6.26**
अधोसंरचना														
4.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2013-14	0.11	–	0.02	0.09	0.31	(-) 0.01	4.20	(-) 0.76	4.20	0.09	2.14
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2006-07	2013-14	0.61	0.02	0.25	0.34	49.63	(-) 1.77	1.60	(-) 35.27	65.71	0.36	0.55
क्षेत्रवार योग				**0.72**	**0.02**	**0.27**	**0.43**	**49.94**	**(-) 1.78**	**5.80**	**(-) 36.03**	**69.91**	**0.45**	**0.64**
खनन														
6.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	3.05	–	0.14	2.91	12.90	गैर-समीक्षित	1.00	12.23	246.00	2.91	1.18
7.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2013-14	2014-15	–	–	–	–	–	–	82.60	(-) 1.32	312.72	–	–
8.	छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	(-) 0.01	0.03	–	(-) 0.04	–	अंतिमीकरण के अधीन	21.94	(-) 0.14	21.80	(-) 0.01	–
9.	सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड	2013-14	2014-15	–	–	–	–	–	गैर-समीक्षित	0.16	(-) 0.03	0.84	–	–
क्षेत्रवार योग				**3.04**	**0.03**	**0.14**	**2.87**	**12.90**	**-**	**105.70**	**10.74**	**581.36**	**2.90**	**0.50**

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमे अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि(–)				टर्नओवर	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	प्रदत पूँजी^	संचयी लाभ (+) हानि (–)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत
				ब्याज और ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
ऊर्जा														
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 219.13	129.66	149.38	(-) 498.19	6454.29	(-) 1247.58	2326.37	(-) 3386.83	1889.82	(-) 368.53	-
11.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	375.58	169.38	189.89	16.31	2319.91	0.38	2265.74	(-) 389.19	10616.08	185.69	1.75
12.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	8.47	-	-	8.47	12.77	अंतिमीकरण के अधीन	6757.81	39.42	6797.24	8.47	0.12
13.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	2.78	-	-	2.78	0.02	-	0.05	(-) 1.17	(-) 1.12	2.78	-
14.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	175.84	73.63	121.15	(-) 18.94	783.43	(-) 0.69	810.76	54.67	2403.35	54.69	2.28
क्षेत्रवार योग				**343.54**	**372.67**	**460.42**	**(-) 489.57**	**9570.42**	**(-) 1247.89**	**12160.73**	**(-) 3683.10**	**21705.37**	**(-) 116.90**	**-**
सेवाऐं														
15.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	9.32	0.07	0.23	9.02	648.46	(-) 0.49	0.15	34.95	35.10	9.09	25.90
16.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2013-14	16.02	41.95	0.70	(-) 26.63	3070.67	17.92	4.43	(-) 216.63	1827.58	15.32	0.84
17.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	0.91	-	3.00	0.03	78.74	-	-
18.	छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	4.97	-	0.10	4.87	8.39	(-) 0.08	2.00	4.95	7.42	4.87	65.63
19.	रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	ss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**30.31**	**42.02**	**1.03**	**(-) 12.74**	**3728.43**	**17.35**	**9.58**	**(-) 176.70**	**1948.84**	**29.28**	**1.50**
क्षेत्रवार योग (क) (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कंपनियाँ)				**416.51**	**414.78**	**462.36**	**(-) 460.65**	**13655.96**	**(-) 1238.01**	**12313.96**	**(-) 3742.41**	**24500.30**	**(-) 45.87**	**-**

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	लेखो की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि(–)				टर्नओवर	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव#	प्रदत पूँजी^	संचयी लाभ (+) हानि (–)	विनियोजित पूँजी@	विनियोजित पूँजी पर वापसी$	विनियोजित पूँजी पर वापसी का प्रतिशत
				ब्याज और ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
सेवाऐं														
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2012-13	2013-14	46.41	1.09	4.81	40.51	78.50	(-) 0.20	4.04	115.29	220.61	41.60	18.86
योग (ख) (कार्यरत सांविधिक निगम)				**46.41**	**1.09**	**4.81**	**40.51**	**78.50**	**(-) 0.20**	**4.04**	**115.29**	**220.61**	**41.60**	**18.86**
महायोग (क + ख)				**462.92**	**415.87**	**467.17**	**(-) 420.14**	**13734.46**	**(-) 1238.21**	**12318.00**	**(-) 3627.12**	**24720.92**	**(-) 4.27**	**-**

(स्त्रोतः आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये है)

टिप्पणीः छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी अकार्यशील सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

लेखाओं पर टिप्पणी के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और लाभ में वृद्धि या हानि में कमी को धनात्मक (+) तथा लाभ में कमी या हानि में वृद्धि को ऋणात्मक (–) में दर्शाया गया है।

^ प्रदत्त अंशपूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है जिसका आवंटन होना शेष है।

@ विनियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत चालू कार्य सहित) कार्यशील पूँजी सहित वित्तीय कंपनियों/निगम के मामलों को छोड़कर जहाँ विनियोजित पूँजी की गणना प्राप्त पूँजी, मुक्त संचय, बाण्ड्स, जमा और उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के माध्यम के रूप में की गई है।

$ विनियोजित पूँजी पर वापसी की गणना लाभ-हानि खाते पर प्रभारित लाभ और ब्याज को जोड़कर की गयी है।

$$ कंपनी ने अभी तक अपने लेखें प्रस्तुत नहीं किये

अनुलग्नक - 1.4

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम की वित्तीय स्थिति दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका -1.15)

(₹ करोड़ में)

क. परिसंपत्तियाँ	2010-11	2011-12	2012-13
सकल परिसंपत्तियाँ	73.56	96.92	126.39
घटायाः ह्रास	28.10	31.96	36.53
शुद्ध अचल संपत्तियाँ	45.46	64.96	89.86
पूँजीगत चालू कार्य	10.58	6.84	20.71
संपत्तियाँ जो उपयोग में नहीं			
निवेश			
चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	172.24	180.43	233.49
योग (क)	**228.28**	**252.23**	**344.06**
ख. दायित्व			
प्रदत्त पूँजी	1.00	1.00	4.04
पूँजी के विरूद्ध अग्रिम	-	-	-
संचय एवं आधिक्य♥	122.27	151.28	165.68
उधारियाँः			
सरकारी	-		42.84
अन्य	8.64	12.21	8.05
व्यापारिक देय एवं चालू दायित्व	96.37	87.74	123.45
योग (ख)	**228.28**	**252.23**	**344.06**
विनियोजित पूँजी*	**131.91**	**164.49**	**220.61**

(स्त्रोतः आंकड़े निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये है)

* विनियोजित पूँजी अंशधारियों की निधि (अंशपूँजी तथा संचय एवं आधिक्य) के साथ दीर्घकालीन उधारियों को प्रस्तुत करती है।

♥ सामान्य संचय, पूँजीगत संचय एवं स्वयं क्षत्तिपूर्ति कोष सहित।

अनुलग्नक -1.5
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम का कार्यकारी परिणाम दिखाने वाला विवरण
(संदर्भित कंडिका -1.15)

(₹ करोड़ में)

1	आय	2010-11	2011-12	2012-13
	(क) भण्डारगृह प्रभार	46.53	56.56	66.35
	(ख) अन्य आय	7.47	9.70	12.15
	योग (क +ख)	**54.00**	**66.26**	**78.50**
2	व्यय			
	(क) स्थापना प्रभार	16.04	19.31	18.56
	(ख) अन्य व्यय	10.68	13.66	19.43
	योग (क +ख)	**26.72**	**32.97**	**37.99**
3	कर से पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1-2)	27.28	33.29	40.51
4	अन्य विनियोजन	27.08	33.09	39.70
5	लाभांश हेतु उपलब्ध धनराशि (3-4)	0.20	0.20	0.81
6	वर्ष के लिये लाभांश	0.20	0.20	0.81
7	विनियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय[१]	21.99	29.78	41.60
8	विनियोजित पूँजी पर कुल प्रत्याय का प्रतिशत	16.67	18.10	18.86

(स्त्रोतः आंकड़े निगम के अंकेक्षित वार्षिक लेखों से संकलित किये गये है)

[१] पूर्व अवधि के समायोजन इसमें सम्मिलित नहीं है।

अनुलग्नक -1.6

राज्य सरकार द्वारा पीएसयू में किया गया निवेश दिखाने वाला विवरण जिनके लेखे बकाया है

(संदर्भित कंडिका 1.21)

(स्तंभ 4 एवं 6 से 9 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है				
				वर्ष	समता पूँजी	ऋण	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यरत कंपनियाँ/निगम								
क. सरकारी कंपनियाँ								
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2009-10	0.50	2013-14	-	-	-	16.46
2	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	26.65	2013-14	-	-	1.00	-
3	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	2007-08	5.00	2008-09	-	-	0.47	0.08
				2009-10	-	-	0.47	0.15
				2010-11	-	-	0.10	0.15
				2011-12	-	-	0.47	0.15
				2012-13	-	-	0.40	0.10
				2013-14	-	-	0.35	-
4	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2007-08	4.20	2008-09	-	-	0.25	-
				2009-10	-	-	0.30	-
				2010-11	-	-	0.30	-
				2011-12	-	-	0.30	-
				2012-13	-	-	0.30	-
				2013-14	-	-	0.30	-
5	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2006-07	1.60	2007-08	-	5.00	-	105.48
				2008-09	-	1.95	-	17.47
				2009-10	-	-	-	35.21
				2010-11	-	0.01	-	37.95
				2011-12	-	-	-	40.29
				2012-13	-	-	-	48.37
				2013-14	-	-	-	21.49

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक के लेखों का अंतिमीकरण किया जा चुका है	अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया है				
				वर्ष	समता पूँजी	ऋण्	अनुदान	उपदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2012-13	1.00	2013-14	–	–	82.30	-
7	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	2326.37	2013-14	–	34.54	207.34	393.76
8	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	4.43	2012-13	–	500.00	–	741.05
				2013-14	–	500.00	–	2284.97
9	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2012-13	3.00	2013-14	0.45	–	–	–
10	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2012-13	1.00	2013-14	–	22.24	–	–
	योग				**0.45**	**1063.74**	**294.65**	**3743.13**

(स्त्रोतः सरकारी कंपनियों/सांविधिक निगम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

अनुलग्नक - 2.1

केन्द्रीय/राज्य योजनाओं में गोदामों का निर्माण

(संदर्भित कंडिका - 2.9)

क्रम संख्या	योजना का नाम एवं विवरण
1.	**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि :** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की संरचना क्षेत्रीय विकास की असंतुलन को दूर करने के लिए की गयी है। इस निधि के द्वारा चिंहित जिलों में मौजूदा विकास कार्य एवं पूरक कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है, जैसे किः (i) स्थानीय बुनियादी ढाँचे और अन्य विकास आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण अन्तराल को कम करने के लिए जो कि पर्याप्त रूप से मौजूदा पूँजी प्रवाह के माध्यम से पूरा नहीं किया जा रहा है, (ii) पंचायत एवं नगरपालिका स्तर पर प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए, सहभागितापूर्ण नियोजन का निर्माण, निर्णय लेने, कार्यान्वयन और निगरानी जो कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता हो, (iii) स्थानीय निकायों की योजना का क्रियान्वयन और निगरानी हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करना और (iV) दक्षता में सुधार एवं महत्वपूर्ण कार्यों को पंचायतों को सौपें गये है ताकि संभावित क्षमता को बनाये रखने एवं अपर्याप्त स्थानीय क्षमता के कारण क्षमता की हानि को रोका जा सके।
2.	**बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण** छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम को निर्देशित (3 मार्च 2010) किया कि इस क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र) को सुदृढ़ करने हेतु गोदामों का निर्माण बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत करें। इस योजना के लिए लागत का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष लागत का 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
3.	**सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण** छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम को निर्देशित (3 मार्च 2010) किया कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु गोदामों का निर्माण सरगुजा एवं उत्तर विकास प्राधिकरण के तहत करें। इस योजना के लिए लागत का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा शेष लागत का 50 प्रतिशत निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
4.	**ग्रामीण भण्डारण योजना** ग्रामीण भण्डारण योजना में परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सब्सिडी दिया जाता हैं।
5.	**ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि** ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि XVII (2011-12) भारत सरकार की योजना है जिसमें गोदामों के निर्माण के लिए लागत का 95 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से ऋण प्रदान किया जाता है। नाबार्ड ऋण और परियोजना लागत में अन्तर की राशि निगम द्वारा वहन किया जाता हैं।
6.	**निजी उद्यमी गारंटी योजना** भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की भण्डारण आवश्यकताओं के लिए निजी उद्यमियों द्वारा गोदाम के निर्माण हेतु निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) 2009 बनाई गई हैं। इस योजना के तहत नौ वर्ष की भण्डारण शुल्क की गारंटी भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाती है।

अनुलग्नक - 2.2
गोदामों के निर्माण में अतिरिक्त व्यय/निधि की अवरूद्धता को दिखाने वाला विवरण
(संदर्भित कंडिका - 2.10)

क्रम संख्या	निर्माण के लिए योजना गोदामों की संख्या	कार्य की आदेशित तिथि/कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि/कार्य की लागत	देरी/गैर निर्माण/अतिरिक्त व्यय के कारण	वित्तीय प्रभाव (₹ लाख में)
1	1 (धमतरी में 10000 मीट्रिक टन गोदाम)	जून 2010/मई 2011/ ₹ 243.66 लाख	निगम पूर्व में इस भूमि पर गोदाम निर्माण हेतु अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उस भूमि पर 6 से 8 फीट गहराई के विशाल गड्डे थे और दूसरी भूमि को अधिग्रहण किया गया। दूसरी बार अन्य गोदाम के निर्माण में इस अनुपयुक्त भूमि को स्वीकार कर लिया और जमीन भरने पर ₹ 48.23 लाख का व्यय किया गया।	48.23
प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि राजस्व अधिकारियों ने सूचित किया कि उक्त भूमि को छोड़कर उस स्थान पर कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा गोदाम को जल्दी पूर्ण करने के लिए इस भूमि को स्वीकार किया गया। प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निगम ने राजस्व अधिकारियों की सूचना के संबंध में सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया कि वहाँ पर उक्त प्रस्तावित भूमि को छोड़कर कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं थी।				
2	1 (चारामा में 1800 मीट्रिक टन गोदाम)	दिसम्बर 2011/ अगस्त 2012/ ₹ 68.80 लाख	निगम ने ठेकेदार को कार्यादेश देने के पश्चात भूमि के लिए आवेदन दिया (जनवरी 2012) और भूमि मई 2012 में अधिग्रहित किया। भूमि मिलने में विलंब के कारण ठेकेदार ने कार्य सम्पन्न करने से मना कर दिया तथा निगम ने गोदाम निर्माण हेतु पुनः निविदा दिया एवं कार्यादेश दूसरे ठेकेदार को देने के परिणामस्वरूप ₹ 11.73 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ तथा गोदाम निर्माण में विलंब हुआ।	11.73
प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निविदा को अंतिम रूप देने के पश्चात भूमि का आबंटन विलंब से प्राप्त हुआ। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विलंब से भूमि के लिए आवेदन का कारण नहीं बताया गया।				
3	1 (भानुप्रतापपुर में 5400 मीट्रिक टन गोदाम)	सितम्बर 2013/ अगस्त 2014/ ₹ 205.85 लाख	निगम ने गोदाम के निर्माण के लिए भूमि की अनुपयुक्तता जानने के बावजूद भी भूमि प्रीमियम एवं भू-भाटक के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को ₹ 13.40 लाख भुगतान कर दिया। इसके बाद निगम ने एक और अन्य भूमि पर गोदाम निर्माण कराया तथा अनुपयुक्त भूमि हेतु किया गया भुगतान निष्फल था। निगम को यह राशि अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2014)।	13.40
प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि फारेस्ट क्लीरियेंस में विलंब के कारण, निगम को अन्य भूमि छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त हुई तथा निगम द्वारा ₹ 13.40 लाख की वापसी की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन हैं। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने नोडल अधिकारी के प्रतिवेदन की अनदेखी करते हुए जिसमें प्रतिवेदित था कि भूमि पर भारी चट्टानों और पेड़ों की उपस्थिति से भूमि पर गोदाम निर्माण के लिए अनुपयुक्त है के बावजूद अनुपयुक्त भूमि के लिए भुगतान कर दिया।				
4	1 (करंजा, भिलाई में 20000 मीट्रिक टन गोदाम)	सितम्बर 2013/ अगस्त 2014/ ₹ 744.12 लाख	निगम ने ठेकेदार को गोदाम निर्माण हेतु ले-आउट दिया जिसमें बिना आबंटित भूमि भी शामिल था तथा ग्राम सभा समिति के भूमि आबंटन आदेश एवं निर्माण कार्य का स्थगन आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा।	91.46
प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व में 6.47 हेक्टेयर विवादित भूमि को शामिल करते हुए आबंटित किया था। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने संशोधित आबंटित भूमि के अनुसार ले-आउट में परिवर्तन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप गैर आबंटित भूमि पर निर्माण कार्य तथा गोदाम निर्माण कार्य अपूर्ण है।				

अनुलग्नक - 2.3

गोदामों के निर्माण में देरी के लिए शास्ति की गैर वसूली को दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 2.13)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविव कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
1	दन्तेवाड़ा	मेसर्स दुर्गाप्रकाश सिंह चौहान, दन्तेवाड़ा	41.57	15 जून 2010	30 अक्टूबर 2010	102	0.38	0.26	0.12	बारिस के कारण सामग्री ले जाने में समस्या, नक्सल समस्या एवं अतिरिक्त कार्य	रिटैनिग वाल एवं आर सी सी बाक्स पुलिया निर्माण के लिए ₹ 2.55 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। समझौते में पहले से ही एक बरसात के मौसम लिए प्रावधानित है और नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	सुकमा	मेसर्स जाकीर हुसैन	78.02	7 अगस्त 2010	20 अप्रैल 2011	159	1.11	0.93	0.18	भारी बारिस, नक्सल समस्या तथा अतिरिक्त कार्य	हयूम पाइप पुलिया और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹ सात लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या के दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	कुसमी	मेसर्स वीनय जयसवाल सरगुजा	57.30	8 अगस्त 2010	31 मार्च 2012	559	2.86	0.27	2.59	पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल समस्या, पेड़ों की अधिक संख्या और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है और अन्य समस्याएँ अप्रत्यासित स्थितियों की नहीं है। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा बारिस के लिए दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	भोपालपटनम	मेसर्स जय कुमार नायर	45.66	9 अगस्त 2010	29 अक्टूबर 2010	81	0.33	0.11	0.22	नक्सल समस्या एवं भारी बारिस	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। इसके अलावा ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज साक्ष्य भारी बारिस के समर्थन में उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविव कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
5	बीजापुर	मेसर्स जय कुमार नायर	44.70	9 अगस्त 2010	29 अक्टूबर 2010	81	0.32	0.15	0.17	नक्सल समस्या एवं भारी बारिस	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। यद्यपि ठेकेदार द्वारा नक्सलाइट बाधा के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	छुरिया	मेसर्स ए.के.एस. कंसट्रक्शन	100	11 फरवरी 2011	21 फरवरी 2012	299	6.00	0.54	5.46	श्रमिक समस्या, नक्सली समस्या, दो महीने कार्य बंद बाध होने के कारण और विशेष सामग्री की अनुपलब्धता, बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है 299 दिनों की समय वृद्धि ठेकेदार को सामग्री की अनुपलब्धता पर यथोचित नहीं है क्योंकि सामग्री की खरीदी एवं समय पर कार्यपूर्णता की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। अनुबंध में पहले से ही एक बारिस की मौसम शामिल किया गया था।
7	चौकी	मेसर्स अमर बिल्डर्स	92.784	8 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	251	5.57	1.57	4.00	नक्सल समस्या एवं भारी बारिस	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और ठेकेदार के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भारी बारिस के लिए 251 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
8	मोहला	मेसर्स अमर बिल्डर्स	52.26	2 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	227	4.95	0.10	4.85	नक्सल समस्या से कार्य में बाधा एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और ठेकेदार को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 227 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
9	प्रतापपुर	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	98.06	15 फरवरी 2011	23 अक्टूबर 2011	220	5.88	1.02	4.86	नक्सल समस्या, भारी बारिश, हाथियों की झुंड, अधिक संख्या में भूमि पर पेड़ और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	ठेकेदार को बिना कार्य आदेश और नियत समय के अभाव में बाउंड्रीवाल ₹ 9.85 लाख का अतिरिक्त कार्य दिया गया। नक्सल समस्या और पेड़ों का होना अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हाथियों के झुंड और भारी बारिस के लिए 220 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
10	कटघोरा	मेसर्स अरोरा कन्सट्रक्शन	75.645	22 मई 2010	12 जुलाई 2011	416	2.81	0.73	2.08	चट्टान की उपलब्धता	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संम्पादन के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 416 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविव कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
11	करपावंड	मेसर्स राहुल कन्सट्रक्शन, धमतरी	51.62	22 मई 2010	15 जनवरी 2011	238	1.10	0.81	0.29	कठोर चट्टान और आवधिक बारिस, नक्सल समस्या	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संम्पादन के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 238 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है। ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेज साक्ष्य बारिस के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
12	सक्ती	मेसर्स नटवरलाल अग्रवाल, धरधोडा	87.12	20 मई 2010	31 अक्टूबर 2011	529	4.11	0.47	3.64	अतिरिक्त कार्य	₹ 7.40 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
13	तखतपुर	मेसर्स यस कंसट्रक्शन	51.09	4 अगस्त 2010	15 नवम्बर 2010	103	0.47	0.41	0.06	बाउंड्रीवाल अतिरिक्त कार्य तथा कठोर पत्थर	₹ 7.82 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया। भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्ण रूप से कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार है।
14	डौंडी	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	50.75	9 अगस्त 2010	5 मार्च 2011	133	0.60	0.39	0.21	भारी बारिस एवं पुलिया निर्माण पूर्ण नहीं हुआ भारी बारिस के कारण और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	भारी बारिस सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक होती है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक होती है यद्यपि भारी बारिस एवं इससे पुलिया निर्माण में देरी के दावे के लिए किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
15	कवर्धा	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	148.92	26 अक्टूबर 2010	15 नवम्बर 2012	705	8.94	1.76	7.18	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं गोदाम का निर्माण पुराने गोदाम के पीछे किया गया। पुराने गोदाम में भीड़ के कारण कार्य और गोदाम का अतिरिक्त कार्य प्रभावित हुआ।	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। ठेकेदार को भारी बारिस के लिए 705 दिनों के समय वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथोचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविव कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
16	आरंग	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	74.45	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	0.71	0.22	0.49	काली मिट्टी एवं भारी बारिस और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठेकेदार को भारी बारिस के लिए 107 दिनों का विलंब के लिए समय सीमा वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथोचित नहीं है।
17	सरायपाली	मेसर्स अरोडा कंसट्रक्शन	245.925	24 मार्च 2011	23 जुलाई 2011	121	10.63	1.66	8.97	बारिस की अनिश्चितता एवं सामग्री की अनुपलब्धता	कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। अनुबंध में पहले ही एक बारिस की मौसम का प्रदान किया गया है।
18	बालोद	मेसर्स जीवन लाल	241.75	2 मई 2011	30 अक्टूबर 2011	114	9.84	6.73	3.11	अतिरिक्त कार्य आदेशित	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 17.16 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
19	महासमुंद	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	243.663	2 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	213	14.62	1.74	12.88	कठोर चट्टान की उपलब्धता, पानी की अनुपलब्धता तथा भारी बारिस से सामग्री अनुपलब्धता	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 213 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है क्योंकि अनुबंध में पहले से ही बारिस का मौसम को शामिल किया गया है।
20	धमतरी	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	240.256	5 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	150	12.87	1.00	11.87	समय पर ट्रास सामग्री की अनुपलब्धता तथा बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	आवश्यक सामग्री की क्रय कर समय पर कार्य पूर्ण करने की ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के 150 दिनों की समय सीमा वृद्धि सामग्री की अनुपलब्धता के लिए प्रदान किया जाना यथोचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थानों का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्यपूर्ण होने की तिथि	कार्यपूर्ण होने की वास्तविक तिथि	वास्तविव कार्य पूर्णता तिथि से विलंब	वसूली योग्य शास्ति	शास्ति राशि की प्राप्ति	शास्ति की कम वसूली	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
21	बिल्हा	मेसर्स यस कंसट्रक्शन	40.14	2 फरवरी 2011	21 मई 2011	108	1.55	0.45	1.10	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं पुराने गोदाम के पीछे गोदाम निर्माण होने से कार्य प्रभावित	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया और परिस्थितियाँ निविदा के समय यथावत थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
22	मरवाही	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	68.878	22 अक्टूबर 2010	15 मार्च 2011	144	2.87	1.16	1.71	पानी की अनुपलब्धता एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 4.39 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
23	कुनकुरी	मेसर्स महामाया फ्युलस	96.61	9 अगस्त 2011	16 मार्च 2012	130	4.49	0.97	3.52	भारी बारिस, मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर होने के कारण सामग्री ले जाने मे कठिनाइयाँ और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है, ठेकेदार को भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 130 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
24	पाटन	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	101.24	29 अगस्त 2011	11 जून 2012	267	6.07	3.83	2.24	भारी बारिस, भूमि पर बिजली के पोल, सड़क व्यवधान के कारण सामग्री की अनुपलब्धता	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। कार्य के लिए समय पर आवश्यक सामग्री क्रय की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। 267 दिनों की समय वृद्धि सड़क व्यवधान के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है।
25	बैकुंठपुर	मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेटरस	75.50	4 सितम्बर 2011	31 जनवरी 2013	398	4.53	1.93	2.60	निर्माण क्षेत्र में पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता, सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ एवं भारी बारिस	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है और इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 398 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
	योग						**113.61**	**29.21**	**84.40**		

(स्रोतः निगम द्वारा प्रदान किये गये जानकारी से संकलित आंकड़े)

* कोई समय सीमा नियत नहीं होने पर भी 30 दिनों का समय अतिरिक्त् कार्य को शामिल करते हुए विलंब की गणना की गई है तथा इसमें ले आउट में विलंब व भूमि विवाद को भी विचार में लिया गया है।

अनुलग्नक - 2.4

ठेकेदारों द्वारा गोदामों के निर्माण कार्य में तीन महीने से अधिक विलंब के कारण व्यवसायिक हानि की वसूली न करने को दर्शाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 2.13)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
1	दन्तेवाड़ा	1600	मेसर्स दुर्गाप्रकाश सिंह चौहान, दन्तेवाड़ा	41.57	15 जून 2010	30 अक्टूबर 2010	102	2.24	0.00	0.00	2.24	बारिस के कारण सामग्री ले जाने में समस्या, नक्सल समस्या एवं अतिरिक्त कार्य	रिटैनिग वाल एवं आर सी सी बाक्स पुलिया निर्माण के लिए ₹ 2.55 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। समझौते में पहले से ही एक बरसात के मौसम लिए प्रावधानित है और नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
2	सुकमा	2700	मेसर्स जाकिर हुसैन	78.02	7 अगस्त 2010	20 अप्रैल 2011	159	5.90	0.00	0.00	5.90	भारी बारिस, नक्सल समस्या तथा अतिरिक्त कार्य	हयूम पाइप पुलिया और बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए ₹ सात लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य बिना कार्य आदेश के दिया गया तथा अतिरिक्त कार्य को पूरा करने का निर्दिष्ट समय के बिना दिया गया। ठेकेदार द्वारा बारिस एवं नक्सल समस्या के दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
3	कुसुमी	1800	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	57.30	8 अगस्त 2010	31 मार्च 2012	559	5.81	8.75	0.00	14.56	पहाड़ी क्षेत्र, नक्सल समस्या, पेड़ों की अधिक संख्या और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है और अन्य समस्याएँ अप्रत्यासित स्थितियों की नहीं है। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा बारिस के लिए दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
4	छुरिया	3600	मेसर्स ए.के.एस. कन्सट्रक्शन	100	11 फरवरी 2011	21 फरवरी 2012	299	2.37	13.55	0.00	15.93	श्रमिक समस्या, नक्सली समस्या, दो महीने कार्य बंद बाध होने के कारण और विशेष सामग्री की अनुपलब्धता, बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है 299 दिनों की समय वृद्धि ठेकेदार को सामग्री की अनुपलब्धता पर यथोचित नहीं है क्योंकि सामग्री की खरीदी एवं समय पर कार्यपूर्णता की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। अनुबंध में पहले से ही एक बारिस की मौसम शामिल किया गया था।
5	चौकी	3600	मेसर्स अमर बिल्डर्स	92.784	8 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	251	2.52	10.80	0.00	13.32	नक्सल समस्या एवं भारी बारिस	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और ठेकेदार के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भारी बारिस के लिए 251 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
6	मोहला	1800	मेसर्स अमर बिल्डर्स	52.26	2 फरवरी 2011	17 अक्टूबर 2011	227	1.41	4.59	0.00	6.00	नक्सल समस्या से कार्य में बाधा एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	नक्सल समस्या अप्रत्यासित नहीं है और ठेकेदार को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 227 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
7	प्रतापपुर	3600	मेसर्स विनय जयसवाल, सरगुजा	98.06	15 फरवरी 2011	23 अक्टूबर 2011	220	2.18	9.50	0.00	11.68	नक्सल समस्या, भारी बारिश, हाथियों की झुंड, अधिक संख्या में भूमि पर पेड़ और बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	ठेकेदार को बिना कार्य आदेश और नियत समय के अभाव में बाउंड्रीवाल ₹ 9.85 लाख का अतिरिक्त कार्य दिया गया। नक्सल समस्या और पेड़ों का होना अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हाथियों के झुंड और भारी बारिस के लिए 220 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
8	कटघोरा	3600	मेसर्स अरोडा कंसट्रक्शन	75.645	22 मई 2010	12 जुलाई 2011	416	15.47	5.56	0.00	21.04	चट्टान की उपलब्धता	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संम्पादन के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 416 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
9	करपावंड	1800	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	51.62	22 मई 2010	15 जनवरी 2011	238	5.88	0.00	0.00	5.88	कठोर चट्टान और आवधिक बारिस, नक्सल समस्या	ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य संम्पादन के लिए जिम्मेदार है भूमि किसी भी प्रकार का हो। चट्टान की उपलब्धता के लिए 238 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है। ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेज साक्ष्य बारिस के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
10	शक्ती	3600	मेसर्स नटवरलाल अग्रवाल, धरघोडा	87.12	20 मई 2010	31 अट्टूम्बर 2011	529	15.57	11.56	0.00	27.13	अतिरिक्त कार्य	₹ 7.40 लाख मूल्य के बाउंड्रीवाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
11	अकलतरा	10000	मेसर्स नटवरलाल अग्रवाल, धरघोडा	250.94	7 अगस्त 2010	31 अक्टूबर 2011	420	32.41	27.60	0.00	60.01	बिजली और पानी की अनुपलब्धता तथा ट्रांस सामग्री की विलंब से उपलब्धता	यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह दिया गये कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हुए समय पर पूर्ण करें। 420 दिनों की समय वृद्धि पानी बिजली तथा सामग्री के लिए यथोचित नहीं है।
12	तखतपुर	1800	मेसर्स यस कंसट्रक्शन	51.09	4 अगस्त 2010	15 नवम्बर 2010	103	2.50	0.00	0.00	2.50	बाउंड्री वाल अतिरिक्त कार्य तथा कठोर पत्थर	₹ 7.82 लाख मूल्य के बाउंड्री वाल निर्माण का अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया। भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्ण रूप से कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार है।

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
13	डौंडी	1800	मेसर्स अशोक खण्डेलवाल	50.75	9 अगस्त 2010	5 मार्च 2011	133	3.29	0.00	0.00	3.29	भारी बारिस एवं पुलिया निर्माण पूर्ण नहीं हुआ भारी बारिस के कारण और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	भारी बारिस सामान्यतः 3 से 5 दिनों तक होता है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों तक होता है यद्यपि भारी बारिस एवं इससे पुलिया निर्माण मे देरी के दावे के लिए किसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
14	कवर्धा	5400	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	148.92	26 अक्टूबर 2010	15 नवम्बर 2012	705	11.57	29.57	18.08	59.22	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं गोदाम का निर्माण पुराने गोदाम के पीछे किया गया। पुराने गोदाम में भीड़ के कारण कार्य और गोदाम का अतिरिक्त कार्य प्रभावित हुआ।	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। ठेकेदार को भारी बारिस के लिए 705 दिनों के समय वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथोचित नहीं है।
15	धरसिवा	2800	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	80.06	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	4.11	0.00	0.00	4.11	बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य, श्रमिक समस्या और ट्रास सामग्री की अनुपलब्धता	बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य ₹ 6.14 लाख के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णतातिथि नियत किए बिना दिया गया।
16	आंरग	1800	मेसर्स बी.पी. अग्रवाल	74.45	13 नवम्बर 2010	30 मार्च 2011	107	2.65	0.00	0.00	2.65	काली मिट्टी एवं भारी बारिस और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है तथा भूमि किसी भी प्रकार का हो ठेकेदार पूर्णरूप से कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठेकेदार को भारी बारिस के लिए 107 दिनों का विलंब के लिए समय सीमा वृद्धि बिना दस्तावेजी साक्ष्य के यथोचित नहीं है।
17	सरायपाली	10000	मेसर्स अरोडा कंसट्रक्शन	245.925	24 मार्च 2011	23 जुलाई 2011	121	0.96	17.10	0.00	18.06	बारिस की अनिश्चितता एवं सामग्री की अनुपलब्धता	कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। अनुबंध में पहले ही एक बारिस की मौसम का प्रदान किया गया है।
18	बालोद	10000	मेसर्स जीवन लाल	241.75	2 मई 2011	30 अक्टूबर 2011	114	0.00	17.10	0.00	17.10	अतिरिक्त कार्य आदेशित	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 17.16 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
19	महासमुंद	10000	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	243.663	2 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	213	0.00	31.95	0.00	31.95	कठोर चट्टान की उपलब्धता, पानी की अनुपलब्धता तथा भारी बारिस से सामग्री अनुपलब्धता	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 213 दिनों की समय वृद्धि यथोचित नहीं है क्योंकि अनुबंध में पहले से ही बारिस का मौसम को शामिल किया गया है।

क्र. सं.	स्थान का नाम	क्षमता (मीट्रिक टन)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य पूर्णता की नियत तिथि	कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक कार्यपूर्णता तिथि से विलंब	2010-11 के लिए व्यवसायिक हानि	2011-12 के लिए व्यवसायिक हानि	2012-13 के लिए व्यवसायिक हानि	योग	निगम द्वारा वर्णित कार्य में विलंब के कारण	लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ
20	धमतरी	10000	मेसर्स राहुल कंसट्रक्शन, धमतरी	240.256	5 मई 2011	31 दिसम्बर 2011	150	0.00	22.50	0.00	22.50	समय पर ट्रास सामग्री की अनुपलब्धता तथा बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	आवश्यक सामग्री की क्रय कर समय पर कार्य पूर्ण करने की ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के 150 दिनों की समय सीमा वृद्धि सामग्री की अनुपलब्धता के लिए प्रदान किया जाना यथोचित नहीं है।
21	बिल्हा	1800	मेसर्स यस कंसट्रक्शन	40.14	2 फरवरी 2011	21 मई 2011	108	1.41	1.38	0.00	2.79	काली मिट्टी, भारी बारिस एवं पुराने गोदाम के पीछे गोदाम निर्माण होने से कार्य प्रभावित	अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया और परिस्थितियाँ निविदा के समय यथावत थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
22	मरवाही	1800	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	68.878	22 अक्टूबर 2010	15 मार्च 2011	144	3.56	0.00	0.00	3.56	पानी की अनुपलब्धता एवं बाउंड्रीवाल का अतिरिक्त कार्य	बाउंड्रीवाल के निर्माण ₹ 4.39 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्य ठेकेदार को बिना कार्य आदेश तथा अतिरिक्त कार्य के लिए पूर्णता तिथि नियत किए बिना दिया गया।
23	कुनकुरी	3600	मेसर्स महामाया फ्युलस	96.61	9 अगस्त 2011	16 मार्च 2012	130	0.00	7.02	0.00	7.02	भारी बारिस, मुख्य सड़क से 500 मीटर दूर होने के कारण सामग्री ले जाने मे कठिनाइयाँ और बाउंड्री वाल का अतिरिक्त कार्य	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है तथा इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। अनुबंध में पहले ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है, ठेकेदार को भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 130 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
24	पाटन	3600	मेसर्स राजेन्द्र पोद्दार	101.24	29 अगस्त 2011	11 जून 2012	267	10.63	2.81	0.00	13.44	भारी बारिस, भूमि पर बिजली के पोल, सड़क व्यवधान के कारण सामग्री की अनुपलब्धता	अनुबंध में पहले से ही एक बारिस का मौसम को शामिल किया गया है। कार्य के लिए समय पर आवश्यक सामग्री क्रय की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। 267 दिनों की समय वृद्धि सड़क व्यवधान के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है।
25	बैकुंठपुर	3600	मेसर्स विश्वकर्मा फेब्रिकेटरस	75.50	4 सितम्बर 2011	31 जनवरी 2013	398	10.33	10.21	0.00	20.54	निर्माण क्षेत्र में पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता, सामग्री ले जाने में कठिनाइयाँ एवं भारी बारिस	परिस्थितियाँ अप्रत्यासित नहीं है और इसके बारे में निविदा के समय जानकारी थी। ठेकेदार द्वारा भारी बारिस के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में 398 दिनों का समय वृद्धि यथोचित नहीं है।
							योग				392.42		

(स्रोतः निगम द्वारा प्रदान किये गये जानकारी से संकलित आंकड़े)

टीपः 2010-11- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 41.20 मीट्रिक टन से की गई है।
2011-12- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 45.00 मीट्रिक टन से की गई है।
2012-13- की व्यवसायिक हानि की गणना प्रतिमाह ₹ 54.60 मीट्रिक टन से की गई है।

* कोई समय सीमा नियत नहीं होने पर भी 30 दिनों का समय अतिरिक्त कार्य को शामिल करते हुए विलंब की गणना की गई है तथा इसमें ले आउट में विलंब व भूमि विवाद को भी विचार में लिया गया है।

अनुलग्नक - 2.5

निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम को दिखाने वाला विवरण

(संदर्भित कंडिका - 2.15)

वित्तीय स्थिति:

(₹ करोड़ में)

क. दायित्व	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रदत्त पूंजी	1.00	1.00	1.00	4.04
पूंजी के विरूद्ध अग्रिम	-	-	-	-
संचय एवं आधिक्य	100.48	122.27	151.28	165.68
उधारियां:				
सरकारी	-	-	-	42.84
अन्य	1.94	8.64	12.21	8.05
व्यापारिक देय एवं चालू दायित्व	74.11	96.37	87.74	123.45
योग क	**177.53**	**228.28**	**252.23**	**344.06**
ख. सम्पत्तियाँ				
सकल परिसम्पत्तियाँ	56.91	73.56	96.92	126.39
घटाया :	25.79	28.10	31.96	36.53
शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	31.12	45.46	64.96	89.86
पूंजीगत चालू कार्य	2.37	10.58	6.84	20.71
चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	144.04	172.24	180.43	233.49
योग ख	**177.53**	**228.28**	**252.23**	**344.06**
विनियोजित पूंजी@	**103.42**	**131.91**	**164.49**	**220.61**

कार्यकारी परिणाम:

(₹ करोड़ में)

1	आय	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	(क) वेयर हाउसिंग प्रभार	46.58	46.53	56.26	66.35
	(ख) अन्य आय	5.81	7.47	9.70	12.15
	योग (क + ख)	**52.39**	**54.00**	**66.26**	**78.50**
2	व्यय				
	(क) स्थापना प्रभार	8.97	16.04	19.31	18.56
	(ख) अन्य व्यय	10.25	10.68	13.66	19.43
	योग (क + ख)	**19.22**	**26.72**	**32.97**	**37.99**
3	कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-)(1-2)	33.17	27.28	33.29	40.51
4	अन्य विनियोजन	32.97	27.08	33.09	39.70
5	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि (3-4)	0.20	0.20	0.20	0.81
6	वर्ष के लिए लाभांश	0.20	0.20	0.20	0.81
7	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय$	21.85	21.99	29.78	41.60
8	विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय का प्रतिशत*	21.13	16.67	18.10	18.86

(स्रोतः निगम की वार्षिक लेखें)

@ विनियोजित पूंजी इंगित शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ, पूंजीगत व्यय/पूंजीगत चालू कार्य सहित कार्यशील पूंजी को जोड़कर ।

$ विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की गणना लाभ एवं हानि लेखे में लाभ और ब्याज को जोड़कर की गई है ।

* विनियोजित पूंजी पर कुल प्रत्याय X 100/विनियोजित पूंजी।

अनुलग्नक - 3.1

क्षेत्रीय भंडारों में सर्वेक्षण के अभाव के कारण पड़े अप्रचलित ट्रांसफार्मरों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.1.9)

क्षेत्रीय भंडार का नाम	सर्वेक्षण/निराकरण के लिए बाकी अस्वस्थ ट्रांसफार्मर		निर्धारित मूल्य (₹ करोड़ में)			सर्वेक्षण/निराकरण में विलंब की अवधि
	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	पावर ट्रांसफार्मर	योग	
रायपुर	2929	4	5.88	0.54	6.42	एक माह से 27 वर्ष
भिलाई	2954	7	3.82	0.10	3.92	एक माह से पाँच वर्ष
बिलासपुर	630	7	0.59	0.09	0.68	14 वर्ष से 31 वर्ष
रायगढ़	171	19	0.14	0.46	0.60	एक माह से 16 वर्ष
जगदलपुर	50	1	0.03	-	0.03	एक वर्ष से 19 वर्ष
विश्रामपुर	114	1	0.02	-	0.02	एक वर्ष से तीन वर्ष
योग	**6848**	**39**	**10.48**	**1.19**	**11.67**	**एक माह से 31 वर्ष**

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.2

खराब ट्रांसफार्मरों से प्राप्त तेल में कमी को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका- 3.1.10)

वर्ष	ट्रांसफार्मर की क्षमता	विफल हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या (नग)	प्रत्येक ट्रांसफार्मर से प्राप्ति योग्य तेल (लीटर)	प्राप्ति योग्य तेल की कुल मात्रा (किलो लीटर)	प्राप्त तेल की वास्तविक मात्रा (किलो लीटर)	कमी (किलो लीटर)	कमी का प्रतिशत (%)	स्क्रैप के विक्रय के समय अनुपयोगी ट्रांसफार्मर तेल के लिए प्राप्त प्रति इकाई दर (₹ प्रति किलो लीटर)	राशि (₹)
2011-12	25 केव्हीए	369	67	24.72					
	63 केव्हीए	479	145	69.46					
	100 केव्हीए	650	189	122.85					
	200 केव्हीए	32	380	12.16					
	315 केव्हीए	1	500	0.50					
	योग	**1531**		**229.69**	**62.05**	**167.64**	**72.99**	**45310**	**7595678**
2012-13	25 केव्हीए	684	67	45.83					
	63 केव्हीए	2329	145	337.71					
	100 केव्हीए	1200	189	226.80					
	200 केव्हीए	256	380	97.28					
	315 केव्हीए	61	500	30.50					
	योग	**4530**		**738.12**	**195.70**	**542.42**	**73.49**	**42700**	**23161035**
2013-14	25 केव्हीए	27	67	1.81					
	63 केव्हीए	2949	145	427.61					
	100 केव्हीए	1260	189	238.14					
	200 केव्हीए	136	380	51.68					
	315 केव्हीए	31	500	15.50					
	योग	**4403**		**734.73**	**166.22**	**568.51**	**77.38**	**40599**	**23081100**
महायोग		**10464**		**1702.54**	**423.97**	**1278.57**	**75.10**		**53837813**

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.3

आयकर के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.3)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	जीएलईएस पॉलिसी पर अर्जित ब्याज जिसे आय के रूप में माना गया	15.42	32.37	45.76	56.14
2	30 प्रतिशत की दर पर आयकर	4.63	9.71	13.73	16.84
3	प्रभार (क्रमशः 10 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत)	0.46	0.73	0.69	0.84
4	शिक्षा उपकर (3 प्रतिशत)	0.15	0.31	0.43	0.53
5	**योग (2+3+4)**	**5.24**	**10.75**	**14.85**	**18.21**
				कुल योग	**49.05**

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.4

राजस्व की हानि को दर्शाने वाला पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.4)

(राशि ₹ में)

विवरण	मात्रा (एनटी)	मूल्य	कुल मूल्य
विक्रय प्रतिफल जो प्राप्त हुआ होता यदि वास्तविक मात्रा को निविदा कर ₹ 3600 प्रति एनटी की दर पर विक्रय किया जाता	646.342	2326831	2326831
घटाया : वास्तविक प्राप्त विक्रय प्रतिफल			
1. ₹ 3600 प्रति एनटी की दर पर	250	900000	
2. ₹ 3240 प्रति एनटी की दर पर	110	356400	
3. ₹ 501 प्रति एनटी की दर पर	286.342	143457	1399857
राजस्व की हानि			**926974**

(स्त्रोतः- कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.5

यूको बैंक (खाता क्रमांक - 20300210001332) तथा एक्सिस बैंक (खाता क्रमांक- 913020034288952) के चल खाते में रखा गया न्यूनतम शेष राशि एवं उस पर होने वाली ब्याज हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.5)

(राशि ₹ में)

माह	माह में न्यूनतम शेष राशि	चल खाते में न्यूनतम 50,000 रखने के बाद ऑटो स्वीप खाते में अंतरण हेतु उपलब्ध न्यूनतम राशि	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
1	2	3	4
(अ) यूको बैंक			
अक्टूबर-11	100000000	99950000	666333
नवम्बर-11	19965315	19915315	132769
दिसम्बर-11	23873315	23823315	158822
जनवरी-12	43995315	43945315	292969
फरवरी-12	50014115	49964115	333094
मार्च-12	95115	45115	301
अप्रैल-12	1330538	1280538	8537
मई-12	100863	50863	339
जून-12	36846346	36796346	245309
जुलाई-12	135622	85622	571
अगस्त-12	135622	85622	571
सितम्बर-12	10638422	10588422	70589
अक्टूबर-12	43882907	43832907	292219
नवम्बर-12	8473139	8423139	56154
दिसम्बर-12	10025931	9975931	66506
जनवरी-13	26817662	26767662	178451
फरवरी-13	3825482	3775482	25170
मार्च-13	250402	200402	1336
अप्रैल-13	15116472	15066472	100443
मई-13	13023674	12973674	86491
जून-13	4070830	4020830	26806
जुलाई-13	4070830	4020830	26806
अगस्त-13	25853637	25803637	172024
सितम्बर-13	16529360	16479360	109862
अक्टूबर-13	16678646	16628646	110858
नवम्बर-13	30569152	30519152	203461
दिसम्बर-13	20499771	20449771	136332
जनवरी-14	27522356	27472356	183149
फरवरी-14	39172705	39122705	260818
योग (अ)			**3947090**

माह	माह में न्यूनतम शेष राशि	चल खाते में न्यूनतम 50,000 रखने के बाद ऑटो स्वीप खाते में अंतरण हेतु उपलब्ध न्यूनतम राशि	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
1	2	3	4
(ब) एक्सिस बैंक			
सितम्बर-13	2381275	2331275	15542
अक्टूबर-13	10399734	10349734	68998
नवम्बर-13	36044752	35994752	239965
दिसम्बर-13	69349028	69299028	461994
जनवरी-14	53090667	53040667	353604
फरवरी-14	58096161	58046161	386974
योग (ब)			1527077
ब्याज की हानि (अ+ ब)			5474168

(स्रोतः कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

अनुलग्नक - 3.6

कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए को दर्शाने वाला विवरण पत्रक* है

(संदर्भित कंडिका 3.12.1)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2008-09		2011-12		2012-13	
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाएँ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	ऊर्जा	4**	2	6	5	3	1
2.	वाणिज्य एवं उद्योग	3**	2	-	-	1	1
3.	कृषि	-	-	1	-	2	-
4.	वन	1	-	-	-	-	-
5.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2**	2	2	2	1	1
6.	भौमिकी एवं खनन	2**	2	1	-	-	-
7.	वाणिज्यिक कर	1**	1	1	-	1	-
8.	वित्त	-	-	-	-	2	2
योग		**13**	**-**	**11**	**7**	**10**	**5**

* वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उत्तर राज्य शासन से प्राप्त हो चुके है।

** दो कंडिकाएँ यथा कंडिका क्रमांक 4.3.4 चार विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य व उद्योग और भौमिकी व खनन) तथा कंडिका क्रमांक 4.3.5 पाँच विभागों (ऊर्जा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण, वाणिज्य व उद्योग भौमिकी व खनन और वाणिज्यिक कर) 2003-04 तक जारी की गई पुरानी कंडिकाओं का मुद्रण 2008-09 में किया गया है, जिनके जवाब प्रतीक्षित है। 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्ताव में छः प्रारूप कंडिका/दक्षता लेखापरीक्षा थे।

अनुलग्नक - 3.7

विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.12.3)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जब से कंडिकाएँ लंबित है
1.	ऊर्जा	6	158	408	2007-08
2.	वन	1	2	6	2011-12
3.	भौमिकी एवं खनन	1	4	8	2009-10
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	5	19	2007-08
5.	वाणिज्यिक कर	1	2	14	2012-13
6.	वित्त	1	2	3	2012-13
7.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	4	9	2009-10
8.	खाद्य	1	4	6	2007-08
9.	समाज कल्याण	1	1	1	2011-12
10.	कृषि	1	0	0	2010-11
योग		**15**	**182**	**474**	

अनुलग्नक - 3.8

मार्च 2014 से अगस्त 2014 के दौरान जारी किए गए प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसके उत्तर प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भित कंडिका 3.12.3)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिका की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	जारी करने की अवधि
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	1	-	मार्च 2014
2.	ऊर्जा	3	-	अप्रैल 2014 से जुलाई 2014
3.	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	-	1	अगस्त 2014
	योग	**4**	**1**	